खण्ड-235, अंक-8
शुक्रवार, 13 आश्विन, शक संवत् 1884
(5 अक्टूबर, 1962 ई0)

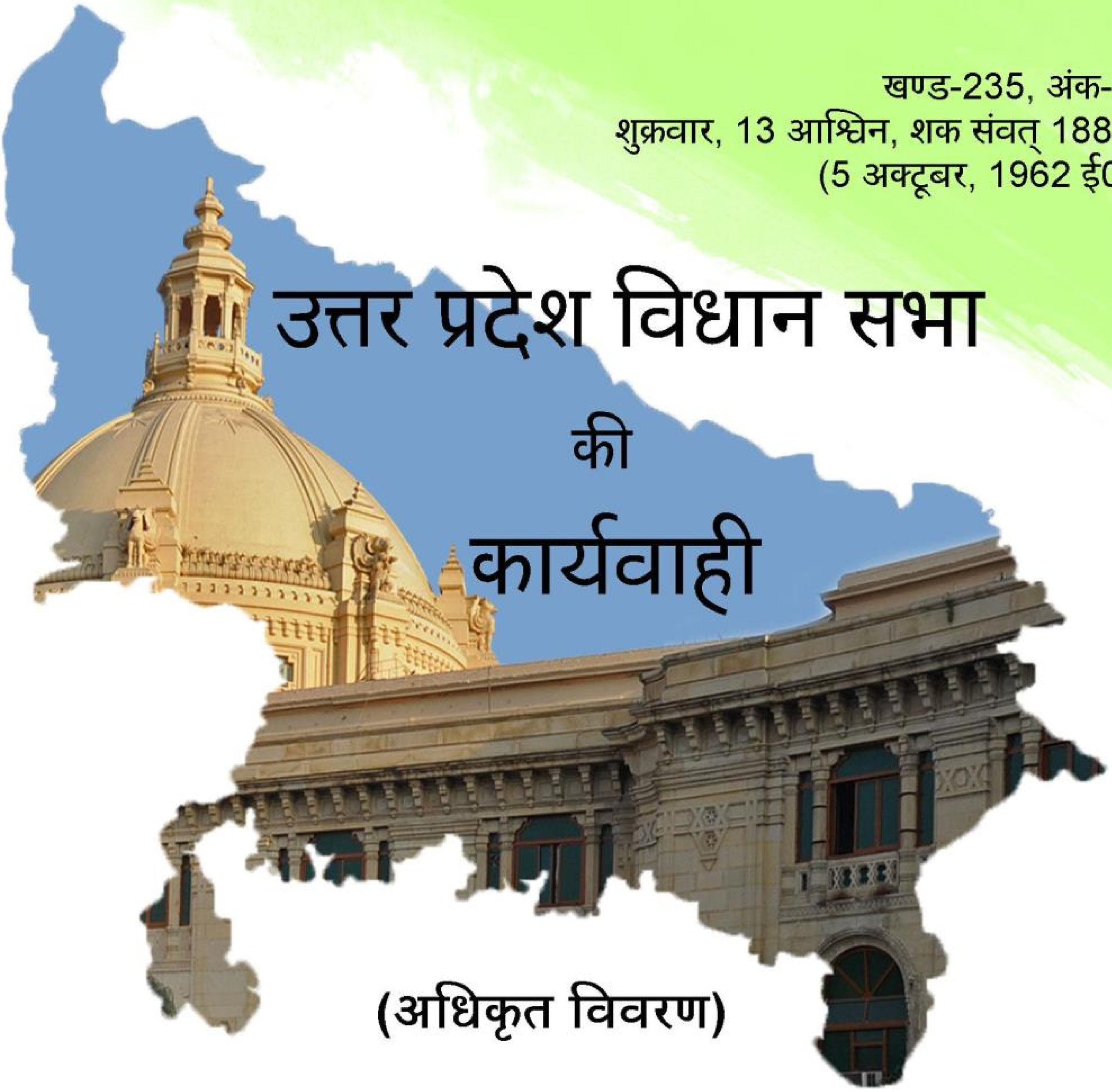

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 235 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | ७४१–७४५ |
| सदन के समवेत होने के संबंध में आपत्ति .. .. .. | ७४५ |
| कार्यवाही में भाषण के कुछ अंश न छपने के संबंध में श्री चन्द्रबली सिंह की शिकायत .. .. .. .. | ७४५–७४६ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. .. | ७४६–७८६ |
| उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन मे कर विधेयक, १९६२ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. .. .. .. | ७८७ |
| उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. .. .. .. | ७८७ |
| उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६२ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) .. .. .. | ७८७ |
| श्री हरखयाल सिंह के निधन पर शोकोद्गार .. .. .. | ७८७–७८९ |
| श्री सत्यनारायण पांडेय द्वारा पुलिस अधिकारियों के कथित दुर्व्यवहार की शिकायत के संबंध में वक्तव्य .. .. .. | ७८९–७९७ |
| विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं .. .. | ७९७–७९८ |
| कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना .. .. .. | ७९८–८०० |
| श्री काशीनाथ मिश्र का वैधानिक प्रश्न .. .. .. | ८०० |
| कानपुर नगर महापालिका के विद्यालयों की प्रधानाध्यापिकाओं के स्थानान्तरण के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर वक्तव्य .. | ८००–८०४ |
| उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ (प्रस्ताव पर कि बिधेयक पर बिचार किया जाय—विचार जारी) .. .. .. | ८०४ |
| १८ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्नों के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन .. | ८०४–८०५ |
| कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी .. .. .. | ८०५ |
| उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ (प्रस्ताव पर कि बिधेयक पर बिचार किया जाय—विचार जारी) .. .. .. | ८०५–८३९ |
| नत्थियां .. .. .. .. .. | ८४०–८४९ |

LEGISLATURE LIBRARY
MAR

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

## शुक्रवार, ५ अक्तूबर, १९६२

---

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

---

## उपस्थित सदस्य—३९१

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन सिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कन्धईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण राय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरी प्रसाद पाँडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खुबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री

गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरधरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जिया उर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
ताराअग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री

नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचम दास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेंदुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेंदु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगला प्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूपभारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
कुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शकुंतला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री

शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
सुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
संतसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा लघु उद्योग उप-मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त, भी उपस्थित थे।

---

## सदन के समवेत होने के संबंध में आपत्ति

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—श्रीमन्, कल उठते समय आपने यह नहीं कहा था कि कल साढ़े १० बजे मिलेंगे। इसलिये मैं समझता हूं इस सदन का संगठन इस समय अवैधानिक तौर पर है।

श्री अध्यक्ष—यह गलत है इस वास्ते कि जब मैंने कह दिया कल, तो जो सदन की बैठक का समय निश्चित है, वही समझा जायगा। सदन का समय साढ़े दस बजे निश्चित है।

## कार्यवाही में भाषण के कुछ अंश न छपने के संबंध में श्री चन्द्रबली सिंह की शिकायत

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न कार्यवाही लिखने के सिलसिले में है।

श्री अध्यक्ष—अब इस वक्त व्यवस्था नहीं होगी, आप बैठें।

श्री चन्द्रबलीसिंह—मैंने कहा था भाषण के बीच में व्यवस्था का प्रश्न उठता है वह कार्यवाही में नहीं लिख कर मिला है। दूसरी बात मैंने कही थी क्या वालेन्टीयरों को ही इंगित किया जायगा। यह भी नहीं लिखा गया। मैंने कहा था क्या बाकी सदस्य....

श्री अध्यक्ष—आपका जो व्यवस्था का प्रश्न है वह प्रश्नों से संबंधित नहीं है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—कार्यवाही से है।

श्री अध्यक्ष—तो आप मुझे बतायें वह लिख दिया जायगा।

## प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ५ अक्तूबर, १९६२

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—[हटा दिया गया।]

### अवैध गांजा व अफीम

*२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या आबकारी मंत्री कृपया बतावेंगे कि प्रदेश में किन-किन जिलों में कितना-कितना अवैध गांजा और अफीम १९५९–६०, १९६०–६१, १९६१–६२ में पकड़ी गई?

आबकारी राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—वांछित सूचना† तालिका नम्बर १ में संलग्न है।

*३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में १९५९–६०, १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में किन-किन जिलों में अवैध गांजा तथा अफीम के संबंध में पकड़े गये कितने आदमियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया तथा उसमें कितने आदमी छूटे तथा कितनों को सजा या जुर्माना हुआ?

३—डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना† तालिका नम्बर २ में संलग्न है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—मंत्री जी बतायेंगे यह अवैध गांजा कहां से आता है और सरकार ने इसको रोकने के लिये कौन सा प्रयत्न किया?

डाक्टर सीताराम—अवैध गांजा कहां से आता है यह बहुत व्यापक प्रश्न है। लेकिन मैं थोड़े में बताना चाहता हूं। नैपाल से जो हमारे प्रांत के जिले मिलते हैं, जैसे गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, देवरिया, बहराइच और खीरी, आदि, उन्हीं के द्वारा नेपाल से अवैध गांजा प्रदेश में आता है और यहीं नहीं, सारे भारत के और प्रांतों में यहां से जाता है। इसके लिये केंद्रीय सरकार ने एक्साइज कमिश्नर्स, बंगाल, बिहार और यू० पी० की मीटिंग की थी और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसकी रोकथाम होनी चाहिये। अतः नैपाल सरकार से इस संबंध में लिखा-पढ़ी कर रहे हैं।

---

†छापी नहीं गई है।

जहां तक इसके रोकने की बात है प्रदेश में ५ स्क्वाड्स हैं, जिनके सेंटर्स गोरखपुर, इलाहाबाद, झांसी, मुरादाबाद और अलीगढ़ में हैं जिनमें एक अफसर सुपरिंटेंडेन्ट के रैंक का होता है जिसके अन्तर्गत बहुत से कर्मचारी होते हैं और वह केसेज को पकड़ते हैं।

**श्री रघुवीर** (जिला गाजीपुर)—मंत्री जी बतायेंगे जितने अवैध गांजा लाने वाले पकड़े गये हैं उनको सजा हुई या नहीं ?

**श्री अध्यक्ष**—जो मुलजिम पकड़े जाते हैं उन्हें सजा होती है।

**डाक्टर सीताराम**—जी हां, एक्साइज ऐक्ट के सेक्शन्स ६० से ६४ के मुताबिक उनको सजा होती है। यह तीन साल का प्रश्न है और पूरे प्रांत के विषय में है। अगर माननीय सदस्य किसी खास विषय के बारे में पूछें तो मैं अच्छा जवाब दे सकूंगा।

**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)—स्मगलर्स की तादाद देवरिया, गोरखपुर में ज्यादा है या बहराइच में ज्यादा है ?

**डाक्टर सीताराम**—स्मगलर्स की तादाद कानपुर में ज्यादा है।

**श्री नरसिंहनारायण पांडेय** (जिला गोरखपुर)—गोरखपुर में एक ऐसा गैंग है जो गांजा और अफीम की स्मगलिंग नैपाल से करता है और उसके आदमी नैपाल में लगे रहते हैं और यह बात वहां की एक्साइज कमिश्नर और सब लोग जानते हैं लेकिन क्योंकि उस गैंग का संबंध किसी राजनैतिक दल से भी है और माननीय मंत्री जी को इसकी सूचना है तो क्या वे इसकी जांच करायेंगे कि वह कौन सा गैंग है ?

**डाक्टर सीताराम**—राजनीतिक दल से किसी गैंग का संबंध है इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है, लेकिन एक्साइज ऐक्ट के सेक्शन ७ के मुताबिक जिलाधीश, एस०पी०, डिप्टी कलेक्टर, सब-इंस्पेक्टर आफ पुलिस, और एक्साइज के जितने भी कर्मचारी हैं सब को अधिकार है कि ऐसे केसेज के खिलाफ कार्यवाही करें। और जिस प्रकार के केसेज पकड़े गये हैं उनके मुताबिक हम कह सकते हैं कि गोरखपुर डिवीजन के एक्साइज डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने जिस सतर्कता से कार्य किया है वह तारीफ के काबिल है, लेकिन अगर एक्साइज डिपार्टमेंट के कर्मचारी पूर्णरूपेण अपने कार्य को संचालित नहीं करते हैं तो एक्साइज डिपार्टमेंट के अलावा जिलाधीश भी एक्साइज कर्मचारियों के हेड हुआ करते हैं। उनके पास माननीय सदस्य कम्प्लेंट करें और मुझे पूरी आशा है कि उस पर कार्यवाही की जायगी।

**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)—अक्सर यह बात देखी जाती है कि पुलिस के अधिकारी इस बात को जानते हैं कि फलां आदमी स्मगलर है और इन चीजों को स्मगलिंग करके पैसा कमा रहा है और जमा भी कर रहा है, बिल्डिंग भी बनवा रहा है लेकिन चूंकि कानूनी गिरफ्त में नहीं आता इसलिये मजबूरी होती है। तो इस बात को ध्यान में रख कर सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि जो लोग बिना किसी साधन के सम्पत्ति बढ़ाये चले जा रहे हैं हजारों और लाखों में उनकी सम्पत्ति पर कब्जा करके जांच पड़ताल की जाय कि वह सम्पत्ति कहां से आई ?

**डाक्टर सीताराम**—यह विधानतः संभव नहीं है। लेकिन गांजे का मद्यनिषेध १ अप्रल, ५६ से और अफीम का मद्यनिषेध १ जुलाई, ५९ से हुआ। इससे ये सब खुराफातें बढ़ गयी हैं। माननीय सदस्य, प्राहिबिशन के बारे में चिल्लाते हैं लेकिन उससे वह कठिनाइयां सामने आती हैं जिनको मने बतलाया।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—इस समय गांजा आदि स्मगलिंग करने के अवैधानिक कार्यों के संबंध में कड़े दंड की व्यवस्था नहीं है जिससे यह अवैधानिक कार्य बढ़ रहे हैं। तो क्या सरकार इस प्रकार के अवैधानिक कार्यों को करने वालों के लिये कड़े दंड की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है?

डाक्टर सीताराम—एक्साइज डिपार्टमेंट के सेक्शन ६० के मुताबिक डिप्टी कलेक्टर को, जिनको जिलाधीश नियुक्त करते हैं, इन एक्साइज के केसेज को देखने के लिये, एक्साइज के केसेज में १ साल की सजा अथवा दो हजार जुर्माना अथवा दोनों की सजा देने का हक है। १९५९–६० और १९६०–६१ के आंकड़ों को देखने से पता चलेगा कि एक्साइज केसेज में जितने लोगों ने सजा पाई शायद किसी और विभाग में उतनी सजा नहीं दी गयी होगी।

## गाजीपुर जिले में चकबंदी संबंधी काम

*४—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ से १९६० तक गाजीपुर जिले में सिंचाई का कुंआ बनाने के लिये चकबन्दी विभाग द्वारा या उनकी सिफारिश पर किन-किन लोगों को कुआं बनाने के लिये रुपया दिया गया और उसमें कितने कुयें अब तक बनकर तैयार हैं? क्या सरकार इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि सैदपुर तहसील में चकबन्दी विभाग द्वारा कितने गांव की चकबन्दी हुई है और किन-किन गांवों की सड़कें बनाने में कितना धन खर्च किया गया है?

श्री बृजबिहारी—चकबंदी विभाग द्वारा सैदपुर तहसील में अब तक कुल १,१०६ गांवों की चकबन्दी की जा चुकी है। चकबंदी क्षेत्र के गांवों में सड़क बनाने के लिये चकबंदी विभाग द्वारा व्यय नहीं किया गया है।

*६—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि चकबन्दी विभाग द्वारा मार्च, सन् १९६१–६२ के स्पेशल ड्राइव द्वारा कितने मुकदमें द्वारा अपील और निगरानी का फैसला हुआ और इन मुकदमों के फैसले की नकल कितने दिनों बाद जारी की गई?

श्री बृजबिहारी—चकबंदी विभाग द्वारा मार्च, सन् ६२ में जिला गाजीपुर में ९४६ प्रथम अपीलों, १६६ द्वितीय अपीलों तथा ५१ निगरानियों का फैसला किया गया। सामान्यतः फैसलों की नकलें तीन दिन के भीतर ही जारी कर दी गयी थीं। केवल ४० फैसलों की नकलें देने में एक सप्ताह से कुछ अधिक समय लगा।

श्री कमलासिंह यादव—क्या माननीय राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सैदपुर की चकबन्दी की गड़बड़ी के सिलसिले में मैंने कोई आवेदन-पत्र उनको दिया था? यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या थीं और उसके प्रति सरकार ने क्या कार्यवाही की?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—किसी आवेदन-पत्र की याद मुझे इस वक्त नहीं है। यदि हमारे मित्र हमको बतायेंगे तो हम पता लगायेंगे। इसमें तो सड़क बनाने की बात और कितनी चकबन्दी हुई यह पूछा गया है।

श्री कमलासिंह यादव—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों में चकबन्दी हो रही है उनमें जो सड़क बनी है वह किस विभाग द्वारा बनी है और उसके लिये रुपया कहां से मिला है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—टेस्ट वर्क के जरिये से बनी है।

**श्री होरीलाल यादव** (जिला इटावा)—क्या सरकार को ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि अपील की जो नकलें दी गयीं वह देर से दी गयीं लेकिन तारीख उनमें पिछली छोड़ी गयी थी ?

**श्री हुकुमसिंह विसेन**—ऐसी सूचना हमें नहीं है ।

**श्री हरिनाथ तिवारी** (जिला फैजाबाद)—जब मंत्री महोदय को यह पता है कि टेस्ट वर्क से ये सड़कें बनी हैं तो कितना धन व्यय हुआ इसके बताने में क्या आपत्ति है ?

**श्री हुकुमसिंह विसेन**—कोई आपत्ति नहीं है, ५९ हजार रुपया खर्च हुआ ।

## भूमिधर के खाते व सनदें

*७—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी** (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने भूमिधरों के खाते हैं और सनदें दी गई हैं ? क्या यह बात सही है कि इन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि ४० वर्षों तक लगान में वृद्धि न की जायगी ? यदि हां, तो क्या सरकार अपने इस वचन का पालन करेगी ?

**श्री बृजबिहारी**—अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार प्रदेश के ७ जिलों—मेरठ, मथुरा, आगरा, बरेली, बिजनौर, नैनीताल तथा उन्नाव को छोड़कर जहां से सूचना अभी आना बाकी है प्रदेश के शेष ४१ जमींदारी विनाश जिलों में ३०-६-६२ तक कुल ६७,३३ ३४७ भूमिधरों के खाते थे और उनसे संबंधित कुल २२,२९,४८१ सनदें जमींदारी विनाश, और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १३४ के अन्तर्गत दी गईं । भूमिधर जो मालगुजारी देते हैं उसमें वृद्धि न करने का प्राविधान जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में है । वृद्धि उसमें संशोधन होने के उपरान्त ही हो सकती है ।

**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**—मैंने अपने प्रश्न में पूछा था कि ४० वर्षों तक लगान में वृद्धि नहीं की जायगी ? यदि हां, तो क्या सरकार अपने इस वचन का पालन करेगी ? इसका उत्तर यह दिया गया कि इसमें संशोधन होने के उपरान्त ही हो सकता है । तो मैं पुनः राजस्व मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने जो वायदा किया था भूमिधरी आन्दोलन के समय उस पर आज भी कायम रहने की कोशिश करेगी ?

**श्री हुकुमसिंह विसेन**—उत्तर में इसका जवाब साफ है ।

**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चूंकि इस ऐक्ट के अन्दर इस बात का आश्वासन दिया गया था कि लगान नहीं बढ़ाया जायगा और अब लैंड होल्डिंग्ज टैक्स बिल के द्वारा क्या अपरोक्ष रूप से उसे बढ़ाने का प्रयास कर रही है? यदि हां, तो क्यों ?

**श्री हुकुमसिंह विसेन**—क्योंकि वह लैंड रेवेन्यू एनहान्समेंट की तारीफ में नहीं आता है ।

## ददुआ ग्राम में जमीन टूटने से क्षति

*८—**श्री गंगाधर मैठाणी** (जिला चमोली)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि २८ जुलाई, १९६१ की रात में ददुआ ग्राम, जिला चमोली में वर्षा के कारण जमीन टूटने से कितने जन और धन की हानि हुई ?

**श्री बृजबिहारी**—ददुआ ग्राम में वर्षा के कारण जमीन टूटने से ३० मनुष्यों तथा ६० पशुओं की मृत्यु हुई तथा ६ घर, ११ गौशालाएं, ९६ १/२ नाली कृषि भूमि और अन्य चल-सम्पत्ति की हानि हुई । पशुओं तथा अन्य संपत्ति की हानि का अनुमान लगभग १,०१,९०० रु० है ।

*९—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि ददुआ ग्रामवासियों में से जीवित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये सरकार ने क्या काम अब तक किया है ?

श्री बृजबिहारी—ये लोग पहले अन्यत्र बसने को तैयार न थे, अब तैयार हुए हैं और इन लोगों को उन्हीं की इच्छानुसार भंवर टोक नामक जंगल में बसाये जाने का प्रस्ताव है ।

*१०—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि ददुआ ग्राम के निकट कुछ अन्य ग्रामों को भी खतरा है ? यदि हां, तो सरकार उनकी सहायता के लिये क्या कार्य कर रही है ?

श्री बृजबिहारी—जी हां । संबंधित ग्रामवासियों को या तो हटा दिया गया या उनको खतरे के समय हट जाने के लिये सुरक्षित स्थान बता दिये गये ।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि भंवरटोक में जहां कि लोग बसाये जायेंगे उनके ऊपर कितना रुपया खर्च करने की सरकार की इच्छा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी तो यह इफ एंड बट के साथ है, पूरी योजना हमारे सामने नहीं है ।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री जी को पता है कि उनमें कितने परिवार और व्यक्ति हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ददुआ के २२ थे ।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ददुआ के पास कोई अन्य गांव है जहां कि सरकार ने स्वीकार किया है कि नुकसान पहुंचने का खतरा पैदा हो गया है उनमें कितने व्यक्ति और परिवार हैं और उनको सरकार कहाँ बसाने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जहां बसाने का इंतजाम है उसका जवाब दे दिया गया है लेकिन परिवारों के लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सवा वर्ष पहले जो ददुआ गांव की दुर्घटना हुई थी उसमें जिनके घर तथा सामान वगैरा बह गया उनके रहने तथा भोजन की सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिस समय यह वाकया हुआ उस समय रिलीफ मेजर्स एडाप्ट किये गये और उनको हर प्रकार की सहायता, जो संभव हो सकती थी, दी गई थी । उसका विवरण इस समय हमारे सामने नहीं है ।

## कुर्दा गांव के हरिजनों को जमीन वापस देने की प्रार्थना

*११—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह सत्य है कि बस्ती जिला के पैकवलिया थाने के अन्तर्गत कुर्दा गांव के ३४ हरिजन परिवारों को आज से ११ वर्ष पूर्व जिले के उस समय के कलेक्टर श्रीमान् मित्तल साहब ने सांवडीह गांव में ११३ एकड़ जमीन जो पर्ती पड़ी थी दे दी थी ?

श्री बृजबिहारी—जी हां ।

*१२—श्री श्यामलाल—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि यह भी सही है कि श्री मित्तल साहब के तबादला हो जाने के बाद कुछ लोगों ने हरिजनों को खेतों से बेदखल कर दिया पर मालगुजारी अब भी उन्हें देनी पड़ रही है ?

**श्री बृजबिहारी**—कुछ परती भूमि पर अन्य लोगों ने कब्जा कर रखा है और क्यों कि यह भूमि उक्त हरिजनों के नाम दर्ज है अतएव वे ही उसके मालगुजारी के देनदार होते हैं।

*१३—**श्री श्यामलाल**—सरकार यह भी बतायेगी कि क्या सांवडीह ग्राम में ११३ एकड़ पर्ती जमीन को उपजाऊ बनाने वाले कुर्दा गांव के बहादुर ३४ हरिजन परिवारों को उक्त जमीन तुरन्त वापस देने का क्या सरकार आदेश देगी ?

**श्री बृजबिहारी**—११३ एकड़ भूमि में से उक्त हरिजन परिवार अब तक केवल १७ एकड़ भूमि पर कृषि कर सके। कानूनी अड़चनों के कारण शेष भूमि उनको अब वापस दिलाने में सरकार असमर्थ है।

**श्री श्यामलाल**—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह १७ एकड़ भूमि की मिलकियत ३४ हरिजन परिवारों को मिल चुकी है ? यदि हां, तो बाकी भूमि की मिलकियत देने में क्या कानूनी अड़चन है ?

**श्री हुकुमसिंह विसेन**—कुछ सीरदार हो गये हैं, कुछ अधिवासी हो गये हैं और हकीयत हो गई है। इसलिये दिक्कत पड़ रही है।

**श्री श्यामलाल**—श्रीमन्, हम यह जानना चाहते हैं कि प्रश्न १२ के उत्तर में कहा गया है कि यह भूमि उक्त हरिजनों के नाम दर्ज है अतः वही मालगुजारी देने के उत्तरदायी होते हैं। लेकिन उनको ओनरशिप नहीं मिली है और मालगुजारी उनसे ली जा रही है, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि उनको या तो ओनरशिप मिले या उनसे रेवेन्यू न ली जाय ?

**श्री हुकुमसिंह विसेन**—जो रिकार्डेड हैं वे तो ओनर हैं।

**श्री श्यामलाल**—श्रीमान्, उनको ओनरशिप इन ला मिलनी चाहिये।

**श्री हुकुमसिंह विसेन**—अगर किसी को कोई इजेक्ट कर दे तो वह उसकी रिमैडी दफा २०९ में अदालत में सीक कर सकता है।

**श्री भीखालाल**—माननीय राजस्व मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि ११३ एकड़ जमीन हरिजनों को दी गयी थी उसमें केवल १७ एकड़ कर पाये ११ साल में। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनको बंजर जमीन तोड़ने में कुछ सहायता दी गयी या नहीं ?

**श्री हुकुमसिंह विसेन**—संभवतः नहीं दी गयी।

**श्री लखपतराम शर्मा** (जिला झांसी)—जिलाधीश ने जो ११३ एकड़ जमीन दी थी, इस आज्ञा का पालन न करने का कारण क्या था ?

**श्री हुकुमसिंह विसेन**—लोगों ने कब्जा करके अधिवासी राइट हासिल कर लिए। और क्या है।

**श्री रघुवीर**—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ११३ एकड़ जमीन का जब हरिजनों के नाम से अलाटमेंट किया गया उस वक्त कोई कानूनी दिक्कत थी या नहीं और जब यह हरिजनों के नाम से जमीन अलाट हो गयी और इस जमीन को तोड़ कर खेत की शक्ल में किया तो अब तक कब्जा उन हरिजनों का है या नहीं ?

**श्री हुकुमसिंह विसेन**—इस पर नहीं है। केवल कुछ पर है।

**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या माननीय राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जिलाधीश महोदय ने जिन भूमिहीन परिवारों को यह जमीन अलाट की लेकिन वास्तव में उनको कब्जा नहीं मिला तो क्या सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि कहीं और जमीन हो उसको इन भूमिहीन परिवारों को दिलाये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह हमेशा प्रयास रहा है कि कहीं जमीन हो तो हरिजनों को आबाद किया जाय ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---इस बात को देखते हुए कि ११३ एकड़ जमीन पर दूसरे लोगों ने कब्जा करके सीरदार या अधिवासी के हक हासिल कर लिये हैं, तो क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि इनके साथ जो लगान की वसूली की ज्यादती हो रही है क्या सरकार इन हरिजनों को लगान की वसूली की छूट दे कर उन लोगों से जो अधिवासी या सीरदार हो गये हैं रोस्टर रेट से दूना लगान वसूल करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिस पर यह काबिज हैं यह लगान दें जिस पर और लोग काबिज हैं वह लगान दें ।

श्री श्यामलाल---क्या माननीय राजस्व मंत्री बतायेंगे कि यह जो १७ एकड़ जमीन बची है जिस पर हरिजन परिवार कृषि कर रहे हैं क्या उस पर इन हरिजन परिवारों को मिल्कियत मिल चुकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अलाटमेंट से जो मिल्कियत हासिल होती है वह हासिल है ।

श्री हरिनाथ तिवारी---क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि सरकार के पास हर प्रकार के रेकार्ड्स होते हैं, तो जिस समय ११३ एकड़ भूमि देने की बात सोची गयी थी क्या उस समय रेकार्ड्स नहीं देखे गये थे कि उस पर अन्य लोग काबिज हैं, अधिवासी दर्ज है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिस समय दी गयी थी तब दर्ज नहीं थे । बाद में गालिबन कब्जा कर लिया है और राइट अक्वायर कर लिया है ।

## अतरौली-अलीगढ़ सड़क

*१४---श्री बाबूसिंह (जिला अलीगढ़)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अतरौली से अलीगढ़ रोड के बनवाने की व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

रसद उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---यह सड़क पक्की बनी हुई है, इसके बनवाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बाबूसिंह---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सड़क किस क्लास की है और इसमें कितने मील डामर रोड है और कितने मील कंकड़ रोड बनी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---अध्यक्ष महोदय, यह सड़क १५ मील लम्बी है । छः मील पेंटेड है और बाकी कंकड़ की बनी हुई है । सारी को पक्की करने के लिये प्लान में इसके लिये कोई प्राविधान नहीं रखा गया है ।

श्री बाबूसिंह---क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि इस सड़क को डामर रोड बनवाने के लिये कितनी बार सर्वे हुआ है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह तो पी० डब्लू० डी० की रोड है । सर्वे का कोई सवाल नहीं उठता ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री इस बात को देखते हुए कि उस सड़क पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा चलती है, और इसकी जरूरत है कि वह डामर हो जाय, इस प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

**सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)**—विचार तो अवश्य किया जाता है । जितनी कंकड़ की सड़कें हैं उनको सरकार चाहती है कि पेंटेड हो जायं । तो पब्लिक को भी सहूलियत होगी, साथ ही साथ उसमें उसकी लाइफ बढ़ जाती है और खर्च भी कम होता है । लेकिन जब पूरे सूबे में सड़कें बनानी हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे हैं तो थोड़ा-थोड़ा करके जो कुछ हमसे होता है, हम करते हैं । एक-एक, दो-दो मील जो मेंटिनेंस की ग्रांट होती है उससे किया जाता है । और इस पर तो कुछ विशेष इन्तजाम करके कुछ ज्यादा रुपया खर्च किया गया है ।

## रामपुर ट्रेनिंग कालेज के प्रशिक्षार्थी

*१५—**श्री उमाशंकर** जिला आजमगढ़—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५८ में रामपुर ट्रेनिंग कालेज से (Refresher Course) की ट्रेनिंग आजमगढ़ जिले के किन-किन आदमियों ने किया है ?

**शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री अजीज इमाम)**—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१६—**श्री उमाशंकर**—क्या सरकार को मालूम है कि उक्त प्रशिक्षित (Trained) आदमियों को क्या ग्रेड मिल रहा है ?

**श्री अजीज इमाम**—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१७—**श्री उमाशंकर**—क्या सरकार को पता है कि सरकार द्वारा निर्धारित ग्रेड उक्त अध्यापकों को नहीं मिलता है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

**श्री अजीज इमाम**—सूचना एकत्र की जा रही है ।

**श्री उमाशंकर**—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना कब तक उनको अन्दाज है इकट्ठा हो जायगी ?

**श्री अजीज इमाम**—जितनी जल्दी जिले से जवाब आ जायगा, उतनी जल्दी इकट्ठा हो जायगी ।

**श्री अध्यक्ष**—यह मैं बता दूं कि आगामी मर्तबा जब यह आये तो सूचना पूरी सदन को देनी होगी । अब कोई समय नहीं दिया जायगा ।

## रुद्रपुर-नगवा सड़क में अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*१८—**श्री चन्द्रबली सिंह**—क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जिला की रुद्रपुर-नगवा सड़क सेमरौना घाट से नगवा घाट तक किन-किन गांवों की किन-किन किसानों की कितनी-कितनी जमीनों से होकर गई है ? इस सड़क में जिन किसानों की जमीन गयी है क्या उनको उन जमीनों का मुआवजा दिया गया ? यदि हां, तो किस रेट से ? यदि नहीं, तो क्यों ? मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

**श्री बृजबिहारी**—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१९—**श्री चन्द्रबली सिंह**—क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि वह सड़क कब से बन रही है ? और क्या यह कि जब से सड़क के लिये किसानों की जमीनें ले ली गयी है तब से आज तक उन जमीनों की मालगुजारी भी वसूली जाती है? यदि हां, तो क्यों ? हरजाना सहित कब तक वसूल मालगुजारी वापस कर दी जायगी तथा कब से मालगुजारी वसूली बन्द कर दी जायगी ?

**श्री बृजबिहारी**—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री चन्द्रबली सिंह—माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह सूचना कब तक इकट्ठा हो जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अनावश्यक विलम्ब न होगा।

## भखालिया ग्राम को राप्ती से क्षति

*२०—श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि ग्राम भखालिया, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर में आधा भाग राप्ती नदी से कट गया है ? यदि हां, तो इस ग्राम की सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त ग्राम की लगभग ५० एकड़ भूमि राप्ती नदी से कट गई है। स्थानीय साधनों बांस तथा डालों द्वारा सुरक्षा का प्रयास किया गया जो असफल रहा। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। ग्राम कटान के निकट स्थल पर उपलब्ध मिट्टी द्वारा मेड़बन्दी करा दी गई थी।

*२१—श्री शिवसम्पति शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि ग्राम भखालिया की कई सौ एकड़ जमीन कट कर ग्राम बबट्ठा, तहसील व जिला गोरखपुर में चली गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लगभग ५० एकड़ भूमि कट कर धारा के उस पार चली गई है।

[ ५ अक्तूबर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न ]

## आजमगढ़ जिले में तकावी की माफी व अग्निपीड़ितों को सहायता

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशक द्वारा पत्र संख्या ए-ई-४६१७/जी-७, दिनांक १९ सितम्बर, १९६० के साथ जो प्रश्नकर्ता ३ अगस्त, १९६० का पत्र (कुओं के लिये दी गई तकावी, माफी एवं वसूली के बारे में) विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पास कार्यार्थ भेजा गया था, उस पर अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बृजबिहारी—उक्त पत्र से संलग्न प्रार्थना-पत्र की जांच की गई जिससे स्पष्ट होता है कि कुआं बनाने के हेतु मुफ्त सहायता के लिये दिये गये प्रार्थी के आवेदन-पत्र पर उनको तकावी ऋण प्रदान किया गया। प्रार्थी ने उक्त ऋण से सम्बन्धित एग्रीमेंट बांड भरा जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी इस बात से भिज्ञ था कि कुआं बनाने के हेतु स्वीकृत धन, मुफ्त सहायता (सब्सीडी) नहीं, तकावी ऋण है और इस ऋण के लेने में उसे कोई आपत्ति न थी। अतएव प्रार्थी के ऋण की वसूली रोकने और उनसे अब तक वसूल किये गये धन को वापस किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, सन् १९६२ में आजमगढ़ जिले के किन-किन ग्रामों में भीषण आग लग जाने के कारण लाखों रुपये की हानि हुई है ?

श्री बृजबिहारी—उक्त अवधि में भदेसरा तथा चौहानपुरवा ग्रामों में भीषण अग्निकांड हुये। इनके अतिरिक्त २३ अन्य ग्रामों में आग लगी जिनमें कोई उल्लेखनीय क्षति नहीं हुई।

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्रामों के पीड़ितजनों की सहायता के लिये किन-किन मदों में कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई है ?

श्री बृजबिहारी---उक्त भदेसरा तथा चौहानपुरवा ग्रामों में दी गई सहायता का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८४० पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय---माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऋण और सब्सीडी सहायता के लिए फार्म अलग-अलग हैं या एक ही प्रकार का फार्म है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---माननीय अध्यक्ष जी, मुझे जानकारी है कि एक ही फार्म होता है। सही बात यह है कि सब्सीडी वाले फार्म भराये गए और सरकार के कर्मचारियों की लापरवाही से किसानों को सब्सीडी नहीं मिली। मैं सरकार से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी एन्क्वायरी वह करायें और ऐसे लोगों को जो कई हजार की तादाद में हैं राहत दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं तो यह कहता हूं कि उस दरख्वास्त में ऋण लिखा था, सब्सीडी नहीं लिखी थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सहायता किस सन् में दी गई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सन् १९५९ में दरख्वास्त गुजरी थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---मैं फिर निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इसकी एन्क्वायरी फिर करायें। यह सहायता १९५४ में दी गई थी और १९५४ में जो सहायता दी गई थी वह सब्सीडी बाकायदा दी गई थी सारे प्रदेश में, उनको जानकारी नहीं है। वह फिर से इसकी जानकारी जिले से करायेंगे कि १९५४ में यह सहायता दी गई थी और सब्सीडी के रूप में दी गई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अध्यक्ष महोदय, जिस जमाने की आप बात कहते हैं उस जमाने में सब्सीडी दी जाती थी लेकिन आजमगढ़ में जो अलाटमेंट था वह तकावी से दिया गया था।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चौहानपुरवा में आग लगने से कितने रुपये की क्षति हुई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---नुकसान का विवरण इसमें नहीं दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी इसकी फिर से जानकारी हासिल करेंगे कि इस गांव में क्षति ५० हजार रुपये से ज्यादा की हुई थी और जो अहेतुक सहायता दी गई थी वह जितने लोगों के घर जले थे उनमें से काफी लोगों को सहायता नहीं दी गई थी। इस पर वे विचार करके आदेश जारी करेंगे कि उनको सहायता दी जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जैसा पांडेय जी कहते हैं मुमकिन है वह सही हो और नुकसान हुआ हो, लेकिन सरकार कम्पन्सेट नहीं करती है। जो गरीब होते हैं उनको केवल सहायता देती है, वहीं पर उनको सहायता दी।

श्री रघुवीर---क्या राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अग्नि कांड से जो क्षति हुई है वह तो उनके पास नहीं है लेकिन जिन व्यक्तियों को सहायता दी गई है वह कितने रुपये की धनराशि है और प्रति व्यक्ति कितनी दी गई ?

श्री अध्यक्ष---प्रत्येक व्यक्ति के लिये तो मैं इजाजत नहीं देता हूं। टोटल हो तो बतला दीजिये।

**श्री हुकुमसिंह बिसेन**---मदरसा में ८०० रुपये की अहेतुक सहायता दी गई और तकावी ३ हजार रुपये की दी गई। मालगुजारी में छूट ५२८ रुपये २९ नये पैसे। दूसरे गांव में ४०० रुपये अहेतुक सहायता। १५०० रुपये रिलीफ गृह निर्माण के लिये। २,०१० रुपये तकावी के लिये दिया गया और ४३ रुपये ८० नये पैसे मालगुजारी में छूट दी गई।

*४-५---**श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)---[हटा दिये गये।]

## राबर्ट्सगंज=गढ़वा रेलवे लाइन के लिए अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*६---**श्री ऊदल**---क्या सरकार राबर्ट्सगंज से गढ़वा तक की रेलवे लाइन में पड़ने वाली बिहार की जमीन का मुआवजा जो वहां के किसानों को दिया गया है उसका पता लगा कर सदन को सूचित करने की कृपा करेगी कि भारत सरकार ने कितना रुपया बिहार सरकार को तथा कितना रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार को मुआवजा देने हेतु दिया है?

**श्री बलदेवसिंह आर्य**---अब तक उत्तर प्रदेश सरकार को २,८८,७९३ रु० ८५ न० पै० दिया गया है। जनरल मैनेजर, उत्तरी रेलवे से प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार सरकार को २,५७,२६५ रु० ५ न० पै० दिया गया है। इस सम्बन्ध में बिहार सरकार से भी पूछा गया था किन्तु वहां से अभी वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

**श्री ऊदल**---इस रेलवे लाइन में हमारे सूबे की कितनी एकड़ जमीन ली गई है क्या मंत्री जी यह बतायेंगे?

**श्री बलदेवसिंह आर्य**---हमारे प्रदेश की २,७०७.७५४ एकड़ जमीन एक्वायर की गई है।

**श्री ऊदल**---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बिहार की कितनी भूमि इसमें ली गई है?

**श्री बलदेवसिंह आर्य**---बिहार की २४६.२ एकड़ भूमि एक्वायर की गई है।

**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**---जो यह मुआवजा दिया गया है यह किस दर से दिया गया है और कितने लोगों को दिया गया है?

**श्री गिरधारीलाल**---रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मुआवजा देने के कुछ उसूल हैं और वह यह हैं शायद कि जितना रेंट होता है उसका २० गुना दिया जाता है।

**श्री ऊदल**---श्रीमन्, आप इसे जरा गम्भीरतापूर्वक देखें कि २,७०० एकड़ हमारी जमीन गयी और बिहार की २४६ एकड़ जमीन गयी और मुआवजा हम को मिला २,८८,७९३ रुपया और बिहार को मिला २,५७,२६३ रुपये ५ नये पैसे। तो क्या मैं मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या बिहार की सरकार ने सेंटर से यह कहा था कि हमारे एक्वीजीशन ऐक्ट के हिसाब से नहीं बल्कि हमारे काश्तकारों को बाजार रेट से मुआवजा दिया जाय?

**श्री गिरधारीलाल**---इन तमाम बातों के लिये अलग-अलग सूबों के अलग-अलग सिद्धान्त हैं। मुझे उन सबका ठीक पता नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि बिहार की जो सरकार है वह भी हमारी तरह रेंट का कोई मल्टीपिल देती होगी और उसी हिसाब से उन्होंने सेंटर से रुपया लिया होगा। हमने भी उनसे मुआवजा लिया, लेकिन हमें तो सारे सूबे को देखना है। तमाम जगहों के लिये हमको मुआवजा देना है। लेकिन फिर भी यह सवाल विचाराधीन है कि आज की परिस्थिति में यह चीज कहां तक ठीक की जा सकती है। हम इसे देख रहे हैं।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी इस गम्भीर बात को देख कर कि हमारे बगल का कोई भी प्रदेश हो और उसकी जमीन चाहे रिहन्द बांध में ली जाय या बिहार की जमीन रेलवे के बारे में ली गयी हो, केन्द्रीय सरकार ने उनको अधिक मुआवजा दिया है या हमको अधिक मुआवजा देना पड़ता है और हमारे किसानों को उसके मुकाबले में कम मुआवजा मिलता है। तो क्या मुआवजे के नियमों में सरकार कोई ऐसी तब्दीली करने जा रही है कि जिससे किसानों को बगल के प्रदेशों के मुकाबले में ही मुआवजा मिल सके चाहे वह हमारी सरकार द्वारा दिया जाय या अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा ?

श्री गिरधारीलाल—यह पूरा प्रश्न विचाराधीन है, लेकिन एक जिला दूसरे जिले से लगा हुआ है, तो डिमांड सब जगह हो सकती है। इसमें एक यूनिफार्म पालिसी रहे इसके लिये रेवेन्यू, पी० डब्लू डी० और दूसरे मुहकमे विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं।

श्री ऊदल—श्रीमन्, आप जरा देखें। आपने एक दिन देखा होगा कि मुख्य मंत्री जी ने मध्यप्रदेश की गवर्नमेंट के बारे में कहा था कि उन्होंने हलवाई की दूकान बना कर हमसे रुपया लिया। तो मध्य प्रदेश के किसानों को हमारी सरकार ने काफी रुपया दिया दो हजार रुपये एकड़ के हिसाब से, और सरकार ने अपने किसानों को २५ रुपये एकड़ के हिसाब से दिया। इसमें भी इस तरह की बात है। जब माननीय जगजीवन राम जी रेलवे मिनिस्टर थे तो हमारे यहां लोकोमोटिव कारखाने के लिये ६०० एकड़ भूमि ली जा रही थी। उस समय मैं उनसे मिला था....

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न पूछिये।

श्री ऊदल—मैं उसी सम्बन्ध में कह रहा हूं। उस समय हमारे शिक्षा मंत्री जी भी मौजूद थे। जब मैंने इस बारे में उनसे कहा था तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी यहां मौजूद हैं, आपके बाबू सम्पूर्णानन्द जी जितना लिख कर भेज दें हम उसका उचित मुआवजा बाजार रेट से देने के लिये तैयार हैं। तो क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जमीन लेना चाहती है और बाजार की दर से मुआवजा उसका देना चाहती है तो इस सरकार को केन्द्र सरकार से रुपया लेने में क्या आपत्ति है ?

श्री गिरधारीलाल—यह प्रश्न, जैसा मैंने कहा, विचाराधीन है। अलग-अलग सरकारें हैं और उनके अलग-अलग कायदे हैं। बिहार सरकार ने अपने कायदे कानूनों के हिसाब से मुआवजा दिया होगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने ऐसी बात माननीय सदस्य से और दूसरों से कहा, लेकिन हमें तो अपने कायदों से बंध कर ही काम करना पड़ता है। यह पूरे सूबे का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—यह तो कहा ही जा रहा है कि यह प्रश्न विचाराधीन है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि जो नियम वहां हैं उनको यहां स्वीकार करने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री झारखंडेराय—मैं मंत्री जी के उत्तर से जो समझा वह यह कि हमारे प्रदेश में अलग-अलग विभाग जो जमीन लेते हैं उनके कोई यूनिफार्म रूल्स नहीं हैं। यूनिफार्मिटी लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन केन्द्रीय सरकार किसी प्रदेश को अधिक मुआवजा दे और हम को कम दे या हम ही किसी प्रदेश को ज्यादा दें और किसी को कम दें तो इसके दूर करने के क्या उपाय हैं ?

श्री गिरधारीलाल—श्रीमन् अभी जैसे मध्य प्रदेश की मिसाल दी गई, उनके जरिये से हमारे सूबे के जो नागरिक हैं, उनको वहां के कायदे से जितना भी ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जा सकता था वह हमने दिलवाया। लेकिन जो हमारा कायदा है उसके माफिक देना पड़ा। उसके लिये मजबूरी है क्योंकि उसमें बहुत से इम्पलीकेशन्स हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यह जो लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट है वह और प्राविन्सेज के लिये यूनीफार्म है? तो क्या माननीय मंत्री जी ने दूसरे प्रदेश में ज्यादा मुआवजा दिये जाने के लिये कोई आपत्ति नहीं की कि इतना मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी अपने कानूनों में इस बात के संशोधन का विचार कर रहे हैं कि जिससे इस मुआवजे की कमी को पूरा किया जा सके?

श्री गिरधारीलाल—श्रीमन्, यह पेचीदगी हमारे सामने है। इन बातों को देखते हुए, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि, विचार किया जा रहा है और इन तमाम बातों का जो भी फैसला होगा उसमें विचार किया जायगा।

## मैनपुरी-किशनी सड़क

*७—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी से किशनी जाने वाली सड़क किशनी से समान तक ४ मील पक्की है और मैनपुरी से भावत तक ६ मील पक्की है, बीच में केवल १२ मील कच्ची है, क्या सरकार इस सड़क को पक्की करा रही थी? यदि हां, तो कब तक पूरी सड़क पक्की हो जायेगी?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं, धनाभाव के कारण इस समय इस सड़क का निर्माण सम्भव नहीं है।

श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जैसा कि सरकार ने कहा है कि धनाभाव के कारण निर्माण संभव नहीं हुआ है, तो यह कब तक संभव हो जायगा?

श्री बलदेवसिंह आर्य—श्रीमन्, जब धनाभाव की स्थिति समाप्त हो जायगी तो उस पर विचार हो सकेगा।

## जिला परिषद्, झांसी के जूनियर हाई स्कूलों की अध्यापिकाएं

*८—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद्, झांसी में बालिका जूनियर हाई स्कूलों में कितनी अध्यापिकायें (सहायक व प्रधान) कितने दिनों से अस्थाई रूप से काम कर रही हैं? उन्हें उक्त पदों पर स्थायी न करने का क्या कारण है? क्या उक्त स्कूलों में कुछ ऐसी अध्यापिकायें भी हैं जिन्हें प्राइमरी स्कूल का ग्रेड दिया जा रहा है? यदि हां, तो किन कारणों से?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—कुल १२ सहायक अध्यापिकाएं अस्थायी रूप से कार्य कर रही हैं जिनकी नियुक्ति निम्नांकित वर्षों में की गई थी:

| | |
|---|---|
| २ अध्यापिकायें .. .. .. .. | १९५२ |
| १ .. .. .. .. .. | १९५३ |
| १ .. .. .. .. .. | १९५५ |
| २ .. .. .. .. .. | १९५६ |
| १ .. .. .. .. .. | १९५७ |
| २ .. .. .. .. .. | १९५९ |
| १ .. .. .. .. .. | १९६१ |
| १ .. .. .. .. .. | १९६२ |

इन अध्यापिकाओं की प्रशिक्षण योग्यता को परिषद् ने यथेष्ट नहीं समझा और इसलिये अभी तक इन्हें स्थाई नहीं किया गया। कुछ अध्यापिकाओं को प्राइमरी स्कूल का ग्रेड भी इसी कारण दिया जा रहा है।

*९—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद्, झांसी के बालिका जूनियर हाई स्कूलों में ऐसी अध्यापिकायें भी हैं जो एच० टी० सी० ट्रेन्ड हैं, जो दो तीन वर्षों तक प्रधान अध्यापिका के पदों पर कार्य कर चुकी हैं और जिन्हें २०, २५ वर्षों तक का पढ़ाने का अनुभव भी है फिर भी उन्हें प्रधान अध्यापिका के पद पर नहीं रक्खा जाता है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां ।

*१०—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अनुसचिव, उत्तर प्रदेश ने जी० ओ० सं० घ-१/३६८५—१५-७९७-५९, दिनांक १ जुलाई, १९६१ के अनुसार यह आदेश दिया है कि एक वर्षीय एच० टी० सी०, दो वर्षीय एच० टी० सी० अथवा सबल शिक्षण दल द्वारा प्रशिक्षित अध्यापकों और बी० टी० सी० में कोई अन्तर न माना जाय ? उक्त आदेश के अनुसार कितनी एक वर्षीय एच० टी० सी० अध्यापिकाओं को बी० टी० सी० के बराबर मान कर जूनियर हाई स्कूल की सहायक अध्यापिका का ग्रेड दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, किन्तु शासकीय आदेश की तिथि १ जुलाई, १९६० है ।

अभी किसी एक वर्षीय एच० टी० सी० अध्यापिका को जूनियर हाई स्कूल का ग्रेड नहीं दिया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में जिला परिषद् द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

## घाघरा नदी के पेटे से निकली पेहिला ग्राम की भूमि

*११—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सरकार दिनांक १ अप्रैल, १९५९ के पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०२-१०३ के संदर्भ में यह बताने का कष्ट करेगी कि उक्त भूमि जो ग्राम सभा ने भूमिहीनों में बांटी थी उस पर भूमिहीन अभी भी कब्जा पाये या नहीं ? यदि नहीं, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री बृजबिहारी—जी नहीं । गांव समाज द्वारा दिये गये पट्टे परगनाधीश ने २५-२-६१ को जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा १९८ (२) के अधीन रद्द कर दिये ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि उपरोक्त प्रश्न आश्वासन समिति को भेजा गया था और उसने यह कहा था कि भूमिहीनों को शीघ्रातिशीघ्र कब्जा दिला दिया जायगा और उसके बाद यह पट्टा रद्द किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमन्, हम जानते हैं कि पट्टा रद्द किया गया, उसके बाद भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है । हम एग्जीक्यूटिव और प्रशासकीय आर्डर्स से अदालतों को मना नहीं कर सकते । यह हमारी दिक्कत है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि यह किस अदालत ने रद्द किया और कब किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह उसमें दिया हुआ है कि एस० डी० ओ० ने किया है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किसी प्रश्न के सम्बन्ध में इसी सदन में कहा गया था कि यह प्रश्न आश्वासन समिति को दिया गया था कि इसके ऊपर उचित कार्यवाही की जाय, तो किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिये किस अदालत को जिम्मेदारी रद्द करने के सिलसिले में आती है ? यह किस अदालत से तामील कराने की कृपा की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमन्, मैंने कह दिया कि हम अदालतों के मामले में कोई दखल नहीं दे सकते ।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी यह भी बताने की का कष्ट करेंगे कि उस भूमि पर किन लोगों का कब्जा है और उस गांव समाज को उस भूमि से कितनी आमदनी हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमन्, इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है ।

## नरहन व बरहज गांवों की सीमा

*१२—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ग्राम नरहन और बरहज, कानगोई गोला, जिला गोरखपुर का और आजमगढ़ जिले का सीमा निर्धारण हुआ है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बृजबिहारी—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१३—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त सीमा निर्धारित न होने के कारण आजमगढ़ के कुछ लोग नदी के बायें किनारे ग्राम बरहज और नरहन की भूमि पर अपना अधिकार कर रहे हैं जिसके बारे में गोरखपुर जिले के किसानों ने आवेदन-पत्र भी दिया है ? यदि हां, तो सरकार उस आवेदन-पत्र पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बृजबिहारी—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—यह सवाल बहुत अहम है, इस बात को देखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी जल्दी से जल्दी इसकी सूचना मंगा कर देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारा प्रयास यही होगा ।

## राजवाड़ी पुल वाली सड़क के लिये भूमि

*१४—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजवाड़ी पुल से गाजीपुर जिले में कोई नई सड़क १२० फुट चौड़ी सरकार बनाने जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका प्लान और एस्टीमेट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, इस सड़क के लिये १५० फुट चौड़ी जमीन ली जायगी । इसके प्लान और एस्टीमेट अभी तैयार किये जा रहे हैं ।

*१५—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार इस सड़क के निर्माण में कितनी भूमि कृषि योग्य ले रही है और उसमें छोटे काश्तकारों की कितनी भूमि है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—लगभग २२० एकड़ भूमि प्राप्त करने के कागजात अभी बनाये जा रहे हैं, अतः अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि कितनी भूमि छोटे काश्तकारों की है ।

*१६—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि रामपुर के दक्षिण एक गेट देकर रेलवे लाइन के पश्चिम वाली सड़क (पी० डब्ल्यू० डी० सड़क) को मिलाने के लिये उस क्षेत्र के विधायक द्वारा तथा जनता से कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां । प्रस्तावित संरेखण जांच करने पर उचित नहीं पाया गया ।

श्री कमलासिंह यादव--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पूरा उत्तर कब तक मिल जावेगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--यह कार्य चालू है, अब कोई निश्चित तिथि आदि बताना संभव नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी थी और उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री गिरधारीलाल--इसके लिये तो सूचना की जरूरत होगी लेकिन जो भी पी० डब्ल्यू० डी० के सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने उसका सर्वे आदि किया, जो आपका रिप्रेजेन्टेशन था उसको भी देखा, एकोनामिक प्वाइन्ट आफ व्यू को भी देखा, और इन सब को ध्यान में रख कर केन्द्रीय सरकार ने इसको एप्रूव किया।

श्री कमलासिंह यादव--वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री गिरधारीलाल--वह इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन उसी की बुनियाद पर यह हुआ है कि यह एलाइनमेंट ठीक होगा।

श्री कमलासिंह यादव--वह रिपोर्ट कब तक सदन के सामने आ जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल--उसको सदन के सामने रखने की जरूरत नहीं है, माननीय सदस्य अगर देखना चाहें तो मेरे कमरे में आकर देख लें, मैं मंगा लूंगा।

श्री कमलासिंह यादव--वह रिपोर्ट हमें दे दें, फिर आवश्यकता होगी तो प्रश्न पूछ लूंगा।

श्री अध्यक्ष--आप देख लें उसको।

## गोरखपुर जिले में राप्ती पुल जांच कमेटी

*१७--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जून माह के अन्तिम सप्ताह में गोरखपुर जिले के राप्ती पर बन रहे पुल के कुछ हिस्सों को डाइनामाइट से मिलिटरी द्वारा उड़ाया गया है ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां। पुल के टूटे हुए हिस्से का कुछ भाग उड़ाया गया है जिससे जांच कमेटी उस भाग की जांच कर सके। ऐसा केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार किया गया है।

*१८--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि राप्ती पर बन रहे पुल के सम्बन्ध में जो जांच कमेटी बनी है वह अपनी रिपोर्ट कब तक देगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--अभी यह निश्चित रूप से बतलाना सम्भव नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--क्या सरकार बतायेगी कि जब कि पुल की जांच बैठी हुई थी तो इस बीच में केन्द्रीय सरकार ने कब और क्या हुक्म दिया कि इस पुल को उड़ा दिया जाय ?

श्री गिरधारीलाल--उसी की जांच के लिये, जानकारी के लिये, यह आदेश दिया गया कि इतना हिस्सा हटा दिया जाय और उसका मेटीरियल निकाल कर देखा जाय कि वह कैसा है ताकि जो फरदर काम है वह न रुके।

**श्री नरसिंहनारायण पांडेय**—जांच कमेटी का यह निश्चित मत था कि उसके एक हिस्से को उड़ाया जाय न कि पूरे पुल को। लेकिन डाइनामाइट से उस हिस्से को उड़ा देने से सारा पुल ही नदी में बैठ गया और जो जांच होने वाली थी जिस चीज की वह नहीं हो पाई, तो क्या कृपया बतायेंगे कि ऐसा क्यों हुआ ?

**श्री गिरधारीलाल**—कमेटी की राय के हिसाब से वह काम किया गया। कोई दूसरा साधन उपलब्ध नहीं था और न सम्भव था, और न सस्ता था। इसलिये इस प्रकार वह पुल का हिस्सा हटाया गया।

**श्री कल्पनाथसिंह**—टूटे भाग को उड़ाने में कितना रुपया खर्च हुआ ?

**श्री गिरधारीलाल**—सब मिलाकर करीब डेढ़ या दो लाख रुपया होगा।

**श्री नरसिंहनारायण पांडेय**—यह जांच कमेटी कब तक अपनी रिपोर्ट सरकार को दे देगी ?

**श्री गिरधारीलाल**—वह कमेटी बहुत स्वतन्त्र है। हम उनसे दरख्वास्तें कर रहे हैं। श्री धनानन्द पांडेय उसके चेयरमैन थे, वह अस्वस्थ हो गये, उन्होंने इस्तीफा दिया और दूसरा चेयरमैन बना। हम तो चाहते हैं कि जल्दी काम हो तो छुट्टी मिले और शायद उनकी भी यही मंशा होगी।

**श्री नरसिंहनारायण पांडेय**—अभी जांच नहीं हुई, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह हजारों रुपया बीच में किस मद में खर्च हुआ ?

**श्री अध्यक्ष**—उन्होंने कह दिया है कि उसके डिटेल्स नहीं हैं।

**श्री रामसूरतप्रसाद** (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब तक जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आवेगी तब तक क्या पुल बनाना बन्द रहेगा ?

**श्री गिरधारीलाल**—उन्होंने कहा है कि इसका डिजाइनिंग ठीक है। तो हमारे यहां से काम चालू किया जा रहा है।

## अध्यापकों का महंगाई भत्ता

*१९—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ४ जून, १९६२ को अध्यापकों के महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में जो घोषणा सरकार द्वारा की गई है उसके फलस्वरूप बढ़े हुए व्यय का कितना भाग छात्रों की फीस बढ़ाकर, कितना राजकीय कोष से और केन्द्रीय सरकार से सहायता के रूप में प्राप्त होगा ?

**श्री अजीज इमाम**—राजाज्ञा संख्या क-२९६९/१५—३०७६-६२, दिनांक १९ जुलाई, १९६२ द्वारा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के ३५० रु० तक वेतन पाने वाले अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को २० रु० प्रतिमाह के दर से मंहगाई भत्ता दिये जाने का आदेश दिया जा चुका है। विद्यालयों को महंगाई भत्ता अनुदान दिये जाने के लिये चालू वित्तीय वर्ष में बजट में २९,५१,००० रु० की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त जो व्यय होगा वह छात्रों से ली जाने वाली महंगाई फीस की आय तथा सरकारी सहायता से पूरा किया जायगा। केन्द्रीय सरकार से भी सहायता के लिये प्रयत्न हो रहा है।

*२०—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त घोषणा के पश्चात् अध्यापकों तथा छात्रों के अभिभावकों के कुछ प्रतिनिधि शिक्षा मंत्री या मुख्य मंत्री से मिले थे ? यदि हां, तो क्या सरकार संक्षिप्त विवरण देने की कृपा करेगी ?

**श्री अजीज इमाम**—जी नहीं, दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

**श्री चन्द्रजीत यादव**---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगर केन्द्रीय सरकार बाकी रुपया दे तो प्रदेशीय सरकार बढ़ाई हुई मंहगाई फीस को वापिस लेगी ?

**श्री अजीज इमाम**---जब केन्द्रीय सरकार अपना हिस्सा दे देगी तो उस पर गौर किया जायगा ।

**श्री चन्द्रजीत यादव**---प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की एक मांग यह थी कि सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की भांति उन्हें भी मंहगाई भत्ता मिले, जिसे केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया था कि अगर राज्य सरकार ५० फीसदी रुपया दे तो ५० फीसदी केन्द्रीय सरकार देगी, तो इस बात को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार पूरा भत्ता देने की कृपा करेगी ?

**आचार्यजुगल किशोर**---केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त होने पर बच्चों से जो मंहगाई फीस ली जाती है वह शायद न ली जाय या कम कर दी जाय ।

**श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया** (जिला मेरठ)---महंगाई की फीस दुगनी करने पर सरकार को घाटा रहता है या बचत है ?

**श्री अजीज इमाम**---बजट में २० लाख ५० हजार रुपये के प्राविजन के अलावा यह अभी अनुमान किया जा रहा है कि १५ लाख रुपये की कमी रहेगी ।

**श्री चन्द्रजीत यादव**---इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से जो बातचीत की है उसमें कितनी प्रगति हुई है और केन्द्रीय सरकार से कितने दिनों में यह रुपया मिलने की आशा राज्य सरकार को है ?

**आचार्य जुगलकिशोर**---केन्द्रीय सरकार से कोई भी इस प्रकार का आश्वासन हमें प्राप्त नहीं हुआ है ।

**श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया**---जब केन्द्रीय सरकार से रुपया मिल जायगा तो क्या माननीय मंत्री जी अनऐडेड संस्थाओं के टीचरों और स्टाफ को वही मंहगाई भत्ता देने की कृपा करेंगे जो सहायता-प्राप्त संस्थाओं के लोगों को दिया जाता है?

**श्री अजीज इमाम**---यह सवाल उस समय पैदा होगा जब कि केन्द्रीय सरकार से हमें कुछ सहायता मिलने का रूप प्रकट हो जायेगा ।

## नवीन विश्वविद्यालय खोलने पर विचार

*२१---**श्री चन्द्रजीत यादव**---क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में जिन नये विश्वविद्यालयों के खोलने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है उनकी स्थापनार्थ अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है और उनके कब से चालू होने की सम्भावना है ?

**श्री अजीज इमाम**---शासन ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय जांच आयोग से आटोनामस कालेजों के स्थापना की सम्भावनाओं पर विचार करने को कहा था । उसकी रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है एवं उस पर विचार किया जा रहा है । अभी इस प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं हो सका है कि इन स्थानों पर आटोनामस कालेजों की स्थापना हो या विश्वविद्यालय की । यदि विश्वविद्यालय की हो भी तो उनका क्या स्वरूप हो ? अतः योजनाओं के चालू करने की तिथि अभी निश्चय कर सकना सम्भव नहीं ।

**श्री चन्द्रजीत यादव**---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस बात की स्पष्ट घोषणा उन्होंने की थी कि कानपुर और मेरठ के अन्दर विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी तो फिर यूनिवर्सिटी आयोग इस बात की जांच क्यों कर रहा है कि वहां आटोनामस कालेज बनाये जायं ? ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो गयी ?

**आचार्य जुगलकिशोर**—मुझे स्मरण है कि इस प्रकार का कोई स्पष्ट आदेश सरकार की ओर से नहीं दिया गया था कि इन जगहों पर विश्वविद्यालय स्थापित किये जायेंगे। इस खयाल से कि संभव है इन स्थानों पर यूनिवर्सिटी खोलनी पड़े, हमने बजट में उसका प्राविजन रखा है। बस इतना ही निश्चित है। ऐसा कोई निश्चय नहीं है कि वहां यूनिवर्सिटी खोली ही जायगी।

## बोर्ड आफ रेवेन्यू का एकाउन्ट्स विभाग

*२२—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के बोर्ड आफ रेवेन्यू के एकाउन्ट्स विभाग में कितने कर्मचारी हैं और उसमें कितने स्थायी और कितने अस्थायी पद पर हैं ?

**श्री हुकुमसिंह विसेन**—राजस्व परिषद् के लेखा संगठन में कुल २३७ कर्मचारी हैं। इनमें से ७९ स्थायी पदों पर और शेष अस्थायी पदों पर कार्य कर रहे हैं।

*२३—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह सत्य है कि बोर्ड आफ रेवेन्यू के एकाउन्टेन्ट की सालाना तरक्की (Annual increments) कई वर्षों से रुकी हुई है ? यदि हां, तो क्या कारण हैं ?

**श्री हुकुमसिंह विसेन**—जी नहीं।

## देवरिया तहसील में अल्प बचत योजना

*२४—**श्री चन्द्रबलीसिंह**—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले की देवरिया तहसील में भूमिधर बनने के लिये जो अपने किसी खेत के लगान का दस गुना जमा करने आता है उससे ५ गुना और अल्प बचत योजना के नाम पर जमा कराया जाता है और जो अल्प बचत में ५ गुना नहीं जमा करता है उसका दस गुना भी नहीं जमा किया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार इस मामले की खुली जांच करावेगी ?

**श्री हुकुमसिंह विसेन**—ऐसा नहीं है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*२५—**श्री चन्द्रबलीसिंह**—क्या माल मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जिले की देवरिया तहसील में मई १९६२ से जुलाई १९६२ तक कितने किता दस गुना जमा हुआ है और कितने किता ५ गुना अल्प बचत में तथा जमा करने वालों के नाम और पते क्या हैं ?

**श्री हुकुमसिंह विसेन**—मई ६२ से जुलाई ६२ तक कुल २५,९००.४२ न० पै० की रकम दस गुने में जमा हुई। जमा करने वालों के नाम व पते मेरे कार्यालय में देखे जा सकते हैं।

अल्प बचत केन्द्रीय सरकार की योजना है। उसमें जमा की गई रकम और जमा करने वालों के पते यदि आप चाहें तो डाकखाने से मालूम कर सकते हैं।

## शिक्षा विभाग में डिप्टी इन्स्पेक्टरों के पद

*२६—**श्री बृजेश्वरसहाय** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि असिस्टेन्ट डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल की छांट में लोक सेवा आयोग (पब्लिक सर्विस कमीशन) का प्रयोग बन्द नहीं किया गया है ? क्या शिक्षा विभाग को समस्त पदों पर पदोन्नति करने का अधिकार दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

---

नोट—तारांकित प्रश्न २१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

आचार्य जुगलकिशोर—असिस्टेन्ट डिप्टी ईस्पेक्टर आफ स्कूल्स नाम का कोई पद शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*२७—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित डिप्टी इन्स्पेक्टरों (शिक्षा विभाग) में से जो इसी वर्ष अनुमोदित हुये हैं उनके स्थानों की आधारित संख्या को कब तक भरने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर—सरकार यथासंभव शीघ्र ही नियुक्त करने जा रही है। प्रश्न नहीं उठता।

## उप-सहायक विद्यालय निरीक्षकों की सेवा मुक्ति

*२८—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़), श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री कल्पनार्थसिंह—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल ही में लगभग तीन सौ उपसहायक विद्यालय निरीक्षक जिनमें से कुछ आठ दस वर्ष से काम कर रहे थे सेवा मुक्त कर दिये गये? यदि हां, तो क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, सात वर्ष तक के, क्योंकि उनके स्थान पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा चुने गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है।

*२९—श्री मंगलदेव, श्री राम सुन्दर पांडेय तथा श्री कल्पनार्थसिंह—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवा मुक्त किये जाने वाले उक्त प्रकार के अधिकारियों की रिक्ति को लोक सेवा आयोग द्वारा घोषणा करा कर नियुक्ति पहले क्यों नहीं करा ली गई?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्र की जा रही है।

*३०—श्री मंगलदेव, श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री कल्पनार्थसिंह—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवा मुक्त होने वाले उक्त प्रकार के अधिकारियों में से कितने बेकार हैं और कितने किन-किन सरकारी कार्यों में लगे हैं?

आचार्य जुगलकिशोर—इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि विभाग में कोई संस्था इस प्रकार के आंकड़े एकत्र करने के लिये नहीं है।

*३१-३२-श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—[माननीय सदस्य के सदन की सेवाओं से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिये गये।]

*३३—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर) तथा श्री बसन्तसिंह—[हटा दिया गया।]

## कलीपुर गांव से लेखपाल के विरुद्ध शिकायत

*३४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला वाराणसी के थाना गोपीगंज, ग्राम कलीपुर, पटवारी के विरुद्ध गलत इन्दराज के संबंध में दिनांक ३ मार्च, १९६१ तथा ८ अगस्त, १९६१ का प्रार्थना-पत्र किसानों का आया है? यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आलोच्य प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुये।

## बस्ती जिले से चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*३५—श्री श्यामलाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले में इन दिनों कितने सी० ओ० और कितने ए० सी० ओ० हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बस्ती जिले में इस समय ८ सी० ओ० तथा ४१ ए०सी० ओ० हैं।

*३६—श्री श्यामलाल—इन चकबन्दी अधिकारियों में कितने हरिजन आफिसर हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस समय इन अधिकारियों में कोई हरिजन आफिसर नहीं है।

*३७—श्री श्यामलाल—क्या सरकार के पास इन चकबन्दी अधिकारियों के खिलाफ गत तीन महीनों के भीतर कई शिकायतें आयी हैं? यदि हां, तो कितनी और किसके-किसके खिलाफ और सरकार ने उस पर कौनसी कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आवश्यक सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८४१ पर)

## पैलानी-गलौलीघाट सड़क निर्माण पर विचार

*३८—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बांदा के पैलानी से जसपुरा होती हुई भरुआसुनेरपुर तक सड़क बनना स्वीकार हो चुका है ? यदि हां, तो कब तक बनने की संभावना है ? उसके बनने में देरी की क्या वजह है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। इस सड़क का निर्माण कार्य अभी स्थगित कर दिया गया है क्योंकि अन्तरिम जिला परिषद् ने सुझाव दिया है कि इस सड़क के स्थान पर पैलानी-भुइया-रानी-गलौलीघाट सड़क का निर्माण कराया जाय। यह सुझाव सरकार के विचाराधीन है।

## नदियों के कटाव तथा दैवी आपदाओं के लिये अनुदान

*३९—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—क्या सरकार यह बतायेगी कि नदियों के कटाव-पीड़ित किसान परिवारों की सहायता में हर साल खर्च होने वाली धनराशि की तुलना में कटाव रोकने में लगने वाली धनराशि ज्यादा अधिक पड़ती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*४०—श्री रघुनाथसिंह—क्या दोनों प्रकार के व्ययों में कोई अनुपात मालूम हो सका है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*४१—श्री रघुनाथसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अग्निकांड, तूफान, ओला, पाला, सूखा और बाढ़ आदि दैवी आपदाओं में जनता की सहायता करने के लिये अलग से धनराशि निश्चित की जाती है और क्या वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में इस मद में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

## जौनपुर जिले में जूनियर हाई स्कूलों की इमारतें

*४२—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिले में कितने जूनियर हाई स्कूलों को इमारतें हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने के लिये किन-किन स्थानों पर जिला परिषद् द्वारा दी गई हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—केवल ४ इमारतें मछली शहर, जलालपुर, पट्टी नरेन्द्रपुर तथा मुगरा बादशाहपुर में दी गई।

*४३—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या सरकार उन स्कूलों को वापस लेने की बात सोच रही है और परिषद् की देख रेख में जूनियर हाई स्कूलों की पुनः स्थापना करने जा रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं ।

*४४—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जूनियर हाई स्कूल की इमारतें किराये पर दी गई हैं अथवा पट्टे पर और परिषद् को उससे क्या आमदनी होती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—इमारतें किराये अथवा पट्टे पर नहीं दी गई हैं । अतः परिषद् को कोई आमदनी नहीं होती है ।

## बांदा जिले में सुखना नाला रपटा का बह जाना

*४५—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि तहसील नरेनी, जिला बांदा के अन्तर्गत नरैनी कालिंजर सतना पक्की रोड पर सुखना नाला पर अभी हाल ही में सन् १९६२ ई० में पुल (रपटा) बना जो चन्द रोज हुये बह गया ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां, कथित रपटा टूट गया है ।

*४६—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस पुल की लागत क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—६०६३ रुपये ।

*४७—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि यह पुल किस अधिकारी की निगरानी में बनाया गया और उस से संबंधित ठेकेदार का नाम क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—यह कार्य निम्न विभागीय अधिकारियों की निगरानी में तथा ठेकेदार ने बनवाया :

(१) श्री बीरेश्वर कुमार पांडेय, सहायक अभियन्ता, बांदा ।

(२) श्री शतीश चन्द्र श्रीवास्तव, ओवरसियर ।

(३) श्री भगवती दीन शर्मा—ठेकेदार ।

## मरदह इन्टर कालेज में विज्ञान शिक्षा की मान्यता

*४८—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मरदह, गाजीपुर स्थित इन्टर कालेज में विज्ञान की पढ़ाई हेतु स्वीकृत के लिये उक्त स्कूल व पदाधिकारियों द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र उसके पास प्रेषित किया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां । पचोत्तर नेशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल, मरदह (गाजीपुर) को इन्टर परीक्षा १९६४ से, वैज्ञानिक वर्ग में मान्यता दिये जाने हेतु आवेदन पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद् के कार्यालय में प्राप्त हुआ था ।

*४९—श्री झिलमिटराम—क्या सरकार उक्त कालिज में विज्ञान की मान्यता १२वीं कक्षा तक देने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—मान्यता शासन द्वारा नहीं बल्कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा दी जाती है ।

मान्यता संबंधी प्रतिबन्धों की पूर्ति के अभाव में परिषद् ने उक्त विद्यालय को आवेदित मान्यता नहीं दी ।

*५०—श्री मन्नालाल—[माननीय सदस्य के सदन की सेवाओं से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिया गया।]

## पारादान ग्राम से चकबन्दी के विरुद्ध शिकायत

*५१—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पारादान, तहसील बिन्दकी, जिला फतेहपुर के प्रधान और अन्य कृषकों के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त चकबन्दी में अनियमिततायें बरतने के संबंध में प्रार्थना-पत्र जुलाई के प्रथम सप्ताह में क्रमशः मुख्य मंत्री, चकबन्दी आयुक्त और बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, बिन्दकी तथा प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ प्रार्थना-पत्र जिलाधीश फतेहपुर को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है।

*५२—श्री रामकिशोर वर्मा—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक प्रार्थना-पत्र पर कितने असंतुष्ट किसानों के हस्ताक्षर और अंगुष्ठ चिन्ह हैं तथा संबंधित उक्त ग्राम में चकों की संख्या क्या है और शिकायतों का मुख्य-मुख्य आधार क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है।

## कठौड़ा ताल से क्षति

*५३—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिला अन्तर्गत कठौड़ा ताल में अति वृष्टि के कारण पानी इकट्ठा हो जाने से किन-किन गांवों की कितनी-कितनी फसल की क्षति अलग-अलग हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कठौड़ा ताल में अतिवृष्टि तथा घाघरा नदी के बाढ़ के पानी के जमा हो जाने से जिन जिन गांवों की जितनी जितनी फसल को जो क्षति पहुंची है उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८८२ पर)

*५४—श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कठौड़ा ताल के किनारे से क्षतिग्रस्त गांवों की सहायता के लिये सरकार की तरफ से अब तक कौन-कौन सी व्यवस्था की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्षतिग्रस्तों की सहायता के लिये नावों का प्रबन्ध किया गया तथा असहाय व्यक्तियों में मुफ्त गल्ला, नमक और दियासलाई का वितरण किया गया है। कथित ग्रामों में अब तक ४४०५ रु० तकावी के रूप में बांट दिये गये हैं। क्षतिग्रस्त मकानों को बनवाने तथा मरम्मत के लिये २५,००० रु० की धनराशि मुफ्त सहायता के रूप में बांटी गई है। मालगुजारी तथा अन्य बकायों की वसूली रोक दी गई है। खरीफ १३७० फ० की मालगुजारी में सहायता पहुंचाने के लिये आवश्यक तखमीने तैयार किये जा रहे हैं।

## आदर्श विद्यालयों के अध्यापकों को जे० टी० सी० ग्रेड देने पर विचार

*५५—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि जो अध्यापक हाई स्कूल पास एच० टी० सी० या बी० टी० सी० हैं और जिनको जूनियर हाई स्कूल का ५ साल का अनुभव है उनको जनवरी सन् १९५७ से जे० टी० सी० का ग्रेड देगी ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

**आचार्य जुगलकिशोर**—जी नहीं, केवल राजकीय आदर्श विद्यालयों के अध्यापकों के संबंध में यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

## शिवपुर दीअर गांव की स्थिति

*५६—**श्री काशीनाथ मिश्र**—जिला बलिया के अन्तर्गत शिवपुर दीअर गांव की आधी आबादी बिहार में बसी है और आधी बलिया में, क्या सरकार पूरे शिवपुर दीअर को बलिया में बसाने का प्रबन्ध करेगी ? इस गांव की गणना न बिहार में, और न उत्तर प्रदेश में है गत पांच-सात सालों से इस स्थिति को दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया ? अभी तक शिवपुर दीअर के प्रति उपेक्षापूर्ण नीति क्यों बरती गयी ?

**श्री हुकुमसिंह विसेन**—जी नहीं। उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमा निर्धारण के नियम बने हुये हैं। इन नियमों के अनुसार अगर कुछ भाग किसी गांव का बिहार में चला जावे तो उत्तर प्रदेश सरकार उसको नहीं रोक सकती। उपेक्षा का प्रश्न नहीं उठता।

## प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों का चुनाव

*५७—**श्री दौलतलाल** (जिला आजमगढ़) तथा **श्री उमाशंकर तिवारी**—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष लोक सेवा आयोग द्वारा प्रति उपविद्यालय निरीक्षक (एस० डी० आई०) के पदों का चुनाव हुआ था ? यदि हाँ, तो (क) उसकी क्या क्या आवश्यक योग्यतायें थीं, तथा कितने पदों का चुनाव हुआ था ? (ख) क्या अपेक्षित योग्यता को चुनाव के समय ध्यान में रखा गया था ?

**आचार्य जुगलकिशोर**—जी हाँ। (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, वाराणसी से अंग्रेजी के साथ शास्त्री डिग्री तथा यदि यह डिग्री एजूकेशन में नहीं है, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा मान्य किसी संस्था का एल० टी० डिप्लोमा या किसी विश्वविद्यालय में एजूकेशन की डिग्री या संयुक्त राज्य (U.K.) में किसी मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग कालेज का डिप्लोमा। परिगणित जाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम योग्यता अन्डरग्रेजुएट का सार्टीफिकेट जैसे रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षा उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जूनियर बेसिक कालेज द्वारा प्रवत ऐंग्लो वर्नाक्यूलर टीचर्स सार्टीफिकेट या पंजाब सरकार का जे० ए० बी० सार्टीफिकेट है। हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान अनिवार्य है। ३७१ अस्थायी पदों के लिये चुनाव हुआ था।

(ख) ऐसा कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि अपेक्षित योग्यता को चुनाव के समय आयोग ने ध्यान में न रखा हो।

*५८—**श्री दौलतलाल** तथा **श्री उमाशंकर तिवारी**—क्या यह सच है कि विज्ञापन में एक वर्ष से अधिक अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को प्राथमिकता देने की बात प्रकाशित थी, और चुनाव में आठ-आठ वर्ष तक के अनुभवी व्यक्तियों को जिनकी योग्यता तथा कान्फीडेंशल विज्ञापन के अनुकूल थी छोड़ दिया गया ?

**आचार्य जुगलकिशोर**—जी हाँ। सम्भवतः चुनाव के समय आयोग ने अनुभवी व्यक्तियों को अन्य बातों में उपयुक्त नहीं पाया।

*५९—**श्री दौलतलाल** तथा **श्री उमाशंकर तिवारी**—क्या शिक्षा मंत्री को मालूम है कि विज्ञापन में शारीरिक योग्यता का भी कोई प्रतिबन्ध था ? यदि हाँ, तो (क) क्या यह सच है कि कुछ लोग आवश्यक शारीरिक एवं शैक्षिक योग्यता न रहने के बावजूद चुने गये हैं ? (ख) क्या सरकार चुने हुये तथा छांटे गये उम्मीदवारों की योग्यता तथा अनुभव के साथ एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

**आचार्य जुगलकिशोर**—शारीरिक योग्यता का विज्ञापन में कोई प्रतिबन्ध नहीं था परन्तु-चुने हुये व्यक्तियों के स्वास्थ्य की परीक्षा होती है। जिनका स्वास्थ्य ठीक होता है उन्हीं को नियुक्ति दी जाती है।

(क) जी नहीं।

(ख) इस प्रकार की सूची लोक सेवा आयोग से प्राप्त होने पर ही सदन की मेज पर रखी जा सकती है।

## लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रावासों में स्थानाभाव

*६०—**श्री नियामतुल्ला अन्सारी** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के बहुत से विद्यार्थियों को अभी तक रहने की जगह नहीं मिली है और इस कारण उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तथा उनकी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है?

**आचार्य जुगलकिशोर**—जी हाँ, कुछ छात्रों को विश्वविद्यालय के छात्रावासों में रहने का स्थान नहीं मिल सका है।

*६१—**श्री नियामतुल्ला अन्सारी**—क्या सरकार ऐसे लड़कों के रहने के लिये शीघ्र कोई उचित व्यवस्था विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा कराने की कृपा करेगी?

**आचार्य जुगलकिशोर**—दो नये छात्रावासों के बनाने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तथा राज्य सरकार ने अनुदान दिया है। इनके बनाने का कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायगा। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय ने एक नया छात्रावास मोती महल में खोल दिया है जिससे अतिरिक्त विद्यार्थियों के रहने की सुविधा हो गई है।

## राजनीतिक पीड़ितों के आश्रित

*६२—**श्री दीपनारायणसिंह** (जिला फतेहपुर)—क्या शिक्षा मंत्री अपने अधिकारियों को अविलम्ब आदेश देंगे कि राजनीतिक पीड़ितों के 'आश्रित' विद्यार्थियों की लिस्ट में, वजीफा आदि देने की दृष्टि से और सब कानूनी पुत्रों-पुत्रियों, जीवित व मृत पुत्रों के बच्चों व आश्रित भाइयों व भतीजों व भांजों को भी शामिल करें? यदि नहीं, तो उनका क्या तर्क है? उसे भी दें?

**आचार्य जुगलकिशोर**—इस योजना के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की संतानों, सौतेली संतानों, गोद लिये संतानों, तथा पितृ विहीन पौत्र पौत्रियों को सहायता देने की व्यवस्था है शेष आश्रितों को सहायता देना सम्भव नहीं है। भारत सरकार ने, जो इस योजना पर हुये ५० प्रतिशत व्यय का भार वहन करती है, उपर्युक्त आश्रितों के अतिरिक्त किसी अन्य आश्रितों को इस योजना के अन्तर्गत सहायतार्थ आश्रित नहीं माना है।

## वाराणसी के घाट

*६३—**श्री रघुनाथसिंह**—क्या वाराणसी के घाटों को कंकड़ पत्थर के पटाव से चौड़ा करके किनारे-किनारे सड़क निकालने की कोई योजना विचाराधीन है?

**श्री गिरधारीलाल**—जी नहीं।

*६४-६५—**श्री भगवानसहाय**—[हटा दिये गये।]

## लखनऊ संग्रहालय

*६६—**श्री भगवानसहाय**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ Museum के Archaeological Section में से कुछ मूर्तियाँ Museum building में ले जाने के लिये हटाते समय टूट गईं? यदि हाँ, तो इनका विवरण देने की कृपा करें?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं ।

## आगरा जिले में 'मद्यनिषेध' सत्याग्रह

*६७—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिला में कहां-कहां "मद्य-निषेध" सत्याग्रह व धरना चल रहा है और उसकी रूप-रेखा क्या है ?

(क) इस प्रकार के "धरने और सत्याग्रह" के प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

(ख) इस "मद्य-निषेध" आन्दोलन को कौन चला रहा है ?

डाक्टर सीताराम—प्राप्त सूचनानुसार ११ सितम्बर, १९६२ से आगरा जिले में गोदाम आबकारी (Bonded Warehouse) पर धरना चल रहा है । आठ दस पिकेटर्स गोदाम पर शराब लाने वाले जाने वालों को रोकने का प्रयास करते हैं ।

(क) केवल शांति भंग किये जाने की दशा में समयोचित कार्यवाही की जायगी ।

(ख) सर्वोदय के कुछ कार्यकर्त्ताओं द्वारा ही यह प्रदर्शन शुरू हुआ था, किन्तु अब इसमें कुछ अन्य लोगों के शामिल होने की सूचना मिली है ।

## शाहजहांपुर में खन्नोत के पुल पर दुर्घटना

*६८—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहाँपुर) तथा श्री मुहम्मद रफी खां जिला शाहजहाँपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि शाहजहाँपुर में खन्नोत नदी का पुल जो कि बन रहा था बैठ गया है और उसमें कई आदमी मरे भी हैं ? यदि हाँ, तो क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग के मन्त्री मरने वालों की तादाद उनके नाम और पते सदन को बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—शाहजहाँपुर में खन्नोत नदी के पुल के स्पेन का भाग नीचे गिर गया है परन्तु उस समय कोई आदमी नहीं मरा । तीन चार दिन बाद ठेकेदार का एक आदमी जिसका नाम श्री एस० के० बोस था और शाहजहाँपुर का रहने वाला था, मर गया ।

*६९—श्री सुरेन्द्रविक्रम तथा श्री मुहम्मद रफी खां—क्या मंत्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि हादसा कब और किस तारीख को हुआ और इसकी वजह क्या मालूम हुई और इस हादसे से एक दिन पहिले उस पुल पर कितने आदमी काम कर रहे थे और उस हादसे के बाद कितने आदमी काम पर मिले और कितने लापता हैं ?

श्री गिरधारीलाल—यह दुर्घटना २८ जुलाई, १९६२ की सुबह ढूले की कोई बल्ली फेल हो जाने के कारण हुई । इस दुर्घटना के पूर्व लगभग १५० मनुष्य काम कर रहे थे । दुर्घटना के बाद सब मनुष्य मिल गये कोई लापता नहीं है ।

*७०—कुंवर श्रीपालसिंह—[हटा दिया गया ।]

## घटियाघाट पर कथित नाव दुर्घटना

*७१—श्री दयाराम शाक्य तथा श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि फर्रुखाबाद घटिया घाट पर दिनांक २१ अगस्त, तथा उसके ७–८ दिन बाद ही नाव दुर्घटनायें हुईं जिसमें अनेकों व्यक्ति डूब कर मर गये ? यदि हाँ, तो सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं को रोकने तथा उन विशेष घटनाओं के विषय में क्या कार्यवाही की है ?

**श्री गिरधारीलाल**—२१ अगस्त को घटियाघाट पर कोई नाव दुर्घटना नहीं हुई। ३० अगस्त को घटिया घाट की सीमा में एक व्यक्तिगत नाव उलट गयी थी जिसमें किसी व्यक्ति के डूब कर मरने की कोई सूचना नहीं है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये घाटों पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को आदेश दे दिया गया है कि वे भविष्य में अधिक सतर्क रहें और यथा सम्भव छोटी नावें न तो चलायें और न चलने दें।

## यू० पी० यूनिवर्सिटी इन्क्वायरी कमीशन रिपोर्ट

*७२—**श्री बालोजी अग्रवाल**—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "यू० पी० यूनिवर्सिटी इन्क्वायरी कमीशन" ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है? यदि हाँ, तो वह रिपोर्ट क्या है, और सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

**आचार्य जुगलकिशोर**—जी हाँ। कमीशन ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है। प्रतिवेदन अभी गोपनीय है और सरकार उस पर विचार कर रही है।

*७३—**श्री बालोजी अग्रवाल**—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विश्वविद्यालय के बी० टी० विभाग को "ग्रांट इन ऐड" देने का वह विचार कर रही है?

**आचार्य जुगलकिशोर**—संप्रति नहीं।

## बोर्ड की परीक्षा में वाद्य संगीत

*७४—**श्री नरसिंहनारायण पांडेय**—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास हाई स्कूल इन्टरमीडिएट बोर्ड के पास से कोई प्रस्ताव आया है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि हाई स्कूल इन्टर परीक्षाओं में "वाद्यसंगीत" (instrumental music) optional न रहे? यदि हाँ, तो वह क्या है और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

**आचार्य जुगलकिशोर**—जी नहीं। बोर्ड की परीक्षाओं के विषयों का पुनः वर्गीकरण करते हुये बोर्ड ने इस विषय को साहित्यिक वर्ग से निकालने का निश्चय किया था जिसे शासन ने स्वीकृत किया था कलात्मक वर्ग में हाई स्कूल और इन्टर, दोनों स्तर पर इस विषय को रक्खा गया था। बाद में पुनर्विचार के उपरान्त इसे साहित्यिक वर्ग में भी पुनः शामिल कर दिया गया है।

*७५-७७—**श्री लखीसिंह** (जिला मथुरा)—[माननीय सदस्य के सदन की सेवाओं से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिये गये।]

## अछल्दा-विधूना सड़क

*७८—**श्री बद्रीप्रसादपालीवाल** (जिला इटावा)—क्या सरकार कृपा करके इस बात का स्पष्टीकरण करेगी कि इटावा जिले के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो मास्टर प्लान बना था उसके अन्तर्गत जो अछल्दा-विधूना सड़क को शामिल कर लिया गया था वह उसमें से अब क्यों निकाल दी गई है?

**श्री गिरधारीलाल**—ऐसा कोई मास्टर प्लान इस जिले के लिये नहीं तैयार किया गया है।

*७९-८१—**श्री उमाशंकर**—[१९ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

## लखनऊ में गोमती की बाढ़

*८२—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—क्या सरकार बतायेगी कि अभी गोमती नदी में आई बाढ़ में २१ अगस्त को लखनऊ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कई यन्त्र डूब गये ? यदि हाँ, तो कौन-कौन से और कितने कीमत के ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं ।

*८३—श्री राजेन्द्रसिंह—क्या यह सही है कि ये यन्त्र विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही के कारण डूब गये ? यदि हाँ, तो उसकी जाँच करके क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की सोच रही है ?

श्री गिरधारीलाल—प्रश्न नहीं उठता ।

## सहारनपुर जिले में रेक्टीफाइड स्प्रिट का कोटा

*८४—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहारनपुर में एक सौ गैलन से ऊपर किन-किन व्यक्तियों तथा व्यापारियों को Rectified Spirit का कोटा दिया जाता है और वह किस-किस कार्य में इस्तेमाल किया जाता है ?

डाक्टर सीताराम—जिला सहारनपुर में निम्नलिखित बंधित औषधि निर्माणशालाओं को १०० गैलन से अधिक रेक्टीफाइट स्प्रिट का वार्षिक कोटा दिया गया है :

(१) मेडिको लेबोरेटरी, सहारनपुर (६,००० गैलन) प्रोपराइटर श्री जस करन सिंह ।

(२) जनता के मिकल एन्ड फार्मेस्यूटिकल वर्कस, रुड़की (३,५७१ गैलन) प्रोपराइटर सरदार सरनसिंह व कीर्तनसिंह ।

(३) विजय अरुण एन्ड कम्पनी, सहारनपुर (३,२७५ गैलन) प्रोपराइटर श्री अरुण कुमार आदि । रेक्टीफाइड स्प्रिट से विभिन्न औषधियाँ तैयार की जाती हैं ।

*८५—श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या सरकार को ज्ञात है कि यह Rectified Spirit कुछ मिलावट के बाद भिन्न-भिन्न नामों की बोतलों में बन्द करके उन स्थानों को भेजा जाता है जहाँ पर शराब बन्दी लागू है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जाँच करके इस अनैतिक व्यापार को बन्द करने का प्रबन्ध करेगी ?

डाक्टर सीताराम—The Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act and Rules के अन्तर्गत उक्त औषधियों के निर्माता लाइसेंस लेकर उत्तर प्रदेश अथवा अन्य राज्यों में, जहाँ कि शराबबन्दी भी है, दवाएं भेज सकते हैं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*८६—श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जिन लोगों को हजारों गैलन Rectified Spirit का कोटा दिया जाता है वह लोग इस कोटे का हिसाब किताब सरकार को भी भेजते हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—हिसाब किताब सरकार के पास नहीं भेजा जाता, क्योंकि उपरोक्त औषधि निर्माण शालाओं में स्थायी रूप से एक आबकारी निरीक्षक रहता है, जो कानून के अन्दर रखे हुए स्प्रिट के पूरे लेखा जोखा का निरीक्षण करता है और उच्चाधिकारी भी समय-समय पर निरीक्षण करते हैं ।

*८७—श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर), श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल—[१९ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया ।]

*८८-८९—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—[१९ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

*९०-९१—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—[१९ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

*९२-९४—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—[१९ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

## कानपुर के लिए विश्वविद्यालय

*९५—श्रीमती सुशीला रोहतगी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर में विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय हो चुका है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं।

*९६—श्रीमती सुशीला रोहतगी—यदि हां, तो यह विश्वविद्यालय कानपुर में किस स्थान पर स्थापित होगा, इसकी कितनी लागत होगी, कितने विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान हो सकेगी और यह कब तक बन कर चालू हो सकेगा ?

आचार्य जुगलकिशोर—प्रश्न नहीं उठता।

## बिठूर के जीर्णोद्धार का सुझाव

*९७—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतायेगी कि सुप्रसिद्ध धार्मिक तथा ऐतिहासिक तीर्थ स्थल बिठूर (ब्रह्मावर्त्त) के सभी स्थानों को वीरान होते देख उसने उसके सम्पूर्ण जीर्णोद्धार की कोई योजना बनाई है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

*९८—श्री झारखंडेराय—उस योजना की रूप-रेखा क्या है ?

डाक्टर सीताराम—प्रश्न नहीं उठता।

*९९—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—[१५ वें गुरुवार के लिये प्रश्न १७९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१००-१०२—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—[१९ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०३—१०५—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—[१९ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

## सड़क पक्की करना

*१०६—श्री भगौतीदीन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे जिलों में जहां "सड़क ग्रिड" फार्मूले के कारण नई पक्की सड़क इस समय बनाने की योजना नहीं है उन जिलों में पक्की सड़कों से पांच मील अन्दर के महत्व के स्थान जैसे नये विकास खंड केन्द्र, व्यापारिक केन्द्र, इंटर तथा डिग्री कालेज, तथा अस्पतालों को जहां कच्ची सड़क है उन्हें जोड़ने के लिये ५ मील नई पक्की सड़क बनाने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक उसे कार्यान्वित करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी ५ मील कच्ची सड़कों को पक्की बनाने पर विचार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं। ऐसी कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

## आजमगढ़ जिले में जूनियर हाई स्कूलों की मान्यता तथा कृषि प्रसार योजना अध्यापक

*१०७—श्री सुरजन (जिला आजमगढ़)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितनी जगहों से जूनियर हाई स्कूलों को स्थायी मान्यता के लिये कितनी दरख्वास्तें किन-किन तारीखों में जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ को प्राप्त हुई हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८४३–८४४ पर)

*१०८—श्री सुरजन—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के कार्यालय में जूनियर हाई स्कूल परीक्षा, कृषि प्रसार योजना, जूनियर हाई स्कूल की मान्यता और टी० ए० बिल आदि के लिये केवल एक ही क्लर्क रक्खा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के कार्यालय में कृषि प्रसार योजना, टी०ए० बिल, जूनियर हाई स्कूल परीक्षा आदि का कार्य इस समय एक ही क्लर्क से लिया जाता है । जूनियर हाई स्कूल की मान्यता का कार्य कार्यालय के दूसरे लिपिक से लिया जाता है ।

कार्यालय में लिपिकों के कार्यभार को ध्यान में रखते हुये कार्य का वितरण किया जाता है ।

*१०९—श्री सुरजन—क्या शिक्षा मंत्री को यह ज्ञात है कि जिला आजमगढ़ के कृषि प्रसार योजना के अध्यापकों के वेतन की बढ़ोत्तरी समय से नहीं लगाई जाती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जिले के कृषि प्रसार योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले अध्यापकों की वेतन बढ़ोतरी समय से लगाई जा रही है ।

## अस्थाई सहायक वासिल बाकी नवीस

*११०—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १३६० फसली जब से जमींदारी उन्मूलन हुआ है कितने सहायक वासिल बाकी नवीस कलेक्शन विभाग में कार्य कर रहे हैं ? और उनमें से कितन स्थायी हुये ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जमींदारी उन्मूलन के बाद से प्रदेश में ८६१ सहायक वासिल बाकी नवीस कार्य कर रहे हैं जो अभी अस्थायी हैं । कलेक्शन कार्यालयों में कार्य करने वाले को, जिसमें सहायक वासिल बाकी नवीस भी सम्मिलित हैं, स्थायी करने का प्रश्न विचाराधीन है । आशा है शीघ्र ही आदेश जारी हो जायेंगे और सहायक वासिल बाकी नवीस के स्थायी पदों पर नियुक्तियां कर दी जायेंगी ।

*१११—श्री रतीपाल—क्या कलेक्शन विभाग के नायब तहसीलदारों की पदोन्नति हेतु कोई लिस्ट तैयार हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं ।

## मुरादाबाद-काशीपुर मार्ग में ढेला नदी का पुल

*११२—श्री बसंतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद-काशीपुर मार्ग पर ढेला नदी पर जो पुल १९५७ में बना था उस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—मुरादाबाद-काशीपुर मार्ग में ढेला नदी पर मील १४ तथा ३५ में दो पुल बने हैं जिनपर क्रमशः ३,६६,६६७ रुपये और ५,१०,७६६ रुपये व्यय हुये ।

*११३—श्री बसन्तसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त पुल पर मरम्मत कराने में १९६१–६२ में कुल कितना व्यय किया गया ?

श्री गिरधारीलाल—वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में लगभग २०,००० रुपये व्यय हुये ।

*११४-११५—श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)—[माननीय सदस्य के सदन की सेवाओं से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिये गये ।]

*११६—श्री कृष्णपालसिंह—[हटा दिया गया ।]

*११७-११८—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—[१९ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

## फतेहपुर जिले में विज्ञान की शिक्षा देने वाले विद्यालय

*११९—श्री दीपनारायणसिंह—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में विज्ञान (कृषि) एवं विज्ञान (भौतिक रसायन एवं बाइलोजी) शिक्षा हाई स्कूल व इंटर कक्षाओं तक की शिक्षा दे सकने की सामर्थ किन-किन विद्यालयों में है और वहां कितने-कितने विद्यार्थी तक भर्ती किये जा सकते हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—वांछित सूचना संलग्न सूची (क) में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८४५ पर)

*१२०—श्री दीपनारायणसिंह—क्या शिक्षा मंत्री जिला फतेहपुर में विज्ञान की और कक्षायें अपने राजकीय इंटर कालेज, फतेहपुर व बिन्दकी व खागा व अन्य स्थानों के कालेजों में खुलवायेंगे व सरकारी सहायता देंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर—राजकीय इंटर कालेज, फतेहपुर में इंटर विज्ञान के नये सेक्शन खोलने का प्रश्न विचाराधीन है ।

नेहरू म्युनिसिपल बोर्ड इंटर कालेज, बिंदकी में हाई स्कूल विज्ञान तथा श्री सुखदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खागा में इंटर विज्ञान में अतिरिक्त सेक्शन खोलने का सम्प्रति कोई विचार नहीं है । अन्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को हाई स्कूलों या इंटर विज्ञान की मान्यता माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता की शर्तों की पूर्ति पर दी जाती है ।

जहां तक आर्थिक सहायता का प्रश्न है ऐसी सहायता प्राप्त संस्थाओं को जो विज्ञान विषय में शिक्षा देने के लिये मान्य हो विज्ञान की शिक्षा का उचित प्रबंध करने के लिये आर्थिक सहायता दिये जाने की एक उप योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना में है जिसके अन्तर्गत ऐसी संस्थाओं को विज्ञान की शिक्षा के लिये सहायता दी जाती है ।

*१२१—१२३—श्री बेदराम (जिला एटा)—[१९ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

## 'राष्ट्रगान'

*१२४—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह राष्ट्रीय एकता सम्मेलन की इस सिफारिश को कि विद्यालयों में दैनिक कार्यक्रम छात्रों द्वारा राष्ट्रगान के सामूहिक गान से प्रारम्भ किया जाना चाहिये लागू करने के बारे में कुछ विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह कब तक लागू की जायेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—राष्ट्रीय एकता सम्मेलन की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् वर्तमान शिक्षासत्र से सभी शिक्षा संस्थाओं में प्रतिदिन दैनिक कार्य आरम्भ करने के पूर्व राष्ट्रीय गान गाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

## प्राथमिक पाठशालाओं के अप्रशिक्षित अध्यापक

*१२५—श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक पाठशालाओं में कार्य करने के लिये क्या जूनियर हाई स्कूल पास वालों को न रखने का आदेश सरकार की ओर से गया है ? यदि हां, तो क्यों और अप्रशिक्षित अध्यापकों की क्या योग्यता रखी गई है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं । प्राथमिक पाठशालाओं के अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिये न्यूनतम योग्यता जूनियर हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा निर्धारित है ।

*१२६—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—[१९ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

## फलदार वृक्ष

*१२७—श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फल देने वाले हरे वृक्षों को कटाने के लिये कोई आदेश जारी किया गया है कि जिलाधिकारी वर्ग अगर चाहे तो परमिट द्वारा फल देने वाले हरे पेड़ कटवा सकते हैं और ग्राम सभा की स्वीकृत की कोई आवश्यकता नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं ।

## खनसर पट्टी में वर्षा से क्षति

*१२८—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—सीमान्त जिला चमोली के अन्तर्गत पट्टी खनसर के नैल, देवपुरी व झूमा खेत आदि ग्रामों में दिनांक १४,१५ मोलाय सन् १९६२ को घनघोर वर्षा के कारण जो भारी क्षति हुई है ? क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को कोई उसकी सूचना प्राप्त हुई है तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या सहायता की व क्या मदद करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना एकत्रत की जा रही है ।

*१२९—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—क्या मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त खनसर पट्टी में रामगंगा को पार करते हुये दिनांक १७ जुलाई, १९६२ और उसके आस-पास ग्राम गड़ोत तथा दूसरे गांव वालों की जो जाने गई उनकी संख्या कुल कितनी है और सरकार ने उन क्षति ग्रस्त परिवारों की सहायता के लिये क्या सहायता की तथा क्या सहायता करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

## जेड० ए० सी० मोहर्रिर

*१३०—श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ), श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जेड० ए० सी० विभाग में जो मुहर्रिर के पद पर ३ वर्ष से अधिक अरसा से कार्य कर रहे हैं उनको स्थायी करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है तथा क्या उन्हें कलेक्टरी विभाग की लिस्ट ए०पी०वी० में रखने जा रही तथा जो मुहर्रिर अथवा क्लर्क पटवारियान पास जेड० ए० सी० विभाग में कार्य कर रहे हैं, क्या उन्हें रेग्यूलर लाइन में रेवेन्यू विभाग में अन्य लेखपालों तथा ए०आर०के० से उनकी सर्विस के लिहाज से स्थायी किया जा रहा है ?

श्रीहुकुमसिंह विसेन—जेड० ए० सी० मुहर्रिरों के सभी पद अस्थायी हैं। उनके स्थायीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। अतः इस समय उक्त मुहर्रिरों के स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता। उन्हें कलेक्टरों के लिये निर्धारित पेड अप्रेन्टिसों (Paid Apprentices) की 'ए' अथवा 'बी' लिस्ट में भी नहीं रखा जा रहा है। पटवारियान पास जेड०ए०सी० क्लर्क तथा मुहर्रिरों को लेखपाल अथवा ए०आर० के० के पदों पर नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## अतारांकित प्रश्न

१—श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—[माननीय सदस्य के सदन की सेवाओं से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिया गया।]

## महेशपुर के गृह विहीन हरिजन

२—श्री मंगलदेव—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई के तहसील हरदोई के ग्राम महेशपुर मजरा लालपुर में अक्तूबर, १९६१ में बाढ़ आई थी और हरिजन बस्ती बाढ़ में बह गयी? यदि हां, तो उन हरिजनों को क्या सहायता दी गयी और कहां बसाया गया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सन् १९६१ में अधिक वर्षा तथा छोटे नाला निकट होने के कारण ग्राम महेशपुर मजरा लालपुर में पानी भर गया था फलस्वरूप २७ मकान गिर गये थे जिसमें से २२ मकान हरिजनों के थे। गृह विहीन हरिजन इसी मजरे में नं० ११६१ की भूमि में बस गये हैं। हरिजनों को मकान निर्माण हेतु १० रु० प्रति व्यक्ति ऋण भी दिया गया तथा इसके अतिरिक्त ६ हरिजनों को बीज के लिये १०० रु० तकावी दी गई।

३—श्री मंगलदेव—क्या यह सही है कि उनके बार-बार प्रार्थना करने पर भी उन्हें न जमीन दी गयी और न जमीन खरीदने के लिये रुपया ही दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। जमीन खरीदने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया गया।

४—श्री मंगलदेव—क्या यह सही है कि उस ग्राम के उत्तर नं० १४६१ रकबा ६ बीघा ६ बिसवा बाग की जमीन को हरिजनों ने खरीद कर मकान बना लिया है और अब सरकार की ओर से उस जमीन का लगान मांगा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बाग का सही नम्बर ११६१ है इसकी ५ बीघा जमीन वहां बसाये गये हरिजनों ने स्वयं ही खरीद ली है। यह बाग भूमि पर कर से मुक्त है। इसके लिये कोई लगान व मालगुजारी नहीं मांगी जा रही है।

५—७—श्री गणेशचन्द्र काछी—[१९ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

## इन्टरमीडिएट एजूकेशन संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन

८—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—क्या शिक्षा मंत्री दिनांक २४ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २ और ३ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि स्टे आर्डर कब हुआ तथा अन्तिम निर्णय हाईकोर्ट का क्या और कब हुआ?

आचार्य जुगल किशोर—स्टे आर्डर १-११-६० को हुआ। हाई कोर्ट द्वारा १-५-६२ को रिट केस खारिज किया गया।

९—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री सहदेव सिंह—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त कितने विद्यालयों का अनुदान रोका गया है तथा उनमें से आजमगढ़ जिले के कौन-कौन हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—प्रशासकीय योजना लागू न करने के आधार पर किसी सहायता प्राप्त विद्यालय का अनुपालन अनुदान नहीं रोका गया ।

## फूलपुर व सदर तहसीलों में वर्षा की कमी

१०—श्री मंगलदेव—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की फूलपुर और सदर तहसील के तप्पा निजामाबाद तप्पा नन्दांव, तप्पा अठहरा और तप्पा दीदारगंज के इलाके में इस वर्ष भयंकर सूखा पड़ गया है ? यदि हां, तो कितने गांव प्रभावित हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कथित क्षेत्रों में वर्षा देर से हुई है किन्तु सूखे की स्थिति पैदा नहीं हुई है । प्रश्न के दूसरे खंड का सवाल पैदा नहीं होता है ।

११—श्री मंगलदेव—क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्रों में पानी न बरसने से धान की रोपाई दो आने से अधिक नहीं हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं । धान की रोपाई सम्पूर्ण क्षेत्र में हुई है ।

१२—श्री मंगलदेव—क्या ऐसी दशा में सरकार अपने किसी भी प्रकार के पावने की वसूली तुरन्त रोक कर उन किसानों की उचित सहायता करेगी और मालगुजारी की छूट करेगी ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—सूखे की स्थिति पैदा नहीं हुई है अतः सूखे के कारण सरकारी पावनों की वसूली को रोकने तथा मालगुजारी में छूट देने का प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

## बाबूपुर गांव से चकबन्दी के विरुद्ध शिकायतें

१३—श्री रामकिशोर वर्मा—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाबूपुर मजरा कंसाखेरा तहसील बिन्दकी जिला फतेहपुर के १२, १३ किसानों के प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ मई के अन्तिम सप्ताह में उन्हें (मंत्री जी) चकबन्दी में अनियमिततायें करने, रिश्वत मांगने तक चकों के लिये निर्धारित रकबे से कम रकबा देने के संबंध में प्राप्त हुये थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां । प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं जिन पर जांच की गई और रिश्वत संबंधी आरोप निराधार पाए गये । कृषकों द्वारा अवैधानिक रूप से मेंड़ों के तोड़ लेने तथा लिखावट की त्रुटि के कारण कुछ चकों में क्षेत्रफल की कमी के सम्बन्ध में अनियमितता हुई है जिसे ठीक करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

१४—श्रीरामकिशोर वर्मा—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ५वें शुक्रवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के तारांकित प्रश्न संख्या १०४ के संदर्भ के उत्तर में कंसाखेरा के मजरा बाबूपुर में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये सुरक्षित भूमि जिसका ब्योरा सदन की मेज पर रक्खा गया था, क्या अब भी वह भूमि सुरक्षित है अथवा चकों में शामिल कर दी गई है ? यदि भूमि अब भी सुरक्षित है ? तो क्या प्रत्येक प्रयोजन के लिये सुरक्षित भूमि के नम्बर व रकबा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त भूमि अब भी सुरक्षित है और उसे चकों में शामिल नहीं किया गया है । उक्त भूमि के नम्बर, रकबा तथा वह किन किन प्रयोजनों के लिये सुरक्षित की गई है आदि की सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है ।

१५-१६—श्री सहदेवसिंह—[१९ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

१७—१९—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—[१९ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये । ]

## भीटी ग्राम में आम की गुठली की रोटी खाने से मृत्यु

२०—श्री कल्पनाथसिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि भौवापार परगना जिला गोरखपुर के भीटी नामक ग्राम में गरीबी के कारण एक परिवार आम की गुठली की रोटी खाने के कारण मर गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त परिवार ने आम की गुठली की रोटी क्यों खायी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—भीटी ग्राम के एक परिवार के चार व्यक्ति मर गये पता चला है कि उन्होंने आम की गुठली की रोटी खाई थी जो बासी थी और उसके विषाक्त प्रभाव के कारण वह दुर्घटना हुई । उस क्षेत्र में आम की गुठली की रोटी कभी कभी खाते हैं । उक्त परिवार के लोगों ने गरीबी के कारण नहीं किन्तु इस प्रचलन के अनुसार ही आम की गुठली की रोटी खाई थी ।

२१—श्री कल्पनाथसिंह—क्या सरकार को पता है कि गोरखपुर जिले के अन्य भागों में भी गरीबी के कारण भुखमरी की घटनायें हो रही हैं जिससे रोगी कह कर टाल दिया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं । यह सही नहीं है कि गोरखपुर जिले में भुखमरी की घटनायें हो ही हैं । भुखमरी वाले व्यक्तियों को रोगी कह कर टाल देने का प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

२२—श्री कल्पनाथ सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाढ़ क्षेत्र में लोग अखाद्य पदार्थ न खाये इसकी रोकथाम की कोई व्यवस्था वह कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला गोरखपुर के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में सरकार द्वारा २,१५,००० रु० के मूल्य के खाद्य पदार्थ व अन्य आवश्यक वस्तुयें वितरित की गई हैं, इसके अतिरिक्त गैर सरकारी संस्थायें भी प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थों का वितरण कर रही हैं । पीड़ितों को रोजी दिलाने के लिये जनशक्ति उपभोग योजना (Man Power Moblization) तथा टेस्ट चलाने का भी विचार है ।

२३—श्रीमती रामरती (जिला फैजाबाद)—[ हटा दिया गया ] ।

## मुरादाबाद जिले में कलेक्शन विभाग के चपरासी

२४—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद के कलेक्शन विभाग में कितने चपरासी परमानेन्ट और कितने सीज़नल काम करते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला मुरादाबाद के कलेक्शन विभाग में १६१ चपरासी सम्पूर्ण वर्ष के लिये और १६१ चपरासी आवश्यकता वसूली के समय में काम करते हैं । इन चपरासियों के स्थायी करने का प्रश्न राजस्व परिषद् के विचाराधीन है और निर्णय हो जाने पर स्थायी किये जाने की आज्ञा प्रेषित कर दी जावेगी ।

## अहरा ग्राम के चमारों को पीड़ित करने की शिकायत

२५—श्री श्यामलाल—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बस्ती जिले में पो० व थाना मुडेखां के अन्तर्गत ग्राम अहरा के एक भूतपूर्व बहुत ही तपा हुआ जमींदार जिसका नाम राघवकुमार पाल है, उसने अहरा के ८० घर चमारों को अपने साम-दाम-दंड-भेद की नीति से हद से ज्यादा गत कई वर्षों से परेशान कर रखा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही नहीं है कि राघवकुमार पाल ने अहरा के चमारों को परेशान कर रखा है ।

२६—श्री श्यामलाल—क्या यह भी सही है कि अहरा क्षेत्र के सहायक चकबन्दी अधिकारी जो मिस्टर राघवकुमार पाल के भाई-भतीजे हैं उनसे मिल कर अहरा के सभी चमारों का घर, बाग, खेती-बारी सभी अपने नाम से उक्त जमींदार नें लिखा लिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह सही नहीं है कि अहरा क्षेत्र के सहायक चकबंदी अधिकारी ने चमारों का घर, बाग, इत्यादि उक्त भूतपूर्व जमींदार के नाम लिख दिया है । सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार वे उक्त भूतपूर्व जमींदार के संबंधी नहीं हो सकते ।

२७—श्री श्यामलाल—यदि यह सही है, तो सरकार इन कमजोर कहे जाने वाले चमारों के हित की रक्षा हेतु और उक्त जबरदस्त भूतपूर्व जमींदार के अन्यायपूर्ण कार्यवाही के खिलाफ कौनसा कदम उठाने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह प्रश्न नहीं उठता ।

## चकबन्दी

२८—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के उन गांवों की जिनकी चकबन्दी हो चुकी है तथा जिनके रिकर्ड आपरेशन के बाद नोटिफिकेशन हो चुका है उनके चकों के क्षेत्रफल नकशे से टैली कराने के लिये वेरिफिकेशन की कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—चकबन्दी अधिनियम की धारा ५२ के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रख्यापित होने के पश्चात् चकों के क्षेत्रफल नकशों से मिलान करके ठीक करने के लिये कोई योजना नहीं बनाई गई है । नक्शों की मौके के अनुसार जांच व तरमीम भूमि लेख नियमावली (Land Records Manual) में अंकिम पद्धति के अनुसार की जाती है । अतः चकबन्दी के अन्तर्गत इस प्रकार की योजना की आवश्यकता नहीं है ।

२९—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों के स्थानों को स्थाई करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं ।

चकबन्दी विभाग अस्थायी है । इसलिये इस विभाग के कर्मचारियों के स्थानों को स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता ।

३०—३२—श्री बृजेश्वरसहाय—[१९ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

## गाजीपुर जिले में टेस्टवर्क चलाने की प्रार्थना

३३—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेंगी कि गाजीपुर जिले की गरीबी तथा दयनीय स्थिति को देखते हुये वहां पर टेस्ट वर्क चालू करने की कोई योजना बनाने पर विचार करेगी ताकि इस समय खरीफ़ की फसल बर्बाद होने के कारण वहां के किसानों को जीविका मिल सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—टेस्ट वर्क का खोलना दैवी आपदाओं पर निर्भर करता है और वे संकट काल में जीविका देने के उद्देश्य से एंव अभाव की वास्तविक स्थिति को आंकने के लिये खोले जाते हैं ।

गाजीपुर में देर से बरसात शुरू होने के कारण कुछ क्षति अवश्य हुई परन्तु बाद में वर्षा होने के कारण स्थिति संभल गई है । इस कारण से टेस्ट वर्क चालू करने की तात्कालिक आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

३४—श्री कमलासिंह यादव—[१५ वें गुरुवार के लिये प्रश्न १४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।

## रजा डिग्री कालेज, रामपुर

३५—बेगम किश्वर आरा (जिला रामपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि रामपुर रजा डिगरी कालिज रामपुर में फारसी पढ़ाने के लिये कोई लैक्चरर नहीं है ? यदि हां, तो कब तक प्रबन्ध हो जायेगा ?

आचार्य जुगलकिशोर—प्रबन्ध कर दिया गया है ।

## हमीरपुर जिले में हरिजन अमीन

३६—श्री मोहनलाल अहिरवार (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर जिले में तहसीलवार all year round कुल कितने collection अमीन हैं और उनमें हरिजनों की संख्या कितनी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमीरपुर जिले में ए० आई० आर० कलेक्शन अमीनों की कुल संख्या १०१ है जिनमें से ७ हरिजन कलेक्शन अमीन है इनका तहसीलवार ब्योरा निम्न प्रकार है :—

| तहसील | अमीनों की कुल संख्या | हरिजन अमीनों की संख्या |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| १—हमीरपुर .. .. .. | १७ | १ |
| २—मौदहा .. .. .. | २१ | २ |
| ३—महोबा .. .. .. | १३ | १ |
| ४—चरखारी .. .. .. | २० | २ |
| ५—राठ .. .. .. | ३० | १ |
| योग .. | १०१ | ७ |

३७—श्री मोहनलाल अहिरवार—[१९ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

## बड़ौत–बुढ़ाना सड़क

३८—श्री विजयपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बड़ौत से बुढ़ाना (जिला मेरठ व मुजफ्फरनगर) सड़क पर कब से कार्य आरम्भ होगा और उसके कब तक पूरे हो जाने और बड़ौत व बुढ़ाना के बीच में किन-किन गांव के पास से वह सड़क गुजरेगी ?

श्री गिरधारीलाल—बड़ौत–बुढ़ाना मार्ग पर निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है और आशा की जाती है कि इसपर कार्य दिसम्बर, १९६५ तक पूर्ण हो जायगा ।

यह सड़क जिन ग्रामों से गुजरेगी उनकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ ८४६ पर )

३९—४०—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर)—[१९ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये । ]

## कानपुर अन्तरिम जिला परिषद् की नई प्राइमरी पाठशालाएं

४१—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि अन्तरिम जिला परिषद् कानपुर को सरकार ने वित्तीय वर्ष १९६१–६२ व १९६२–६३ में लड़के व लड़कियों की प्राइमरी पाठशाला खोलने की आज्ञा प्रदान की थी तथा उसके लिये सरकार ने कितना धन प्रदान किया ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां ।

१९६१–६२ में २,७१,८०० रु० (अनावर्तक) व ६३,८५२ रु० (आवर्तक)

१९६२–६३ में १,४७,८०० रु० (अनावर्तक') व १,९१,२७६ रु० (आवर्तक)

(इसमें १९६२–६३ में खुलने वाले स्कूलों के लिये दिया जाने वाला आवर्तक अनुदान सम्मिलित नहीं है क्योंकि वह स्कूल खुल जाने के पश्चात् ही दिया जायेगा । )

४२—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि उपरोक्त पाठशालाओं को कानपुर अन्तरिम जिला परिषद् ने किन-किन स्थानों में खोला है क्या सरकार उसकी सूची सूचनार्थ सदन की मेज पर प्रेषित करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—१९६१–६२ में खोले गये स्कूलों की सूची संलग्न है । १९६२–६३ में स्कूल अभी नहीं खुले । ५४ मिश्रित (बालकों के) तथा २० बालिकाओं के स्कूल १ अक्तूबर, १९६२ से खोलने की आज्ञा है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८४७–८४९ पर )

४३—४५—श्री मन्नालाल—[हटा दिये गये ।]

४६—श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—[१९ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया । ]

४८–४९—श्री मन्नालाल—[माननीय सदस्य के सदन की सेवाओं से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिये गये । ]

## कछिलाघाट पुल पर यातायात कर

५०—श्री बेदराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो पुल कछिलाघाट पर रेलवे लाइन पर बढ़ाया गया था उस पर कितना रुपया व्यय हुआ था और यातायात कर द्वारा कितना अब तक वसूल हो गया है ? यदि लागत का कुल रुपया वसूल हो गया, तो क्या यातायात कर हटाने को सरकार कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—इस पुल पर ९,४४,८३६ रुपया व्यय हुआ था तथा १५-९-१९६२ तक ८,६६,३३३ रुपया यातायात कर द्वारा वसूल हुआ। पूरा रुपया वसूल होने पर यातायात कर बन्द कर दिया जावेगा।

## बिलहरी ग्राम में पट्टे

५१—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बतायेगी कि जिला सीतापुर में तहसील सिधौली में ग्राम सभा बिलहरी के जगह के पट्टे किये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

५२—श्री शिवेन्द्रप्रताप—क्या सरकार बतायेगी कि जो पट्टे किये गये उनमें कितने लोग ग्राम सभा बिलहरी के हैं तथा कितने बाहर की ग्राम सभाओं के हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—११ व्यक्ति ग्राम सभा बिलहरी तथा ७ व्यक्ति अन्य ग्राम सभाओं के हैं।

५३—श्री शिवेन्द्रप्रताप—क्या प्रश्नकर्ता का कोई पत्र इस आशय में जून के अन्तिम सप्ताह में जिलाधीश सीतापुर तथा डिप्टी कलेक्टर सिधौली को मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक पत्र ३ जुलाई, १९६२ को प्राप्त हुआ था जिसकी जांच की गई।

## देवरिया जिले में दाखिल खारिज के मुकदमे

५४—श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के चारों तहसीलों में ६ अगस्त, १९६२ को दाखिल खारिज के कितने मुकदमें थे ? क्या उनकी संख्या हर जगह सैकड़ों में है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—६ अगस्त, १९६२ को देवरिया जिले की प्रत्येक तहसील में दाखिल खारिज के मुकदमें निम्नप्रकार थे—

| तहसील | संख्या |
|---|---|
| १—देवरिया .. .. .. .. .. | ८८६ |
| २—सलीमपुर .. .. .. .. .. | ६४५ |
| ३—पदरौना .. .. .. .. .. | ७०२ |
| ४—हाटा .. .. .. .. .. | ६९३ |
| योग .. | २,९२६ |

उपरोक्त मुकदमों की संख्या ज्यादा होने का कारण यह है कि गत ३ महीनों के यानी मई, जून व जुलाई में उपरोक्त तहसीलों में २,७२३ मुकदमें दाखिल खारिज के दायर हुये थे।

## ग्राम समाज सुजानपुर की भूमि

५५—श्री रामचरण शाह—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव समाज सुजानपुर तहसील निघासन (खीरी) के अधिकार में इस समय कितनी भूमि है और सीलिंग के बाद कितनी हो जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१६१८.१५ एकड़, सीलिंग से इस पर कोई प्रभाव न पड़ेगा।

५६—श्री रामचरण शाह—क्या माल मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त गांव समाज के अधिकार में जो भूमि सीलिंग के बाद होगी उसमें से कितनी भूमि खेती के योग्य है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१२०३.५१ एकड़।

५७—श्री रामचरण शाह—क्या माल मंत्री यह भी बतायेंगे कि उस गांव समाज की भूमि को भूमिहीनों में वितरित करने का विचार है या चरागाह छोड़ने का ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस पर निश्चय ग्राम समाज ही ले सकती है।

## बस्ती खैर इंडस्ट्रियल कालेज के छात्रावास में हरिजनों को न लेने की शिकायत

५८—श्री श्यामलाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती खैर इंडस्ट्रियल इंटर कालेज को सरकार की ओर से पूरा अनुदान मिलता है फिर उक्त कालेज होस्टल में हरिजन विद्यार्थियों को क्यों नहीं भरती किया जाता है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां।

इस वर्ष किसी हरिजन छात्र ने छात्रावास में प्रवेश पाने हेतु १५-७-१९६२ तक अनुरोध नहीं किया। गत वर्षों में भी किसी हरिजन छात्र का छात्रावास में प्रवेश हेतु प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ।

५९—श्री श्यामलाल—क्या सरकार को मालूम है कि उक्त कालेज के दर्जनों हरिजन विद्यार्थी बस्ती में मारे-मारे फिर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उनके रहने की व्यवस्था सरकार खैर इंडस्ट्रियल इंटर कालेज के होस्टल में अधिकारियों से शीघ्रातिशीघ्र करायेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी, नहीं।

दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

## पचखोरा ग्राम में श्री उदयभान राय की भू-सम्पत्ति

६०—श्री उमाशंकर—क्या माल मंत्री कृपा कर के यह बतायेंगे कि जिला आजमगढ़ तहसील व परगना सगड़ी के ग्राम पचखोरा निवासी स्वर्गीय उदयभान राय की विधवा की मृत्यु के बाद उनकी भूमि सम्पत्ति किन-किन ग्रामवासियों को कितनी-कितनी बटी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उनकी भूमि सम्पत्ति ग्राम समाज पचखोरा हरीराम, देवई, रसूलपुर, मन्दुरी तथा जेहरा पिपरी में क्रमशः ३.२३६ एकड़, ५.४८४ एकड़, ०.६९५ एकड़ तथा ०.३६५ एकड़ बटी है।

६१—श्री उमाशंकर—क्या मन्त्री जी कृपया यह बतायेंगे कि उक्त विधवा के मरने के बाद उनकी भूमि, सम्पत्ति और बाग़ की कितनी सालाना आय किस-किस ग्राम समाजों के कोष में जमा हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त सम्पत्ति से गांव समाजों को कोई आमदनी नहीं हुई।

६२—श्री उमाशंकर—क्या मंत्री जी यह बता सकते हैं कि पचखेरा ग्राम समाज के अन्तर्गत रौसड़ ग्राम में सन् १९५२ में ग्राम समाज या ग्राम पंचायत के अधिकार में कितनी भू-सम्पत्ति रही है और आज कल कितनी है और कितने का किस नियम के अनुसार वितरण किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सन् १९५२ में १०४.५११ एकड़ भूमि थी तथा इस समय ९९.०७१ एकड़ है।

अदालत की आज्ञानुसार ५.४४० एकड़ भूमि कुछ लोगों के नाम भूमिधरी दर्ज की गयी है।

## प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों का साक्षात्कार

६३—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लोक सेवा आयोग ने उन सभी प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों को साक्षात्कार हेतु बुलाया था जिनका सेवाकाल इस पद पर कार्य करने का तीन वर्ष या उससे अधिक था ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां।

६४—श्री मुमताज मुहम्मद खां—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त तीन वर्ष की अवधि की गणना कब से और किस तिथि से की गई ?

आचार्य जुगलकिशोर—१ जनवरी, १९६२ को जिन अस्थायी प्रति उप-विद्यालय निरीक्षकों ने ३ वर्ष का सेवा काल पूरा कर लिया था उन सब को आयोग ने साक्षात्कार के लिये बुलाया था।

६५—श्री मुमताज मुहम्मद खां—क्या सरकार को ज्ञात है कि लगभग २८५ प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं जो कई वर्षों से अस्थायी रूप से कार्य कर रहे थे ? उनके स्थान पर लोक सेवा आयोग द्वारा नये अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है और विभाग में कार्य करने वाले बहुत ही कम अस्थायी प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों को चुना गया है जब कि विज्ञापन के अनुसार ऐसे प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया गया था ?

आचार्य जुगलकिशोर—केवल २७६ अस्थायी प्रति उप-विद्यालय निरीक्षकों की सेवायें समाप्त की गईं जिनके स्थान पर आयोग द्वारा निर्वाचित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है विज्ञापन में उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने का प्राविधान था जिन्हें स्कूलों के निरीक्षण का कम से कम १ वर्ष का पूर्व अनुभव प्राप्त हो। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग ने विभाग के अधिकांश अस्थायी प्रति उप-विद्यालय निरीक्षकों को अन्य बातों में चुनाव के लिये उपयुक्त नहीं पाया।

## कान्स्ट्रक्टिव एल० टी०

६६—श्री काशीनाथ मिश्र—क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५८ तक सेवा कार्य में आ गये कितने Constructive L. T अध्यापकों को दो advance increments मिल चुके हैं और कितनों को एक, और कितनों से चुकता की गई अग्रिम बढ़ोत्तरी वापस ले ली गयी है ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। इसके एकत्र करने में २-३ माह का समय और लगेगा और एकत्रित होने पर माननीय सदस्य को दे दी जायगी।

६७—श्री काशीनाथ मिश्र—क्या इस प्रकार की राजाज्ञाओं और निर्देशों से अध्यापकों में व्यापक असंतोष नहीं फैल रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—शासन को किसी व्यापक असन्तोष की सूचना नहीं है।

## उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १५५ के अन्तर्गत यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ जो विधान सभा द्वारा १७ सितम्बर, १९६२ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से, बिना किसी सिपारिश के दिनांक ४ अक्तूबर, १९६२ को वापस प्राप्त हो गया है।

## उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—मैं यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२, जो विधान सभा द्वारा २० सितम्बर, १९६२ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक ४ अक्तूबर, १९६२ को वापस प्राप्त हो गया है।

## उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २० अगस्त, १९६२ की बैठक में पारित किया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो विधान परिषद् से बिना किसी सिपारिश के ३ सितम्बर, १९६२ को वापस प्राप्त हो गया, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २९ सितम्बर १९६२ को प्राप्त हो गयी है और वह १९६२ का उत्तर प्रदेश का १०वां अधिनियम बन गया।

## श्री हरखयालसिंह के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन के समक्ष एक दुःखद घटना की जानकारी कराना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे एक पुराने साथी जो इस सदन के सदस्य १९५२–५७ तक रहे—श्री हरखयाल सिंह जी-वे इस संसार से विदा हो गये। वे एक नवयुवक थे और उस क्षेत्र से आते थे जो क्षेत्र सदा आजादी की लड़ाई में अगुआ रहा है। बड़ौत का स्थान मेरठ में विख्यात है। वे वहां के प्रतिनिधि थे। इस सदन में जब तक वे सदस्य रहे, उन्होंने सदा प्रगतिशील कार्यों में हिस्सा लिया और उस उमंग तथा उत्साह का परिचय जनता की सेवा के कार्यों में भी दिया जो उत्साह और उमंग किसी भी नवयुवक सार्वजनिक कार्यों के लिये होनी चाहिए। अपने क्षेत्र की जनता को उन्होंने वर्षों तक सेवा की तथा उस क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने में प्रयत्नशील रहे। दो, तीन दिन की बीमारी में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी जिसमें डाक्टर और दवा भी उनका साथ न दे सकी और वे हमारे बीच से हमेशा के लिये विदा हो गये। मैं इस सदन की ओर से अपनी श्रद्धांजलि आप के द्वारा उनके घर वालों को इस दुःख के अवसर पर भिजवाना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप हमारे इस सदन की सहानुभूति और जो दुःख और नुकसान उनके घरवालों को इस भारी क्षति से हुआ है, उस क्षति पर हमारी समवेदना उनको भेजेंगे और इस प्रकार से उस व्यक्ति के प्रति जो हमारे बीच में नहीं रहा, हमारी श्रद्धा उनके लिये प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे।

**श्री यादवेन्द्रदत्त** (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मृत्यु का समाचार दुःखद होता ही है, परन्तु जब हम लोगों के बीच से अच्छे लोग उठने लगते हैं तो और भी दुःख होता है। माननीय हरखयाल सिंह के विषय में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो बातें कही हैं उनसे मैं जनसंघ को सम्बद्ध करता हूं और अपने को भी सम्बद्ध करता हूं और श्रीमन् से निवेदन करता हूं कि हम सब की समवेदना, संतप्त और दुखी परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जानकर आश्चर्य और तकलीफ दोनों हुई कि माननीय हरखयाल सिंह का स्वर्गवास हो गया। माननीय हरखयाल-सिंह का साथ ५–७ वर्ष तक इस सदन में हम लोगों का रहा है। जितना अच्छा स्वभाव और जिस ढंग से लोगों से मिलने जुलने व काम करने का उनका ढंग था, उसे याद करके बड़ी चोट लगती है। आज उनकी आवश्यकता थी और मेरठ, जिसका हमारे प्रदेश में एक ऊंचा स्थान है, उसके वे ऐसे नवयुवक थे जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता था। उनके देहावसान से बड़ी क्षति हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं अपने दल की तरफ से समवेदना प्रकट करता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि आप उनके संतप्त परिवार को हमारी समवेदना और सहानुभूति भिजवाने की कृपा करें।

**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)—मान्यवर, चौधरी हरखयाल सिंह से मेरा सम्पर्क इस सदन में ५ वर्ष तक रहा। अनेक अवसरों पर उनसे विचार-विमर्श करने का भी अवसर मिला और मेरा भाव उनके प्रति सर्वदा यही रहा कि वे एक गम्भीर, कर्मठ और शान्तिप्रिय राष्ट्रीय कार्यकर्ता जीवन में रहे और अन्त समय तक थे। उनके जाने से कम से कम मेरठ जिला जो हमारे प्रदेश का एक अग्रगण्य जिला रहा है और आज भी है, उसके सियासी जगत का जो स्थान खाली हुआ है ,वह जल्दी भरना मुश्किल होगा। इस अवसर पर खास कर जब कि वे चौधरी चरण सिंह जी के दाहिने हाथ के रूप में समझे जाते रहे, वह दाहिना हाथ नहीं रहा और हम सब नें उनके निधन से एक कार्यकर्त्ता और सियासी साथी खो दिया। हम अपना दाहिना हाथ खो जाने के रूप में इसे महसूस करते हैं। मान्यवर, मैं आप के जरिये अपने को और अपनी कम्युनिस्ट पार्टी को उनके प्रति सहानुभूति के साथ सम्बद्ध करते हुए आप से प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी समवेदना, सहानुभूति और श्रद्धाञ्जलि उनके शोक संतप्त परिवार तक भिजवाने की कृपा करें।

***श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, वास्तव में चौधरी हरखयाल सिंह जी के निधन से हम सब को बहुत दुःख महसूस हो रहा है। वह हमारे पुराने साथी रहे। उनके साथ हमें सदन में और कांग्रेस में एक साथ काम करने का अवसर मिला है। उनके सौजन्य और सौम्यता का प्रभाव हम पर अधिक है। वह एक ऐसे पुराने साथी थे, जो स्वतन्त्रता के जमाने में हमारे साथ रहे और उन्होंने बहुत सुन्दर परम्परायें हमारे लिये डालीं पिछले सदनों में, वे अब धीरे-धीरे बढ़ रही हैं, यह दुःख का विषय है। मैं और मेरा दल उनके निधन पर अपनी सहानुभूति प्रकट करता हैं और आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा कर के हमारी समवेदना उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

***श्री काशीनाथ मिश्र** (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय हरखयाल सिंह जी के निधन पर अपनी समवेदना और अपने दल की समवेदना उनके संतप्त परिवार और दोस्तों के प्रति व्यक्त करता हूं और उनके सद्गुणों के प्रति मैं नतमस्तक होता हूं।

***श्री भगवानसहाय** (जिला शाहजहांपुर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय हरखयालसिंह जो हमारे बीच से चले गये, इसका हमें बहुत दुःख है। माननीय हरखयालसिंह जी को हम अपने साथी के रूप में इस सदन में जानते थे और हमारा सौभाग्य था कि हम और वह एक ही पार्टी में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रह कर ५ साल तक बराबर काम करते रहे। वह एक सच्चे, ईमानदार और स्पष्ट कार्यकर्ता थे उनके संसार से चले जाने पर उनके क्षेत्र का जो नुकसान हुआ है और उनके जिले और प्रदेश की राजनीति का जो नुकसान हुआ है वह मैं समझता हूं कि मुश्किल से ही कमी पूरा हो सकेगी मैं आप के द्वारा अपने दल और अपनी ओर से उनके परिवार और इष्ट मित्रों तक अपनी श्रद्धाञ्जलि और समवेदना भेजना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**—मैं अपने आप को उन सभी भावनाओं से सम्बद्ध करता हूं जो इस सदन के विभिन्न दलों के नेताओं ने व्यक्त की हैं। वृद्ध और अनुभवी व्यक्तियों के उठ जाने से, जिन्होंने समाज का नेतृत्व किया हो, सब को दुख होता है, लेकिन उस वक्त इतना सन्तोष तो होता है कि वे अपने समय से गये और वह जीवन पथ पर कुछ पदचिन्ह छोड़ गये जिन पर हम चल सकते हैं। किन्तु एक युवक, जिसके ऊपर समाज की आशायें बंधी हों, वह जब चला जाता है तो समाज में एक बड़ा भारी अभाव उत्पन्न हो जाता है। मैं इस सदन के विचार और समवेदना संतप्त परिवार के पास भेज दूंगा। अब आप से निवेदन करूंगा कि आप दो मिनट के लिए खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर २ मिनट के लिये खड़े हुए।)

## श्री सत्यनारायण पांडेय द्वारा पुलिस अधिकारियों के कथित दुर्व्यवहार की शिकायत के सम्बन्ध में वक्तव्य (क्रमागत)†

**मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)**—अध्यक्ष महोदय, मैं आप के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि कल आप ने मेरी इस इस्तदुआ को मंजूर कर लिया कि सदन जिस समय कुछ आवेश में था उस समय जो प्रस्ताव मैंने सदन के स्थगन का आपके समक्ष प्रस्तुत किया उसे आपने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। मैं अपनी कृतज्ञता आपके लिये, आपके इस कार्य के लिये प्रकट करता हूं। हम सब के लिये और खास कर मेरे लिये यह दुख का विषय है कि सदन में ऐसी परिस्थितियां पैदा हों कि जो परिस्थितियां सदन के बाहर न तो हमारे बीच में कुछ सार्वजनिक परम्परायें रचने में सहायता प्रदान करें और न हमारे प्रदेश के नाम को ऊंचा उठा सकें। यह हमारा दुर्भाग्य है कि समय-समय पर इन कुछ महीनों में ऐसी घटनायें हो गईं जिन्होंने हम सब का सिर देशवासियों के समक्ष नीचा किया है।

कल आपने अवसर दिया कि मैं विभिन्न दलों के माननीय नेताओं से बात करूं और अपने उस साथी से भी बात करूं जिस साथी के विषय में इस सदन में चर्चा हुई और जिस चर्चा ने सदन में एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया जिसमें रोष की झलक भी दिखाई दी और आवेश की झलक भी दिखाई दी। मेरा यह कर्त्तव्य था कि ऐसे अवसर पर मैं आपके समक्ष प्रार्थना करूं कि मुझे आप अवसर दें कि इन नेताओं से और अपने साथी सत्यनारायण पांडेय जी से कुछ बातें कर सकूं, विचार विनिमय कर सकूं। मैं अपना आभार सत्यनारायण जी के प्रति प्रकट करता हूं, कल मैंने जब उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया तो वह मेरे घर पर आये और वही उनका बरताव जो एक पुराने साथी के प्रति होना चाहिये, मेरे प्रति रहा। उन्होंने, जिस घटनाचक्र में कल वह फंस गये थे, उसकी चर्चा की और अपने उस दुख को भी जाहिर किया जो दुख उन्हें घटनाचक्र में फंस जाने के कारण हुआ। मैं, हममें और उनमें क्या बातें हुई, उसके ब्योरे में इस अवसर पर नहीं जाना चाहता और न मैं उन बातों में ही जाना चाहता हूं जो माननीय नेताओं से विभिन्न दलों के इस अवसर पर मेरे और उनके बीच में हुईं। वे बातें जो मेरे और उनके बीच में हुई कभी न कभी सदन के समक्ष स्वतः आयेंगी।

एक बात माननीय सत्यनारायण जी से बात करके मुझे यह अनुभव हुई कि उन्हें इस बात का दुख है कि कल वे अकारण ही एक ऐसे झंझट की दलदल में फंस गये बाहर, जब वह

†४ अक्तूबर, १९६२ की कार्यवाही से।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

सड़क पर पान खाने के लिये इस सदन से बाहर गये हुये थे, उस सड़क पर जहां जनसंघ के सत्याग्रही इकट्ठा थे और कुछ पुलिस के वैन थे उसके सामने कुछ व्यक्ति लेटे हुये थे और कुछ हमारे दरवाजे के सामने लेटे हुये थे जहां से लोग आते हैं या जाते हैं। इस लेटने के कारण रास्ता बिलकुल बन्द सा था और वह उस भीड़ में फंस गये और उसके कारण अनजान में पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें यह कहा कि वह भी पकड़े जा रहे हैं। जब पुलिस के अधिकारियों को मालूम हुआ कि वह सदस्य हैं और वह सदन में आना चाहते हैं तो उन्हें आने को मिला। वे उस अधिकारी के पास गये जिस अधिकारी ने उन्हें पकड़ने का आदेश दिया था और उसने अपना नाम नहीं बतलाया और यह कह दिया कि वह पब्लिक सरवेंट है, उनका नाम बाद को विदित हो जायगा। उस अधिकारी के इस प्रकार कहने से उन्हें कुछ आघात पहुंचाया और वह ऐसा अहसास करते थे, जिस प्रकार से उन्होंने और मेरे माननीय मित्रों ने उनकी बात को मुझे बतलाया कि इस बात में और इस झंझट में उनके दिल को काफी तकलीफ पहुंची क्योंकि इस सदन के सदस्य के नाते वह अधिकारी से नाम पूछ सकते थे।

मैंने यह भी अनुभव किया कि हमारे साथी सत्य नारायण पांडेय जी हमारी आजादी के पुराने सिपाही रहे हैं और उन्होंने इधर बैठने वाले साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ी है। वह हमारे साथी काफी भावुक भी हैं। उन्हें इस व्यवहार से कि अधिकारी ने नाम नहीं बतलाया और उन्हें अरेस्ट का आदेश दे दिया, काफी आघात पहुंचा। मुझे दुख है कि उन परिस्थितियों ने जो कि सड़क के ऊपर घटीं, इस आघात को पहुंचाने का अवसर दिया। मैं भी एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हूं और वह भी एक पुराने सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं। एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता दूसरे सार्वजनिक कार्यकर्त्ता की भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकता है और उस व्यक्ति की भावनाओं को समझ सकता है जो कि पुलिस आदि के इस प्रकार से जवाब देने के विषय में काफी टची हो सकता है। मुझे बहुत दुख है कि एक सीधे सादे हमारे साथी को उन परिस्थितियों के बीच से गुजरना पड़ा और उन्हें उस आघात के लगने का अवसर मिला जो कि उनके हृदय पर उन परिस्थितियों ने पैदा किया। मैं उनसे पूरी सहानुभूति रखता हूं और मुझे दुख है कि परिस्थितियां हमारे बीच में इस प्रकार से आईं जिन्होंने उनके हृदय को आघात पहुंचाया।

नेतागण, विभिन्न दलों के, हमारे साथी हैं जिन्होंने वर्षों तक हमारे साथ मिल-जुल कर कार्य किया है और अधिकांशतः वे साथी हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हमसे कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सा लिया है। वे साथी हैं जिन्होंने एक साथ मिल कर महीनों और सालों जीवन बिताया है। अगर उनकी भावनाओं को कोई आघात लगता है, बिना किन्हीं ब्यौरे की बातों में जाये हुये तो मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे भी एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता के नाते जब उन्हें आघात लगता है तो वह आघात मुझे भी महसूस होता है। और मैं उन साथियों से विनतीपूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक राजनीतिक प्रश्नों और राजनीतिक मन्तव्यों का संबंध है, हमारे और उनके बीच में विभिन्नता है और रहेगी, परन्तु जहांतक सार्वजनिक जीवन की जो परम्परायें और उच्च आदर्श हैं यदि उनसे हम कहीं विचलित होते हैं तो हम में से प्रत्येक का यह कर्त्तव्य होता है कि हम सार्वजनिक जीवन की उन परम्पराओं को अपने बीच से दूर न हटने दें। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि न तो हमारे किसी अधिकारी की यह मंशा हो सकती है कि वह सदन के किसी सदस्य को अपमानित करे और जो सदन ने आदेश दिये थे कि एक व्यवस्था रची जाय जिससे कि सदन के सदस्य सुगमता से आ सकें हमने उन आदेशों का जो स्पीकर महोदय ने दिये थे उनका पालन किया है और अधिकारियों को जिन्हें ला ऐंड आर्डर की व्यवस्था रखने का आदेश दिया गया है उनसे कहा है कि वे प्रत्येक से इस तरीके से व्यवहार करें जिससे कोई व्यक्ति यह न समझे कि उसके साथ कोई ऐसी कार्यवाही की जा रही है जिसके विषय में यह कहा जाय कि कोई विंडिक्टिव

ऐटीट्यूड है। हां, पुलिस के कर्मचारियों को, जैसा मैंने कल भी निवेदन किया था अनप्लेजेंट कार्य करने पड़ते हैं और अपने उत्तरदायित्व को निबाहना पड़ता है। मैं आशा करता हूं कि हमारे बीच में विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा वह परिस्थितियां पैदा की जायंगी कि जिससे हमारे सदस्यगणों को सुगमता से आने दिया जाय और उनके बीच में कोई ऐसा अवसर पैदा न किया जाय जिससे कि भूल से भी कोई हमारा अधिकारी किसी को न जानते हुये कुछ ऐसा कह दे जिससे उसके दिल को आघात पहुंचे।

अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक इस बात को कहना चाहता हूं कि नयी परिस्थितियों को लाने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि हम सब लोग उन परिस्थितियों को लाने में सहयोग प्रदान करें और इस सदन की मर्यादा को रखने के लिये और संविधान से जो अधिकार इस सदन को मिले हैं उनको बचाने के लिये हम अपने बीच में उस स्वस्थ वातावरण को पैदा करें कि जो हमारे कार्य करने की क्षमता में बाधक न सिद्ध हो और हमें स्वतंत्रतापूर्वक इस सदन में आ कर अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर मिले और संविधान ने इस सदन को कानून बनाने का जो अधिकार दिया है उन कानूनों के बनाने के सिलसिले में हम सबका यह परम और पुनीत कर्त्तव्य है कि हम बहस से एक दूसरे को प्रभावित करने की चेष्टा करें और कोई ऐसी चीज अपने बीच में न पैदा करने दें जिससे कि न तो इस सदन की शोभा बढ़ सकती है और न उन परम्पराओं के रचने में हम अगुआ बन सकते हैं जिनके रचने की अभिलाषा और आकाँक्षा हमारे बीच में है।

मैं फिर से अपने साथी माननीय सत्यनारायण पांडे जी के प्रति अपनी सद्भावना रखते हुये और वह सहानुभूति रखते हुये जो एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता को दूसरे सार्वजनिक कार्यकर्त्ता के प्रति होती हैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे किसी अधिकारी का इरादा उनके दिल को आघात पहुंचाने का नहीं था और मुझे दुख है कि उन्हें यह अवसर मिला कि उन्होंने यह समझा कि उनके साथ जो व्यवहार किया गया वह अपमानित करने का था। मुझे आशा है, और इसलिये भी आशा है कि जब कल घंटे, डेढ़ घंटे तक मुझसे और उनसे बातें हुईं तो उसी वातावरण में हुईं जिस वातावरण में दो पुराने साथी मिल कर बातें करते हैं और उन्होंने सारी परिस्थिति के ऊपर प्रकाश डालते हुये और मेरा जो दृष्टिकोण था उसे अपनाते हुये मुझे यह अवसर दिया कि मैं दो शब्द उस संबंध में आपके सामने निवेदन कर सकूं।

बस, मुझे इतना ही कहना है और इतना कहते हुये उस सहयोग के आमंत्रण को जोकि मैंने सभी साथियों और विभिन्न दलों के नेताओं को देने के लिये पुकार की है मुझे विश्वास है कि वह सहयोग नेताओं के द्वारा इस सदन को और मुझे अपने उत्तरदायित्व को संभालने में मिलेगा, जिससे यह सदन अपनी मौजूदा मर्यादा में कार्य करते हुये अपने बीच में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न होने दे जो हमें और हमारे नाम को दूसरी जगह पर गिरावे।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, विरोधी दल के हित में यह है कि इस सदन में शांतिपूर्वक बहस मुबाहसे से अगर हम सरकार को किसी बात में राजी कर सकें तो वह अच्छा है। अगर राजी न कर सकें तो जो सबको मालिक जनता बाहर बैठी हुई है वह हमारी बात सुन सके और उसको वह समझा सकें कि हमने उचित कहा लेकिन हमारी बात नहीं मानी। वह हमारे हक में है कि सदन में बहस मुबाहसा शांतिपूर्वक चले। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बात का हम सदैव प्रयत्न करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।

माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी अफसरों को कर्त्तव्य पालन के साथ साथ उनको यह ट्रेनिंग दी जाय कि इस डैमोक्रेटिक सैटअप में उनको कुछ शिष्टता भी सीखनी चाहिये। यह बात इतनी न बढ़ी होती अगर कप्तान साहब गिरफ्तार करने के बाद आये होते और जानकारी हो जाने के बाद सत्यनारायण जी से इतनी बात कह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

दिये होते कि मुझे अफसोस है कि गैर जानकारी में मैंने आपको अरेस्ट करने का हुक्म दिया, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि माननीय सत्यनारायण जी सारी बात भूल जाते। इतने ऊंचे अफसर से हम अपेक्षा करते हैं कि उसको इतनी साधारण कर्टसी, शिष्टता सीखनी चाहिये। अगर नहीं सीखते हैं तो इतनी बड़ी बात हो जाय इसको उसे बचाना चाहिये। हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स बहुत थोड़े करीब १०४ कप्तान पुलिस और कलेक्टर हैं। उनको भी यह बात न आ सके तो बड़े दुख की बात है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं उनको सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं यह कहना चाहता हूं कि कभी कभी कोई असाधारण स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके समझने के भी अलग-अलग पैमाने हैं। कुछ ऐसे बिल आये इस समय कि उधर के लोग कुछ दूसरी तरह से समझे और हमने दूसरी तरह से समझा और जिस तरह से वे समझते हैं अपनी जगह पर कि इस काम को होना चाहिये, श्रीमन्, उतनी ही ईमानदारी से हम सोचते हैं कि नहीं होना चाहिये और एक दायरे में रहकर हम प्रयत्न करते हैं। लेकिन कभी कभी हम इस बात का प्रयत्न नहीं करते हैं कि किसी के विरुद्ध हिंसात्मक या दिल दुखाने वाली बात करें। अब साधारण तौर पर जैसा कि उन्होंने कहा कि गरमी आती है तो हमको भी आती है तो उसके निभाने का तरीका सोचना चाहिये और इस सदन में जहां परस्पर विरोधी विचार के लोग बैठते हैं वहां अगर हम अपने में टालने की शक्ति पैदा नहीं करते हैं तो काम नहीं चल सकता है। अब प्रश्न यह है कि टालने की शक्ति किसमें अधिक हो ? उसमें हो जिसमें ताकत अधिक हो। तो यह शक्ति सरकार में अधिक होनी चाहिये। जिसके पास कुछ है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि जो भी उस तरफ से हुआ है वह कुछ कड़ा है। दूसरी चीज यह है कि इसको कोई भी एप्रीशियेट करेगा कि हम कितनी ईमानदारी और सचाई से अपनी बात समझाना चाहते हैं।

एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। सत्याग्रह हमारे देश में मना नहीं है। बल्कि कांस्टीट्यूशन में डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स आफ स्टेट पालिसी दिये हुये हैं। उसके लिये अदालत में जाने का कहीं अधिकार नहीं है। अगर अदालत में जाने का अधिकार नहीं है फिर अगर हमें एजिटेट करने और आन्दोलन करने का अधिकार न हो तो सरकार गलत रास्ते पर चली जायगी। इसलिये अहिंसात्मक तौर पर अगर ऐसा कोई कानून बन रहा है जिससे देश को, डेमोक्रेसी को खतरा है तो विरोध करने का हमारा अधिकार है और अगर जनसंघ ने इस तरह का विरोध करने का फैसला किया तो वह ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसके संबंध में हम ऐसा समझ लें कि यह देश के विरुद्ध काम कर रहा है। उसे अधिकार है करने का। मैं सरकार से फिर एक बार कहना चाहता हूं कि उसके पास बड़ी ताकत है। आज आप वहां बैठे हैं। हो सकता है कि कभी मौका आये, हम को बैठने का मौका मिले। तो आप अगुआ हैं, अगुआ की तरह से वह उदाहरण उपस्थित करें जिससे आगे का भी रास्ता बन सके। आज जो माननीय मुख्य मंत्री ने रुख लिया मैं समझता हूं कि वह अच्छा है और आगे भी जो और काम हुये हैं उनके संबंध में आप सोचें, जिस तरह से यहां शांतिपूर्वक बहस मुबाहसा हो सके, एक दूसरे को समझाने का मौका मिल सके, वह स्थिति उत्पन्न हो, उसमें जो कुछ भी योगदान हम लोगों से हो सकेगा हम करेंगे।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सुन कर मुझे प्रसन्नता हुई, परन्तु दुख भी हुआ। प्रश्न सरकारी नौकरों के मिसबिहेबियर का था। उनके मिसबिहेवियर के प्रश्न को सत्याग्रह के प्रश्न में कनफ्यूज कर लेना मैं बहुत अनुचित समझता हूं। सत्याग्रह की मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बाबू गेंदासिंह ने बहुत ही स्पष्ट कहा है और आश्चर्य इस बात का हुआ कि माननीय मुख्य मंत्री ने जो कहा उसका अर्थ यही होगा कि किसी को दुख हुआ हृदय में तो मुझे दुख है। जिस शब्दावली में उन्होंने कहा कि हमारे साथियों को दुख है, तो

हम को दुख है, वह शब्दावली कुछ ऐसी विचित्र थी कि वह कुछ खटकने वाली है जो कि मुख्य मंत्री जी के स्थान से आशा नहीं थी। ठीक है। मैं जानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री का हृदय बहुत शुद्ध है। परन्तु यह भी जानता हूं कि उनकी वाचाल शक्ति और बुद्धि शक्ति में साम्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जो बात बाबू गेंदासिंह ने कही वह सत्य है। सदन में शांति हो यह तो विरोधी पक्ष के ही हित में है और जब बातें उठती हैं तो अकेली नहीं होतीं। उनकी कड़ियां होती हैं। जनतंत्र की सफलता के लिये टालरेशन बहुत आवश्यक है। म्युचुअल ऐडजस्टमेंट और म्युचुअल टालरेशन के आधार पर हम उन कड़ियों को देखें और उसका परिमार्जन हो। मैं आभारी हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने मुख्य मंत्री के पद से जो एक परम्परा आज रखी वह बड़ी उचित परम्परा है। उसके लिये मैं आभारी हूं। परन्तु यह भी आशा करूंगा कि इश्यूज कन्फ्यूज न किये जायं।

अन्त में श्रीमन्, सदन की मान-मर्यादा के संरक्षण के लिये, जनतंत्र के संरक्षण के लिये हम सब प्रामाणिक दल और मैं कहने को तैयार हूं कि हम सब उतने ही तैयार हैं जितने कि माननीय मुख्य मंत्री जी क्योंकि जनतंत्र के सफलतापूर्वक चलने में सबका हित है। परन्तु हमारा राइट आफ प्रोटेस्ट जो है जनतंत्र में वह भी उतना ही संरक्षित रहना चाहिये और मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी भविष्य में भी जनतांत्रिक दृष्टिकोण से इन चीजों की ओर ध्यान देंगे और ऐसी स्वस्थ परम्परा रखेंगे कि जो भविष्य में जनतंत्र को सफल बनाने में सफल हों।

*श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस बात पर खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी बातों के जरिये या अपने भाषण के जरिये सदन के पूरे माहौल को बदला है और एक ऐसा माहौल पैदा किया है कि जिसमें हम सब यह कह सकते हैं कि कल का कड़ुवापन, कल का गुस्सा अब एक पुरानी बात हो जायगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं इस बात के लिये कि उन्होंने साफ तौर पर इसे कहा कि पांडेय जी का दुख मेरा दुख है। मैं चाहता हूं कि यही जजबा हम सबके दिलों में पैदा हो। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम किसी हालत में उनको नीचे नहीं गिराना चाहते। उनकी इज्जत हमारी इज्जत है, उनकी कदर हमारी कदर है और हमारी कदर और हमारी इज्जत उनकी कदर और उनकी इज्जत है। यह बिल्कुल साफ बात है और चूंकि हमें अभी बहुत लम्बी लम्बी मंजिलें तय करनी हैं, बहुत दूर जाना है चाहे हमारी पालिसीज, हमारे प्रोग्राम कितने ही अलग-अलग क्यों न हों, लेकिन हमारे दरमियान एक इन्सानी रिश्ता है बल्कि उस इन्सानी रिश्ते से भी आगे बढ़कर कुछ सियासी रिश्ते भी हैं। हमारे सामने पूरे हिन्दुस्तान की तरक्की और उसके भविष्य का सवाल है। यह न सिर्फ हमारा सवाल है न आपका सवाल है, हम सबका समान सवाल है। हम अपोजीशन में हैं, लेकिन क्या हम आपको दुश्मन समझते हैं? नहीं, मैं दुश्मन नहीं समझता आपको और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी हमें दुश्मन नहीं समझते हैं। आप में से बहुत से भाइयों में यह भावना है कि हम आपके दुश्मन नहीं है। हमारे मतभेद हो सकते हैं। मतभेदों को हम रखेंगे, लेकिन उन बुनियादी रिश्तों को कायम रखना भी उतना ही जरूरी है। जितना कि मतभेदों को सामने रखना। अगर केवल मतभेद आ गये और बुनियादी रिश्ते खत्म हो गये तो वह मतभेद भी धूल में मिल जायेंगे, उनमें से कुछ निकलेगा नहीं, एक समान मत नहीं निकलेगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज जो वातावरण पैदा हो रहा है मैं चाहूंगा कि इस वातावरण को और मजबूत किया जाय। मैं चाहता हूं कि इस सदन में ढंग से सुलझे हुये तरीके से नीतियों का संघर्ष हो, कान्फ्लिक्ट आफ आइडियाज हो, न कि हम एक दूसरे से कम्पीट इस बात में करें कि कौन ज्यादा ऊंचा चिल्ला सकता है, यह चीज गलत है। आज तो जरूरत इस बात की है कि बैठिये कुछ कोड आफ कान्डक्ट हमारे और आपके बीच में पैदा हो। अगर एक दिन में नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जेड० ए० अहमद]

हो सकता, दस दिन बैठिये । एक मीटिंग में नहीं हो सकता दस मीटिंग कीजिये । लेकिन हम एक दूसरे की तरफ एक ऐटीट्यूड बदलें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और अगर वक्तन फवक्तन उलझाव में पड़ जाते हैं तो जो जिम्मेवार साथी हैं इधर के और उधर के, वह आपस में बैठकर उसे सुलझाने की कोशिश करें और एक नयी स्प्रिट पैदा हो, एक नया अप्रोच पैदा हो, तब जाकर हम इन मसलों को सुलझा सकेंगे । मैं उम्मीद करता हूं कि इसके लिये रूलिंग पार्टी की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में पूरे तौर से सिंसियरली प्रयास किया जायगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी तरफ से भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज की जो फिजा पैदा हुई है वह मिटने न पाये, आज की फिजा मजबूत होती जाय और प्रत्येक दिन हम एक सुलझे हुये तरीके से, एक सभ्य तरीके से, अपने डिफरेंसेज को कायम रखते हुये और साथ ही अपने इत्तहाद को भी कायम रखते हुए, अपनी एकता को भी कायम रखते हुए और अपने मतभेदों को भी कायम रखते हुये एक सुलझे हुये तरीके से इस सदन को चलायें ताकि हमारे सदन का नाम ऊंचा हो और बाहर यह न हो कि यू० पी० में हो क्या रहा है । हम दिखाना चाहते हैं कि यू० पी० में जो हो रहा है वह दूसरे प्रान्तों से बेहतर हो रहा है । यू० पी० की रूलिंग पार्टी और यू०पी० की अपोजीशन पार्टी ऐसा रास्ता निकाले जिसमें जनता की सेवा हो, अच्छे कानून बनें सही तरीके हों, सभ्य रास्ता हो । इन्हीं इरादों को लेकर और इसी हिम्मत को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—मैं बड़ा आभारी हूं.....

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—आप कृपया हमारी तरफ से बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—हमारी बात बहुत जरूरी है....

श्री अध्यक्ष—अब आप बैठ जाइये । मैं बोल रहा हूं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—जब आप बोल चुकेंगे तो हम क्या बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष—इस सदन में आदरणीय मुख्य मंत्री और अन्य दलों के नेताओं को सुनकर मुझे बड़ा सन्तोष और हर्ष हुआ । हर्ष और प्रसन्नता मेरे लिये होना स्वाभाविक है । वह इस कारण से कि अन्ततोगत्वा जो इस सदन में होता है, यहां आई-गई मेरे ऊपर ही बीतती है । परेशानी यह होती है कि चाहे जिस दल के पक्ष में निर्णय दूं चाहे कांग्रेस के पक्ष में और चाहे विरोधी दल के पक्ष में—एक का बुरा होना पड़ता है । इसीलिये मैं सदैव यह आशा करता रहता हूं, कि इस प्रकार की संहिता हम इस सदन में निर्मित करें कि जिसमें शान्त वातावरण के बीच विचार विमर्श हो । जैसा कि अभी आदरणीय नेताओं ने कहा कि हम यहां आये हैं लोकतन्त्रीय पद्धतियों को पुष्ट करने, उनको पल्लवित और पुष्पित करने । अगर शैशवकाल में ही, प्रारम्भिक स्थिति में ही, हम उस पथ से विचलित हो गये तो क्या मालूम कि बजाय पुष्पों के कांटे उग उठें । इस बात को हमें ध्यान में रखना है । मैं मानता हूं कि मतभेद हो सकते हैं और होते हैं । अगर मतभेद न हों तो हमारा जीवन मृत्यु तुल्य हो जाय । सोचना और सोचकर यह अधिकार रखना कि हम अपने को व्यक्त करें और प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात कहे, यह प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार व कर्तव्य है । हम यहां इसलिये नहीं आये हैं कि हम अपने विचारों का मर्दन करें और उनको प्रकट न कर सकें इस भय से कि किसी ओर से इसका विरोध हो रहा है । अगर हमारी यह भावना न रही तो लोकतन्त्रीय पद्धति विकसित नहीं हो सकती है । मैं मतभेद का स्वागत करता हूं, लेकिन शिष्ट समाज में मतभेद को प्रकट करने का भी एक स्तर होता है, उसमें एक भद्रता होती है । मतभेदों के प्रकट होते हुये हम उस के स्तर को भी देखें । यह सदन सर्वोच्च स्तर है । यह हमारे प्रदेश का सर्वोच्च केन्द्र है जहां पर लोकतन्त्रीय पद्धतियों का विकास होता है । तो मेरा

निवेदन यह है कि इस उत्तरदायित्व को हमें ध्यान में रखना है। माननीय गेंदासिंह ने कहा कि आन्दोलन करने का हमें अधिकार है। इसमें कोई शक नहीं है कि आन्दोलन करने का अधिकार है, लेकिन जहां आपको एक अधिकार है वहां दूसरे को भी कुछ अधिकार है। आप के आन्दोलन के कारण दूसरों के अधिकार, कर्तव्य और कार्यों में बाधा नहीं पड़नी चाहिये। मेरा यह कर्तव्य है कि जहां किसी पार्टी को यह अधिकार है कि वह अपना आन्दोलन करे, वहां यहां के सदस्यों का भी इतना अधिकार सुरक्षित रहे कि वह निर्बाध रूप से अपने विचारों को प्रकट करने के लिये यहां आ सकें। अब इसमें बाधायें पड़ रही हैं या नहीं पड़ रही हैं, यह दूसरी बात है, लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेरे विचार इस संबंध में रहे हैं, मैं उन्हें समय-समय पर इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रकट करता रहा हूं। मैं एक सूचना, प्रत्येक माननीय सदस्य की सेवा में भेजना चाहता था जो इस प्रकार है कि इस सचिवालय के पत्र संख्या ६२३, दिनांक १५ मार्च, १९६२ के क्रम में मुझे आप से यह निवेदन करना है कि जब कभी आप विधान भवन में आयें तो जो परिचयपत्र आपको विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी किया गया उसे कृपया अपने साथ अवश्य लायें जिससे आपको विधान भवन या सभा मंडप में प्रवेश करने में कोई असुविधा न हो। (शोर) मैं आप से कह रहा हूं कि यह सूचना जा रही है। उसके बाद आप चाहे जैसा करियेगा। मुझे आप से यह भी निवेदन करना है कि आप कृपया विधान भवन रक्षकों को अपना कर्त्तव्य पालन करने में सहयोग दें और आवश्यकता पड़ने पर न केवल अपना परिचय पत्र ही उनको दिखावें वरन उन सज्जनों को भी जो आप के साथ हों यह परामर्श दें कि विधान सभा में वे प्रवेश करने के पहले रायल होटल में स्थित प्रवेश-पत्र कार्यालय यानी पास आफिस से प्रवेश-पत्र बनवा लें। यह मैं आप के पास भेज रहा हूं। इसके संबंध में जो कठिनाइयां होंगी उनके संबंध में, मैं आज सांयकाल आदरणीय विभिन्न दलों के नेताओं को बुला रहा हूं और उन से परामर्श करूंगा और उसके बाद यह सूचना जारी होगी।

श्री गेंदासिंह—मैं ऐसा समझता हूं कि इस आदेश के लागू करने के पहले आप हम लोगों से सलाह कर लें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—वही मैंने कहा कि इस संबंध में आज सांयकाल आप से बात करूंगा। यह अभी जारी नहीं हुआ है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—श्रीमन्, मुझे एक बात निवेदन करनी है।

श्री अध्यक्ष—आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री चन्द्रबलीसिंह—मेरा विषय यह है कि आम जनता मातहत कर्मचारियों के साथ यहां के मिनिस्टर, अध्यक्ष जी स्वयं 'तुम' कहते हैं, 'बैठ जाओ' कहते हैं, अध्यक्ष अपने अधिकारियों को 'तुम' कहते हैं, हम जब मिलने जाते हैं तो 'तुम' कहते हैं, तो जब तक यह व्यवस्था रहेगी तब तक बाहर पुलिस क्यों नहीं हम लोगों को ढकेलेगी। यह व्यवस्था बदली जानी चाहिये। सदन में आज भी छोटी जाति की औरतों को कैलसिया कहा जाता है, बड़ी जाति की औरतों को कमला देवी कहा जाता है, यह व्यवहार ठीक किया जाय। जब तक यहां व्यवहार ठीक नहीं किया जायगा, बाहर का व्यवहार ठीक होने वाला नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि सब से पहले यह बात ठीक होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो विचार प्रकट किये हैं उनको देखते हुये यह उचित अवसर है और हम सदन को सुचारु रूप से तभी चला सकते हैं। यहां इस समय एक नयी व्यवस्था पैदा हो इसके लिये उचित होगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी, जो हमारे माननीय सदस्य सस्पेंड किये गये हैं उनके सस्पेंशन के प्रस्तावों को वापस लें ताकि वे सदन में आकर कार्यवाही में भाग ले सकें। मेरा प्रस्ताव है कि जितने सस्पेंशन के प्रस्ताव हैं उनको मुख्य मंत्री जी वापस लें।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि यह प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से आ जाय तो बहुत अच्छा होगा। यह सब की अभिलाषा है।

श्री अध्यक्ष---मेरी यह इच्छा है कि यदि इस प्रस्ताव को लन्च के बाद ले लिया जाय तो अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि लन्च होने जा रहा है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---श्रीमन्, मुझे इस विषय में यह निवेदन करना है कि मैं दोपहर के बाद एवेलएबिल नहीं होऊंगा। आपने जैसा कि अभी कहा कि विषय को दोपहर के बाद ले लिया जाय तो मैं अपना दृष्टिकोण आपके सामने रख दूं। इस संबंध में मैं यह कह देना चाहता हूं कि हमारी विरोधी दल के नेताओं से बातचीत हुई है। उस बातचीत में माननीय जेड० ए० अहमद के यही दृष्टिकोण थे कि हम बैठें और एक कोड आफ कान्डक्ट पर विचार करके फैसला ले लें। मुझे कोई इसमें मजा नहीं आता है कि सदन के सदस्य निलंबित किये जायें और वे बाहर रहें। लेकिन अगर कोई कोड आफ कान्डक्ट मानकर चला जाय तो अधिक अच्छा हो। कोड आफ कन्डक्ट पर विचार करने के बाद इस विषय को विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिये, तो अधिक उपयुक्त होगा।

*श्री जेड० ए० अहमद---अध्यक्ष महोदय, जो सवाल अभी माननीय नेकराम शर्मा ने पेश किया है, मैं समझता हूं कि आज के वातावरण को देखते हुये वह बहुत ही ठीक सवाल है। आज हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से बातचीत की थी। मुझे खुशी हुई कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि ठीक है और मुझे कोई खुशी तो नहीं होती है सदस्यों को बाहर रखने में। अभी फिर आपने इस बात की ताइद की है। उनका न यह खयाल था और न है कि माननीय सदस्यों को निकाल दिया जाय और उससे ज्यादा पेचीदगियां पैदा हों। मैं तो यही कहूंगा कि हम सब को मिल कर काम करना चाहिये। मैं समझता हूं कि वहां पर जितने नेता थे, उन सब की राय थी कि हम चाहते हैं कि ठीक तरह से काम चले और एक सुधरे हुये वातावरण को पैदा किया जाय। इसलिये जब हम इस मंजिल पर पहुंच चुके हैं तो उस वातावरण को क्यों न पैदा किया जाय। यही मेरी अपील है माननीय मुख्य मंत्री जी से। उस वातावरण को पैदा करने के लिये यह और अच्छा मालूम होता है कि जो हमारे भाई बाहर हैं उनको हम वापस ले आयें और यह एक सुलझी हुई बात होगी।

एक बात और कहूंगा कि इस मामले में माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी हम लोगों के सामने कुछ अच्छे जेस्चर्स रखे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि एक नई फिजां विरोधी दलों की तरफ से पैदा हुई है। इस फिजां को और मजबूत करने के लिये यह अच्छा होगा कि आप उन भाइयों को अन्दर आने दीजिये। उनके खिलाफ कार्यवाही खत्म की जाय ताकि वे भी शान से हिस्सा ले सकें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---श्रीमन्, मुझे बहुत दुख है कि जो बात हमारे और अन्य विरोधी दलों के नेताओं के बीच में हुई हैं, उसमें माननीय राघवेन्द्रप्रतापसिंह जी ने भी इस प्रस्ताव की ताइद की थी कि यह प्रश्न अभी नहीं उठाना चाहिये। उस प्रश्न को और दूसरी बातों को सुलझाने का उस समय मौका होगा जब हम आपस में बैठकर कोड आफ कान्डक्ट के लिये विचार कर लें। उसी के अनुसार हम फिर कार्य करेंगे। सदस्यों के वापस बुलाने का प्रश्न भी उसी समय डिसकस होना चाहिये। यह सब बातें आपस में तय हो जायें तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो यह कहे कि जो व्यक्ति निलंबित किये गये हैं उनको सदन में आने के लिये अनुमति दी जाय।

(श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह तथा नेता विरोधी दल के खड़े होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया जरा बैठें। मैं सिर्फ इस वजह से इसको टाल रहा था कि लन्च टाइम में इस संबंध में बातचीत हो सकती है। आप नहीं चाहते तो मैं पहले किये देता हूं। (नेता विरोधी दल के पुनः खड़े होने पर) आप जरा सुन लें मुझे। कल भी मैंने एक प्रस्ताव को यही सोच कर उस समय नहीं लिया, जैसा कि माननीय गेंदासिंह ने कहा कि एक कर्टेसी सीखना चाहिये। एक मिसअन्डरस्टैंडिंग भी माननीय शिवेन्द्रप्रताप जी के साथ हो सकती थी—उनकी मंशा यह न हो। इसलिये मैं यह सजेस्ट कर रहा था कि लंच के बाद ही इसको ले लिया जाय ताकि इस बीच में आपस में कोई बातचीत हो जाय।

अब यह प्रस्ताव अगर आवश्यक होगा तो लंच के बाद मैं इसको रख दूंगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि यह बात सही है कि कोड आफ कान्डक्ट की बात हुई, उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था। जो बातें वहां हुई थीं उनकी चर्चा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसा कहा वे चर्चा यहां करना नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता, परन्तु उन्होंने इस समय ऐसी बात कही जो चर्चा से भिन्न है। जब कोड आफ कान्डक्ट की बात चली थी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई कि "क्वीड प्रो क्वा" यानी "तू सौदा ले, सौदा दे"। इस तरह कोई सौदा लेने और देने जैसी बात नहीं हुई। आप अगर वातावरण शान्त कर रहे हैं तो यह चीज नहीं होनी चाहिये। वह बात न मुझे मान्य है न इनको है। हां, जहां तक सद्भावना का प्रश्न है, वह होनी चाहिये। कोड आफ कान्डक्ट का जहां तक प्रश्न है, वह होना चाहिये। वह कागज पर लाने से नहीं होगा, उसके लिये एक मैन्टल एटीट्यूड चाहिये। उसके लिये एक वातावरण चाहिये। जब तक वह नहीं होगा यह कैसे संभव होगा।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—श्रीमन् जो शब्द, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहे हैं वे सही हैं मगर उसमें कुछ भ्रमात्मक भाव पैदा हो गया है। जिस वक्त हम लोग बैठे थे तो इस बात पर जोर दिया गया था कि जो साथी हमारे बिछड़े हुये हैं या सदन से बाहर हैं उनके लिये भी आप कुछ एलान कर दें। मैंने कहा था कि यह अच्छी बात है कि कोड आफ कान्डक्ट की बात हो जाय, चर्चा हो जाय, वह बन जाय, और एक वातावरण बना दें फिर मुख्य मंत्री जी अपनी तरफ से कह देंगे उसके लिये। मेरी भावना यह नहीं थी कि मैंने उसका कोई विरोध किया हो कि वह बाद को हो।

श्री गेंदासिंह—मैं एक मिनट चाहता हूं। मैं अपनी मजबूरी बता दूं। ....वही बात जरूर हुई लेकिन मैंने यह निवेदन किया था कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्वतः यदि ऐसा प्रस्ताव ले आयें तो यह उत्तम होगा और यह भी मैं सोचता था कि शायद शाम तक बातचीत करके ऐसा प्रस्ताव ले आने के लिये उनको राजी कर लिया जायगा क्योंकि प्रस्ताव बगैर उनकी मर्जी के स्वीकार तो हो नहीं सकता। यह बात जरूर हुई थी। इसलिये इस वक्त आप उस पर कोई फैसला न दें।

श्री अध्यक्ष—मैं उस पर अभी फैसला नहीं दे रहा हूं।

## विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना आयी हुई है। वह माननीय चन्द्रबली जी की है। इसमें कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता है अतः उसको अस्वीकार किया गया है।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, इसको पढ़ दिया जाय।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न कल ही श्रीमन्, की सेवा में भेज दिया था।

श्री चन्द्रबलीसिंह—अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं। मैंने उस पर आदेश दे दिया है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—सदस्यों के अपमान का सवाल है, हम इस बात को सह नहीं सकते। मुझे निकाला जा सकता है लेकिन मैं मान नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष—मैं उसको पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकता और न उस संबंध में बोलने की इजाजत ही दूंगा। नियमों के अनुसार मैंने निर्णय दे दिया है। उसके ऊपर अब कोई विवाद नहीं हो सकता। अतः आपको आदेश देता हूं कि आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री चन्द्रबलीसिंह—मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अगर आप नहीं बैठते हैं तो कृपया सदन छोड़ें।

श्री चन्द्रबलीसिंह—मैं सदन नहीं छोड़ सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—आपने जो विशेषाधिकार का प्रश्न दिया है उसमें किसी अधिकारी की चर्चा नहीं है। इसलिये मैंने उसे अस्वीकार किया है। मैं आपको आदेश देता हूं कि आप बैठ जायं। (कुछ ठहर कर) अगर आप नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़ दें।

श्री चन्द्रबलीसिंह—सदन नहीं छोड़ता।

(अनेक सदस्यों के आग्रह पर माननीय चन्द्रबलीसिंह बैठ गये)

श्री अध्यक्ष—अब अगर माननीय सदस्य बैठना चाहते हैं तो वह अपना खेद प्रकट करें तब ही बैठ सकते हैं वरना उन्हें सदन छोड़ना पड़ेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—श्रीमन्, वे बैठ गये हैं। उनका दिमाग इस वक्त ठीक नहीं है। वे बीमार हैं। मैं उनकी तरफ से खेद प्रकट करता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि उनको बैठने दिया जाय।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, अब खेद प्रकट हो गया है आप अब इसे समाप्त करें।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री काशीनाथ जी, आपने खेद प्रकट किया। मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी कि अगर अबकी मर्तबा इस प्रकार का व्यवहार किया तो बगैर वार्निंग के मैं उनसे कहूंगा कि आप कृपा करके सदन को छोड़ दें।

अब विशेषाधिकार का दूसरा प्रश्न जो माननीय नरसिंह नारायण पांडेय जी का है, जिसे मैंने आज सायंकाल को लेने के लिये कहा था। तो उसे मैं सायंकाल को सुना दूंगा।

## कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—अब मेरे पास जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव हैं, उनमें से एक तो कल माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद ने दिया था और दूसरा माननीय यादवेन्द्रदत्त जी ने आज दिया है, जो इस प्रकार है:—

"इस सदन का निश्चित मत है कि माननीय पूरन लाल जी एवं ११५ अन्य जन प्रतिनिधियों की गिरफ्तारी १-१०-६२- को तथा ७२ प्रतिनिधियों को दिनांक ३-१०-६२ को तथा लगभग १२५ की गिरफ्तारी ४-१०-६२ को अवैधानिक ढंग से उस समय की गयी जबकि वह लोग सदन के सदस्यों से यह निवेदन करने के लिये बाहर खड़े हुए थे कि माननीय सदस्य इस विधेयक

का सर्व सम्मति से विरोध करें। प्रतिनिधियों को पुलिस द्वारा घसीटा गया तथा बेइज्जत किया गया है। घटनास्थल पर उपस्थित एक अधिकारी ने शान्त प्रतिनिधियों के लिए अपशब्दों का भी प्रयोग किया तथा गालियां दीं। प्रजातंत्र में हर मतदाता को इस बात का अधिकार है कि वह अपने प्रतिनिधियों से इस प्रकार निवेदन कर सके। यह गिरफ्तारियां एक नागरिक को संविधान के अन्तर्गत मिले मौलिक अधिकारों का अपहरण है। लोक महत्व के निश्चित विषय पर विवाद करने के लिए सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

इस पर मैंने अपनी अनुमति नहीं दी है।

और इसी प्रकार का कल माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद ने दिया था। उसको मैंने सदन में ही अस्वीकृत कर दिया है। उसका कारण क्या है, उसे मैं इस सदन के समक्ष रख देना चाहता हूं ताकि सदन के सदस्य जान जायं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)--कृपा करके आप उसे सुना तो दें।

श्री अध्यक्ष--देखिये माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी, मेरी आपकी बातचीत कक्ष में हो चुकी है और....

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं क्योंकि इधर मैं कई दिनों से देख रहा हूं और बराबर उसे महसूस करता हूं कि जिस सवाल को आप अस्वीकृत कर देते हैं कक्ष में उसे आप यहां क्यों पढ़ते हैं ?

श्री अध्यक्ष--मैं अपना आदेश सुनाना चाहता था इसीलिये कि कार्य-स्थगन का प्रस्ताव किन कारणों से अस्वीकृत किया जाता है--

"सदन में जो शिकायतें हुई हैं, विशेषकर माननीय संत सिंह युसूफ, माननीय नरसिंह नारायण पांडेय द्वारा और कांग्रेसी सदस्यों द्वारा, उससे विदित है कि सदन के सदस्यों से शान्तिपूर्ण तरीके से निवेदन नहीं किया जा रहा था, अपितु अपमानजनक रीति व ढंग बरते जा रहे थे। मुझे यहां तक शिकायत मिली कि एक माननीय सदस्य जिस समय पिकेटर्स को लांघ रहे थे, पिकेटर ने पैर उठा दिये जिसके कारण वे गिर गये। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के व्यवहार माननीय सदस्यों के साथ कानूनी दृष्टि से तथा संसदीय मान्यताओं की दृष्टि से गर्ह्य हैं। अतः सूचना स्वीकार्य नहीं हो सकती।

मैं यह भी समझता हूं कि यह प्रस्ताव केवल सदन की कार्यवाही में बाधा डालने की गरज से प्रस्तुत किया गया है और इस कारण से भी स्वीकार नहीं हो सकता।"

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--श्रीमन्, मैंने कक्ष में भी आपसे निवेदन किया था और आपने उसका जिक्र यहां कर ही दिया, तो उस सम्बन्ध में मेरे लिये कुछ कहना आवश्यक है। जिस समय माननीय पूरन लाल गिरफ्तार किये गये उस समय न तो वे कुछ कर रहे थे और न किसी तरह की रुकावट ही डाल रहे थे। वे इस सदन के सदस्य हैं और आज हम निलम्बन के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, तो माननीय सदस्य केवल खड़े थे विशेषाधिकार का प्रश्न आपने अस्वीकार कर दिया और वह अभी निलम्बित हैं और सदन से नहीं जा सकते। वह सदन में आने के लिये जोर नहीं दे रहे थे, न कोई सदन के सदस्यों को रोकने या टांग पकड़ने की जरूरत है। अब सदन के सदस्यों की भी गिरफ्तारी हो रही है और आप कहते हैं कि सदन के सदस्यों को रोकते हैं। अगर कोई ऐसा बाधा डालने वाला कार्य करते हैं तो विशेषाधिकार वाला प्रश्न बन सकता है और कोई दंड नहीं दिया जा सकता। यह तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की

श्री अध्यक्ष--इसीलिये मैंने लिखा है कि कानून और संसदीय परम्परा दोनों की दृष्टि से उनका कार्य अवैधानिक है, कानून में आता है तो आयेगा नहीं तो वह छूट जायंगे।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद—यह तो बड़ी ज्यादती है ।

श्री अध्यक्ष—अब यह समाप्त हो गया ।

## श्री काशीनाथ मिश्र का वैधानिक प्रश्न

श्री अध्यक्ष—अब एक श्री काशीनाथ जी का वैधानिक प्रश्न आया है मैंने उसको अस्वीकार किया है, वह संविधान के अन्तर्गत नहीं आता है, माननीय काशीनाथ जी उसको चाहें तो देख लें ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—इसको भी आप पढ़ देते तो अच्छा था ।

श्री अध्यक्ष—मैं निवेदन कर दूं कि अगर उसको मैं सदन में पढ़ूंगा तो उसमें यह सदन आपके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही कर सकता है जिससे आप खुश न होंगे । इसलिये मैं उसको यहां पढ़ना नहीं चाहता और न पढ़ूंगा । अगर आप को कुछ बातचीत करना है तो आप मेरे कक्ष में आ जायं इसके लिये मैं तैयार हूं और उसे कोई भी नेता आकर देख सकते हैं । उसमें ऐसी बातें हैं कि जो अत्यन्त अनुचित हैं और उनको नहीं पढ़ूंगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—आपने कार्य स्थगन प्रस्ताव को तो अस्वीकार कर दिया तो कम से कम आप माननीय गृह मंत्री जी से उस विषय में एक स्टेटमेंट ही दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष—इस पर विचार किया जायगा ।

## कानपुर नगर महापालिका के विद्यालयों की प्रधानाध्यापिकाओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं पर वक्तव्य

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, मैंने तो कल भी इसीलिये पूछा था, आज्ञा होती तो मैं कल ही स्टेटमेंट दे देता, मैं तो तैयार था । अब बाद में कुछ और खबरें मिल गयी हैं कानपुर की घटना के बारे में जो इस प्रकार है:—

"कानपुर की घटना के बारे में मुख्य नगर अधिकारी, नगरमहापालिका कानपुर तथा जिलाधीश कानपुर से बातचीत की गई । सन् १९६१ में कानपुर की नगरमहापालिका ने इस बात का एक प्रस्ताव पास किया था कि म्युनिसिपल गर्ल्स स्कूल तथा कालेजेज में वहां के जो प्रिंसिपल आठ दस साल से हैं" श्रीमन्, वास्तव में प्रस्ताव में यह ५ साल ही है ।

"उनके ट्रान्सफर्स होने आवश्यक हैं और ट्रान्सफर्स किये जायं । इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये मुख्य नगर अधिकारी ने कुछ दिन हुए उन प्रिंसिपल के ट्रान्सफर्स जो एक संख्या में ५ साल से अधिक थे, कर दिये। श्रीमती आगा जो म्युनिसिपल गर्ल्स इन्टरमीडियेट कालेज, सिविल लाइन्स, की मुख्य अध्यापिका हैं, का ट्रान्सफर तिलक नगर के म्युनिसिपल गर्ल्स इन्टर-मीडियेट कालेज में किया गया, परन्तु उन्होंने वहां जाना पसन्द नहीं किया । लड़कियों का एक जत्था मुख्य नगर अधिकारी, मेयर, डिप्टी मेयर तथा अन्य लोगों से मिला । जब उन्हें कोई सफलता अपने प्रयत्न में नहीं मिली तो उन्होंने यह गलत अफवाह फैला दी कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया जिसमें कुछ लड़कियों को चोट आयी । जिलाधीश का कहना है कि कोई लाठी चार्ज लड़कियों के ऊपर अभी तक नहीं हुआ और यह अफवाह बिलकुल निराधार है । जिलाधीश को यह भी सूचना नहीं है कि कुछ लड़कियों ने भूख हड़ताल की और कालिज के दरवाजे के बाहर धरना दिया । हलीम इन्टर कालेज के कुछ लड़के क्राइस्ट चर्च कालेज गये और वहां पर यह झूठी अफवाह फैलाई कि हीरा-मनकापुरवा गर्ल्स इन्टर कालेज की लड़कियों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ । क्राइस्ट चर्च कालेज यूनियन के प्रेसीडेन्टशिप के लिये दो उम्मीदवार

थ उन्होंने क्राइस्ट चर्च कालेज के जी० एन० के० इन्टर कालेज में हड़ताल करवा दी। क्राइस्ट चर्च कालेज और कुछ संस्थाओं के लड़के जो लगभग ३०० थे एक प्रोसेशन बना कर निकले। रास्ते में दो साइकिल रिक्शा जिन पर कुछ पुलिस कांस्टेबिल कैदियों को अदालत में ले जा रहे थे उनको जाते हुए देख कर उनसे मारपीट की। फिर एक मोटरसाइकिल जिस पर डिस्पैच राइटर जा रहा था उस पर आक्रमण किया जिससे उसे कुछ मामूली चोट आयी। इसी समय कर्नलगंज पुलिस स्टेशन की रिजर्व फोर्स के आने पर प्रोसेशनिस्ट भाग गये। इसमें से नौ लड़के गिरफ्तार हुये उनमें से दो को कुछ हल्की चोट आयी। उन्हें बहुत शीघ्र ही जमानत पर छोड़ दिया गया। उनकी कोई डाक्टरी जांच नहीं हुई, लेकिन चोटों का दर्ज रोजनामचे में कर दिया गया जैसा कि आम तौर पर होता है। दो मामले आई० पी० सी० की धारा १४७/१४९/३३२/३५३/४२६ के अन्तर्गत रजिस्टर किये गये।

यह कहना बिलकुल गलत है कि लड़कियों के ऊपर किसी किस्म का अत्याचार या लाठी चार्ज हुआ। जाहिर है कि जब लड़कों की भीड़ में से कुछ लड़कों को गिरफ्तार किया जाय तो कुछ मारपीट होना आवश्यक है और इस सिलसिले में कुछ लड़कों को कुछ मामूली चोटें आयीं।

मुख्य नगराधिकारी ने यह सोच कर कि जो कार्यवाहियाँ हुईं वे उचित थी, अपने उन आदेशों को जिनके द्वारा प्रिंसिपल का ट्रांसफर किया गया था वापस नहीं लिया, क्योंकि कुछ प्रिन्सिपल्स अपने नये स्थान पर पहुंच चुकी थीं। श्रीमती आगा ने यह कह कर कि उनकी तबीयत खराब चल रही है और वे ट्रान्सफर के धक्के को न सह कर बीमार पड़ गई हैं, दो महीने की छुट्टी के लिये दरख्वास्त दी जो मंजूर कर दी गई और तदुपरान्त एम० जी० गर्ल्स कालेज के वाइस प्रिंसिपल को नियुक्त कर दिया। दशहरा समीप होने के कारण स्कूलों और कालेजों में सम्बी छुट्टियाँ हुआ करती हैं। चूंकि लड़कों में कुछ उत्तेजना थी इसलिये मुख्य नगर-अधिकारी ने म्युनिसिपल स्कूल और कालेजेज को दो दिन पहले से ही बन्द कर दिया है जिससे एजीटेशन न फैल सके।

जिलाधीश ने यह भी बताया है कि लड़कों में कोई खास रोष इस बात के विरुद्ध नहीं है कि कोई प्रिंसिपल का ट्रांसफर किया गया। परन्तु फिर भी अधिकारी वर्ग सतर्क हैं। किसी और कालेज में कोई पूर्ण हड़ताल नहीं हुई और न हड़ताल होने की संभावना दिखाई पड़ती है।"

**श्रीमती सुशीला रोहतगी** (जिला कानपुर)—मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या उनको विदित है कि लाठी चार्ज तीन तारीख को सांयकाल हुआ है और जिसके परिणाम स्वरूप, जैसा आज 'नवजीवन' में निकला है छात्रों को चोटें आयी हैं और १ दर्जन घायल हुए हैं और दो को गम्भीर चोट आयी हैं। तो मैं जानना चाहती हूं कि जो उनके पास डी० एम० का बयान आया है यह कल का है या परसों का ?

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**—मेरे पास यह कल खबर आयी है। आज तो सुबह कोई नहीं आयी। कल तक की खबर है और डी० एम० ने साफ कहा है कि लड़कियों पर कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ।

**श्रीमती सुशीला रोहतगी**—आज के 'नवजीवन' में जो स्पष्ट रूप से लिखा है कि तीन तारीख की सांयकाल को लाठी चार्ज हुआ है और इसके परिणामस्वरूप एक दर्जन छात्रों को चोट आयी है और दो की स्थिति गम्भीर है। तो मंत्री जी कृपा कर इस पर फिर से जाँच करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या बात सत्य है ?

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**—जो सूचना दी जा रही है उसकी बाबत मैं फिर पूछ लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरे पास जो खबर है वह डिफिनेट है, इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। लेकिन फिर भी मैं पूछ लूंगा।

**श्रीमती सुशीला रोहतगी**—जो कानपुर शहर में परिस्थिति इस वक्त है उससे साफ जाहिर है कि लड़कों के अन्य कालेज भी लड़कियों से सहानुभूति कर रहे हैं और ५ कालेजों के नाम मेरे पास हैं जिनके लड़के प्रदर्शन निकाल रहे हैं जो कि आज के अखबार से विदित हुआ है,तो क्या मैं जान सकती हूं माननीय मंत्री महोदय को यह मालूम है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के लड़कों ने भी आम हड़ताल कर दी है और उन लोगों के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार के सामने विषम स्थिति पैदा नहीं हो गयी है ?

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**—सरकार को देखना यह है कि लड़के और लड़कियों द्वारा हड़ताल करने में ला एंड आर्डर भंग न हो। जहाँ तक प्रिंसिपल के तबादले का ताल्लुक है वह नगर महापालिका को विचार करना है। वहाँ नगर महापालिका की एक्जीक्यूटिव की एक मीटिंग होने वाली भी है और उस पर वह विचार करेगी। वह बदल देगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन सरकार इस विषय में कोई हिदायत नहीं देना चाहती।

**श्री अध्यक्ष**—सुशीला जी का यह प्रश्न है कि जो गंभीर स्थिति वहाँ पैदा हो गयी है उससे आप परिचित हैं या नहीं ?

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**—अब तक की जो इत्तला है उससे कोई गंभीर स्थिति नहीं मालूम होती है, बल्कि यह मालूम होता है कि अब कोई खतरा नहीं है परिस्थिति काबू में है।

**श्री राज नारायण मिश्रा** (जिला कानपुर)—अभी हाल में जो वहाँ हड़ताल चली छात्राओं की उससे वहाँ महापालिका ने नगर के समस्त विद्यालय बन्द कर दिये हैं। अब सरकार की जिम्मेदारी अगर शान्ति और सुरक्षा को स्थापित करने की है तो क्या वह इस बात पर विचार करने को तैयार हैं कि जिन ५ विद्यालयों के टीचर्स का ट्रान्सफर हुआ है उनका ट्रान्सफर स्थगित कर दिया जाय ?

**श्री अध्यक्ष**—माननीय मंत्री का यही तो कहना है कि यह नगरपालिका का काम है, हमारा नहीं है।

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**—जी हाँ, यह नगरपालिका का काम है, सरकार का नहीं है।

**श्री सन्तसिंह यूसुफ** (जिला कानपुर)—माननीय मंत्री जी ने यह बात मान ली है कि कुछ लोगों को चोटें आई हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि लाठी चार्ज नहीं हुआ तो लड़के और लड़कियाँ जख्मी कैसे हो गये ?

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**—यह तो उस जगह ऐसा हुआ है जहाँ पर छीना झपटी हुई, जहाँ पर लड़के गिरफ्तार हुए और जहाँ रिक्शे वाले पर अटैक किया गया।

**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद** (जिला सीतापुर)—मुख्य नगराधिकारी ने ६१ का प्रस्ताव सन् ६२ में साल भर बाद देखा तो क्या विशेष परिस्थिति ऐसी पैदा हो गयी जिससे उन्होंने यह काम किया ?

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**—जुलाई में उस रिजोल्यूशन के ऊपर कार्यकारिणी के अन्दर फिर बहस हुई और ताड़ना की गयी आफिसर्स को कि एक साल पहले रिजोल्यूशन पास हुआ उसको कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया। इस वजह से नगर मुख्याधिकारी ने इस पर अमल किया।

**श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय** (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री को सूचना है और यदि सूचना नहीं है तो इसे सूचना मानने की कृपा करेंगे कि हलीम गर्ल्स इंटर कालेज की लड़कियों पर जब वे प्रधानाचार्या के ट्रान्सफर की कैंसिल करने के लिये मुख्याधिकारी के पास प्रोसेशन में जा रही थीं, उस समय लाठी चार्ज किया गया पुलिस के जरिये से ?

श्री अध्यक्ष—कोई सूचना उनके पास इस बात की नहीं है ?

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछे हैं उनसे कुछ और प्रकाश पड़ता है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस समस्या के संबंध में पुनः जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा कि हम जांच करा लेंगे ।

श्री झारखंडेराय—श्रीमन्, कल एक दिक्कत आपके लिये भी पैदा हो गयी थी कि इसका जवाब कौन दे ।

श्री अध्यक्ष—वह मेरा अज्ञान था ।

श्री झारखंडेराय—तो मैं यह जानना चाहता हूं कि चूंकि विषय महत्वपूर्ण है, पड़ोस का मामला है और लड़कियों की स्ट्राइक हुई है, लड़कियों की हड़ताल आमतौर पर कभी होती नहीं—मुझे याद नहीं कि पिछली मर्तबा हमारे प्रदेश में लड़कियों की हड़ताल कब हुई—और वह अब फैल रही है, उसकी कुछ चिनगारियां हमारे इस लखनऊ में भी आ गयी हैं, तो इस सब को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि क्या वे अपने किसी विशेष ऊंचे अधिकारी को अथवा अपने में से ही किसी को भेज कर पूरे मसले को हल करने की कृपा करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—यह तो लड़कियों का मसला है और हमारे पास तो एक मंत्राणी जी हैं, उन्हीं के सुपुर्द कर दिया जायगा ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—हालांकि यह सवाल लड़कियों से उत्पन्न हुआ पर शायद अपने लोगों के बीच में ऐसी भावना है कि हमारी बहन जब कष्ट में होती हैं तो हमारे भाई भी साथ में आ जाते हैं और अब यह केवल लड़कियों का मामला न हो कर लड़कों का भी हो गया है, यह देखते हुये क्या माननीय मुख्य मंत्री जी मंत्राणी जी के साथ किसी मंत्री को भी भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मंत्री जी तो जवाब देते ही हैं ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैं एक बात निवेदन कर दूं । कल एक मंत्री भी वहां गये थे और वे देखकर आये और बहुत इत्मिनान मुझ को दिलाया कि अब कोई वैसी बात नहीं है । और परसों भी मैंने फोन किया था और कल भी फोन किया था और जो झारखंडे राय जी ने कहा मैं समझता हूं कि जो खबर मिली है वह सही मिली है । कुछ लोगों ने यह अफवाह जरूर फैलायी है क्योंकि क्राइस्ट चर्च कालेज में चुनाव हो रहा है । उसमें फायदा उठाने के लिये लोगों ने यह किया है । लेकिन परिस्थिति बिल्कुल काबू में है और वह शांत हो जायगी, ऐसी आशा है ।

श्री अध्यक्ष—अब यह प्रश्न खत्म हुआ ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, केवल एक सवाल ।

श्री अध्यक्ष—१ बज गया, अब लंच के बाद ।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजे उपाध्यक्ष, श्री होती लाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित किया था । उस सम्बन्ध में मैं नियम ६७ की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो आप पहले कह चुके हैं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—जी नहीं । आप कम से कम सुन तो लीजिये । मैं नियमावली के नियम ६७ का हवाला दे रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—अध्यक्ष महोदय के सामने जो बात तय हो गई उसके सम्बन्ध में मैं इजाजत नहीं दे सकता हूं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—उस समय मैं नियम का हवाला नहीं दे सका तो मुझे क्या अब हक नहीं है ? मुझे मौका दिया जाय । मैं पढ़ कर सुना तो दूं । उसको सुन तो लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—जी नहीं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—यह नियमावली नहीं मानी जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष—मानी क्यों नहीं जायगी । लेकिन जब माननीय अध्यक्ष कह गये हैं तो अब यह नहीं होना चाहिये ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—हम नियम नहीं कह सकते ।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो ठीक है लेकिन वह बात समाप्त हो गई ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—नियम समाप्त हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष—नियम नहीं लेकिन वह बात समाप्त हो गई । माननीय अध्यक्ष की रूलिंग पर मैं रूलिंग नहीं दूंगा । अब आप कृपा करके बैठ जाइये ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल ब्रीच आफ प्रिविलेज मोशन दिया था उसका क्या किया ?

श्री उपाध्यक्ष—वह भी माननीय अध्यक्ष कर गये हैं । मुझे मालूम नहीं ।

## †उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ (क्रमागत)*

श्री उपाध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ पर विचार जारी होगा ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—माननीय विकल जी बोलना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मुरलीधर कुरील ।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—उपाध्यक्ष महोदय, आइटम नम्बर १० बाकी रह गया है ।

## १८ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न ४५ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री उपाध्यक्ष—१८ मई, १९६२ को श्री मन्नालाल, सदस्य विधान सभा के प्रश्न से बन्धित श्री गेंदासिंह द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का शोधन वक्तव्य होगा ।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीसरे शुक्रवार (१८ मई, १९६२) को श्री मन्ना लाल, सदस्य विधान सभा द्वारा यह प्रश्न पूछा गया

---

†४ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है ।

*४ अक्तूबर, १९६२ की कार्यवाही से ।

था कि जिला खीरी की तहसील मोहम्मदी के कलेक्शन विभाग में कितने अमीन और कितने चपरासी हैं और उनमें कितने हरिजन हैं। मैंने इसके उत्तर में अमीन और चपरासियों की संख्या ब्योरेवार बताई थी। अनुपूरक प्रश्नों के अन्तर्गत यह पूछा गया था कि हरिजनों की संख्या निर्धारित प्रतिशत से क्यों कम है। उत्तर में मैंने बताया था कि हरिजन लोगों को कम संख्या में रखे जाने का कारण उनमें योग्य व्यक्तियों का अभाव था। इस सम्बन्ध में श्री गेंदा सिंह जी द्वारा अनुपूरक प्रश्न यह किया गया था कि चपरासी जैसे स्थान पर भी निर्धारित प्रतिशत से कम हरिजन लोगों को क्यों रखा गया जब कि इस स्थान के लिये किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। इस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा था "मैं आज्ञा देता हूं कि ये सूचना मंगाकर रखें।"

जांच करने पर ज्ञात हुआ है कि कलेक्शन स्कीम १९५२ से चली है तथा आरम्भ में नियुक्ति के लिये नाम रोजगार दफ्तर से ही मांगें गये थे और उन्हीं में से योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर ली गई थी। अब यथासंभव हरिजनों के निर्धारित प्रतिशत को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है और यह तय किया गया है कि भविष्य की सारी नियुक्तियां हरिजन व्यक्तियों द्वारा पूरी की जावेंगी जब तक कि निर्धारित प्रतिशत पूरा न हो जाय। रोजगार दफ्तर को भी योग्य व्यक्तियों के नाम भेजने के लिये लिखा जा चुका है।

## कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी

**श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़)—नियम ५३ के अन्तर्गत हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया था, उसमें सर्वोदय के कार्यकर्ताओं को हथकड़ी डाल कर गिरफ्तार करके पुलिस ले जाती है, उसके सम्बन्ध में दफा ५३ का प्रस्ताव हमने दिया था।

**श्री उपाध्यक्ष**—अभी अध्यक्ष महोदय उसे कर रहे हैं। शायद वह शाम को पेश होगा।

**श्री बलवानसिंह** (जिला कानपुर)—मुझे यह पूछना है कि माननीय कमलासिंह का विशेषाधिकार का प्रश्न कहां गया? आपके आफिस में दिया गया था। अभी तक सूचना नहीं मिली।

**श्री उपाध्यक्ष**—माननीय अध्यक्ष के पास है। शायद यह शाम को लेंगे।

**श्री बलवानसिंह**—आपके पास मित्थल जी बैठे हुये हैं, उनसे पूछ लीजिये।

**श्री कमलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर)—अध्यक्ष महोदय ने इन्कार किया है कि उनको कोई सूचना नहीं मिली है। हालांकि मैंने कल ही दे दिया था।

**श्री उपाध्यक्ष**—उन्होंने कहा है कि देखा नहीं है। वैसे ही आपका होगा।

**श्री शिवेन्द्र प्रताप** (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, मुझे एक निवेदन करना है कि मैंने प्रिविलेज मोशन दिया था उसमें सूचना नहीं मिली। शिवेन्द्र प्रताप के नाम से आया था। कल पढ़ा भी गया था।

**श्री उपाध्यक्ष**—वह चल रहा है। वह तो स्पीकर साहब से आपने अर्ज कर दिया था। वह कर रहे हैं।

## उत्तर प्रदेश जोतकर विधेयक, ११९२—(क्रमागत)

**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। व्यवस्था का प्रश्न मेरा यह है कि मैं चार रोज से बराबर इस विधेयक पर बोलने के लिये खड़ा हो रहा हूं। शुरू के दिन जब कृष्णानन्द जी को बुलाया गया था तब वह बैठे थे और मैं बराबर खड़ा था, यह मैंने अध्यक्ष जी से निवेदन किया था। आज भी मैं जोतकर विधेयक पर बोलने के लिये अकेला ही खड़ा हुआ था और कुरील जी बाद में खड़े हुये, तब खड़े भी नहीं हुए थे।

**श्री उपाध्यक्ष**—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

**श्री रामचन्द्र विकल**—मैं यह कह रहा हूं कि मैं इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय के कक्ष में अपनी आत्मा के खिलाफ आज गया हूं, मैं कभी नहीं गया, समय मांगने के लिये । मुझे मालूम पड़ता है कि जानमान कर समय नहीं दिया जा रहा है । मुझे आपकी व्यवस्था से रोष है और मैं आज के लिये सदन का त्याग करता हूं ।

(इस समय श्री रामचन्द विकल ने सदन कापरित्याग किया ।)

**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का समय दिया । मैं जो विधेयक प्रस्तुत है इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और जो विपक्ष दल से संशोधन आया है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय या जनमत के लिये घुमाया जाय, मैं इसका विरोध कर रहा हूं ।

**श्री बलवानसिंह** (जिला कानपुर)—माननीय विकल जी ने आपसे पूछा था वह आपने राय अपनी नहीं दी ।

**श्री उपाध्यक्ष**—मैंने जिनको पहले बुलाया है वह बोलेंगे । इसमें कोई व्यवस्था का सवाल तो है नहीं, जिसके ऊपर निगाह पड़ जायगी उसको बुला लिया जायगा ।

**श्री बलवानसिंह**—मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि विकल जी उस रोज भी खड़े हुये थे, कृष्णानन्द जी बैठे थे, लेकिन बैठे हुये को बुला लिया गया ।

**श्री उपाध्यक्ष**—बात यह है कि यह कोई व्यवस्था का सवाल है नहीं । यह तो सवाल यह है कि जिसके ऊपर पहले निगाह पड़ जायगी उसको बुला लिया जायगा । और फिर अभी तक बोले ही कितने आदमी हैं । छः सात आदमी बोले हैं ।

**श्री बलवानसिंह**—व्यवस्था इस तरह हाउस की है, जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उनको अध्यक्ष महोदय ने कह कर बुलाया, विकल साहब खड़े थे, उनको कहा कि आप नहीं बोलेंगे ।

**श्री उपाध्यक्ष**—अध्यक्ष महोदय ने मुझ से कुछ नहीं कहा ।

**श्री बलवानसिंह**—आज भी इसी पर विकल जी का यह कहना है कि अगर कांग्रेस.....

**श्री उपाध्यक्ष**—देखिये न, आप किसी मेम्बर के लिये क्या चेयर को फोर्स कर सकते हैं कि उसका नाम लिया जाय ? यह कौन-सी व्यवस्था की बात है ?

**श्री बलवानसिंह**—माननीय सदस्य अगर बोलना चाहते हैं तो यह उनका राइट है बोलने का और खड़े होने का ...

**श्री उपाध्यक्ष**—लेकिन अगर ४३० माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं तो चार सौ तीसों को तो टाइम नहीं मिल सकता । एक समय में एक ही साहब बोलेंगे ।

**श्री मुरलीधर कुरील**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि इस समय हम इस मुल्क के निर्माण की बेला में खड़े हैं और मुल्क का निर्माण करने के लिये हमने पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त की और दूसरी पंचवर्षीय योजना सफलतापूर्वक समाप्त की । तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी चल रही है और जब हमने इस मुल्क का स्वराज्य लेने के बाद इस मुल्क में आर्थिक कल्याण करने के लिये, आर्थिक उत्थान करने के लिये और इस मुल्क में जो लोग गरीब हैं, निर्धन हैं, बेसहारा हैं, सर्वहारा हैं, उनको उठाने के लिये, उनको रोजगार देने के लिये और उनकी आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक और राजनैतिक उन्नति करने के लिये, उनको आगे

बढ़ाने के लिये, समान स्तर पर लाने के लिये, हमने जब एक संकल्प किया है तो उस संकल्प को पूरा करने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस मुल्क के अन्दर वह सारी बातें प्रस्तुत करें, ऐसा वातावरण बनायें, वह सारी कोशिशें करें, वह रास्ते तैयार करें जिनके द्वारा कि उनका उत्थान हो सकता है और इन्हीं दृष्टिकोणों को सामने रखकर के पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा हम इस मुल्क का निर्माण शनैः-शनैः कर रहे हैं ।

किसी मुल्क के निर्माण के लिये दो तीन रास्ते मुख्यतः हुआ करते हैं । एक तो रास्ता यह है कि जो दूसरे मुल्कों ने, जैसे रूस और चीन आदि मुल्कों ने अपनाया कि वहां पर जनक्रांति और खूनखराबी द्वारा लोगों का सब कुछ लेकर के वहां पर ऐसी व्यवस्था की जिससे कि लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले । दूसरी व्यवस्था जिसको समाजवादी व्यवस्था कहते हैं और जिसको कांग्रेस ने स्वीकार किया है उसमें जनक्रांति या खूनखराबी का होना नहीं है । क्रांति हो, लेकिन शांति-पूर्वक हो और ऐसे रास्तों को लेकर के हो जिनसे कि नागरिकों के रहने में सुविधा हो और वह शांतिपूर्वक अपने विचारों का आदान-प्रदान करके वैधानिक तरीकों से क्रांति को लायें और उन तरीकों को अपनाकर के जैसा कि मैंने कहा कि समाजवादी व्यवस्था लाने के लिये और सर्वहारा की तरक्की के लिये, उसको ऊपर उठाने के लिये यह आवश्यक है कि साधन जुटाये जायं और साधन जुटाने के लिये और दूसरा कोई मार्ग नहीं हो सकता सिवाय इसके कि करों द्वारा वह पैसा जो कि योजनाओं में लगना है, उसको उपलब्ध किया जाय । इसलिये हमारी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें ४९७ करोड़ रुपया खर्च होना है और श्रीमन्, आप जानते हैं कि इस ४९७ करोड़ रुपये में ३५० करोड़ रुपये भारत सरकार ने हमको देने को कहा है, लेकिन उसके साथ-साथ भारत सरकार ने यह भी कहा है कि कम से कम १४७ करोड़ रुपया जो कि हमारे प्रांत को जुटाना चाहिये उसकी जिम्मेदारी हमारी प्रांतीय सरकार की है कि वह उस रुपये को जुटाये । जब यह रुपया जुटाया जायगा तब वह ३५० करोड़ रुपया प्राप्त हो सकेगा । अगर वह १४७ करोड़ रुपया नहीं जुटाया जा सकता या उसमें कुछ कमी रह जाती है तो सम्भव है कि उसी अनुपात में हमें जो भारत सरकार से रुपया मिलने वाला है उसमें भी कटौती हो सकती है । तो इस लिहाज से या तो हम इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये जो कि हर बात में दूसरे सूबों से पिछड़ा हुआ है, उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिये कर द्वारा पैसा इकट्ठा करें और योजनाओं को पूरा करें, या अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो श्रीमन्, आप जानते हैं कि प्रदेश तो पिछड़ा रह ही जायगा इसके साथ ही साथ जो हम नारा लगाते हैं वह भी नारा हमारा गलत साबित हो जायगा ।

मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है कि जबकि हमारे सामने बैठने वाली दूसरी पार्टियों में से दो पार्टियां जैसे जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी हैं इनके सम्बन्ध में तो मैं अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि इनका तो उद्देश्य कुछ समझ में नहीं आता है कि उनका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर के वह चल रही हैं । उन पार्टियों में जहां तक मैं समझा हूं ऐसे लोग हैं कि जो आज से पहले राजे महाराजे थे और जिनकी ऐसी आदतें थीं कि उन्होंने उस जमाने में जनता का शोषण किया था । उन आदतों में पले हुये हैं जो कि खुद काम करने में शर्म महसूस करते हैं, ऐसे लोग जरूर चाहेंगे कि वह पुरानी व्यवस्था, वह शोषण करने वाली व्यवस्था चालू रहे, ताकि उनके ऐशोआराम जैसे पहले होते थे वे वैसे ही चलते रहें ।

जहां तक सोशलिस्ट पार्टी का सम्बन्ध है, अगर वह पार्टी इस तरह के विधेयक का विरोध करती है तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है और वह ताज्जुब इसलिये होता है कि यदि उस पार्टी के उद्देश्य को देखा जाय तो उन्होंने अभी तक यह नहीं बतलाया है कि यदि कर न लगाया जाय तो फिर कौनसा रास्ता है कि बगैर कर लगाये हुये समाजवादी व्यवस्था कायम कर सकते हैं । जहां पर अधिक धन एकत्र है, जिनके पास ऐसे साधन हैं कि उन साधनों से उनके पास धन एकत्र हो गया है यदि उस एकत्र पैसे को लेकर भूखे नंगे और परेशान हाल और पिछड़े लोगों के लिये और हर तरह से गिरे हुये लोगों के लिये हम खर्च करते हैं तो इसमें फिर क्या बात है । उनका समाजवादी सिद्धांत भी यही कहता है कि जिनके पास अधिक साधन हैं, जिनके पास अधिक धन है उनसे अधिक से अधिक ले लिया जाय और जो सर्वहारा हैं उनके ऊपर खर्च करके उन्नति की जाय ।

[श्री मुरलीधर कुरील]

अब उनका यह सिद्धांत है और उसी सिद्धांत को कार्यान्वित करने के लिये हम यहां पर कार्य कर रहे हैं तो फिर उनका विरोध कैसा ? यह बात मेरी समझ में नहीं आई ।

इसी तरह से दूसरा दल प्रजा समाजवादी दल है । प्रजा समाजवादी पार्टी की वही बातें हैं जो कांग्रेस पार्टी की हैं । कुछ दिन पहले तब तक वह कांग्रेस के अन्दर ही थे और वही कार्य करते थे । वह कांग्रेस के सिद्धांत से सहमत हैं । जब वह कांग्रेस के सिद्धांत से सहमत हैं तो फिर हमें उनका सहयोग प्राप्त होना चाहिये । जहां तक साम्यवादी पार्टी की बात है वह तो अपने को बहुत आगे की पार्टी कहते हैं जैसा कि चीन और रूस अपने दृष्टिकोण में आगे हैं । वही दृष्टिकोण वह यहां अपने देश में रखना चाहते हैं । उनका दृष्टिकोण आगे है । जब आगे हैं तो अधिक तेजी के साथ वह कार्य करना चाहते हैं । जब उसी लक्ष्य की ओर हमारा देश शनैः-शनैः और धीरे-धीरे लोगों से पैसा लेकर बढ़ता जा रहा है तो उनको इसमें एतराज नहीं होना चाहिये इसलिये कि उनके सिद्धांत के अनुसार और अधिक टैक्स लेना चाहिये क्योंकि वह अपने को आगे समझते हैं और जल्दी से काम करना चाहते हैं । जब उनका यह सिद्धांत है कि पूंजी-वालों से पैसा लेकर सर्वहारा पर खर्च किया जाय, समान स्तर पर सब को लाया जाय जो कि कांग्रेस पार्टी कर रही है और वैधानिक तरीके से कर रही है, बिना खून खराबी के कर रही है तो उनको इस काम में अड़चन नहीं डालनी चाहिये और उनको साथ देना चाहिये । अगर उस तेजी के लाने में कोई सुझाव वे दे सकते हैं तो ऐसे सुझाव देना चाहिये ।

यह कहा जाता है कि पंचवर्षीय योजना के द्वारा पैसा वसूल करके, टैक्स लेकर, कर लेकर कोई कार्य नहीं किया गया है । मैं समझता हूं यह बात कहना असंगत है । आज हम यदि गांवों के अन्दर जायं तो देखेंगे कि हमारे यहां गांवों में हर दिशा में काम हुये हैं । लोगों को पीने का पानी मिला है । पानी पीने के कुयें बनाने के लिये लोगों को सहायता दी गई है । चाहे वह हरिजन हों या और पिछड़े हुये लोग हैं उनको सहायता दी गई है । लोगों को आज खाद के लिये तकावी, बीज के लिये तकावी, अच्छे खेती के सुधरे औजार, सिंचाई के लिये कुयें बनाने के लिये सहायता दी गई है । इसके अलावा यही नहीं बड़ी-बड़ी नहरें खोदकर बड़े-बड़े बांध बनाये गये हैं और सिंचाई का प्रबंध अधिक किया गया है । इसके साथ-साथ दूसरी तरफ बिजली की योजनायें भी कार्यान्वित की जा रही हैं और उस बिजली योजनाओं के द्वारा गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है उसमें हम बहुत से गांवों को बिजली दे चुके हैं और जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंची है वहां पर आगे आने वाले समय में बिजली पहुंच जायगी । इस प्रकार हम प्रत्येक दिशा में बढ़ रहे हैं । जब हम गांव में जा कर ब्लाक द्वारा हुये कार्यों को देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ काम हुआ है । उस काम को देख कर नजर घुमा लेने से काम चलने वाला नहीं है । यहां प्रश्नों द्वारा अथवा अन्य बातों में देखा जाता है कि विरोधी दल के तथा अन्य सदस्य भी कहते हैं कि गांवों में सड़कें बननी चाहिये, बिजली दी जानी चाहिये और उन बातों से पता चलता है कि वहां काम हुआ है । हां, जितना काम होना चाहिये था वह नहीं हो पाया है और इस बात को हम मानते हैं । उस काम को पूरा करने के लिये ही यह प्रयत्न किया जा रहा है ।

यह ठीक है कि जमींदारी विनाश के समय कहा गया था कि हम ४० साल तक लगान नहीं बढ़ायेंगे, लेकिन आज हम अपनी उस बात से हट नहीं रहे हैं । इसके पहले इस सदन द्वारा ही बृहत् जोतकर पास किया जा चुका है । उसके द्वारा अधिक भूमि जिनके पास थी उन से कर लिया गया था और उसे योजनाओं में लगाया गया था । यह विधेयक भी उसी प्रकार का है । उसमें ३० एकड़ की सीमा के ऊपर भूमि रखने वालों से टैक्स लिया जाना था, इसमें वह सीमा घटा कर ८ एकड़ कर दी गयी है । इसके पहले भूमि की सीमा निर्धारण का बिल पास हो चुका है और उस आधार पर सीलिंग होने जा रही है । अब बृहत् जोतकर से अधिक पैसा नहीं मिल सकेगा इसलिये कि बड़ी जोतें ही नहीं रहेंगी । इसलिये छोटी जोत वालों को योजना में योगदान देना पड़ेगा और इस योजना में बहुत से कार्य छोटी जोत वालों के लिये ही किये जा

रहे हैं। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात के साधन और सिंचाई के साधनों के लिये ही यह पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और जब हम इस दिशा में चल रहे हैं तो विरोधी पक्ष वालों को इसमें हमारा विरोध नहीं करना चाहिये।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। पिछली बार एक विधेयक के सिलसिले में बोलते समय मैंने कहा था कि जब हम गांव के अंदर भूमिहीनों को भूमि देने का अधिकार गांव सभाओं को दिये हैं कि वह खाली जमीनों के अलाटमेंट में भूमिहीनों और हरिजनों को प्राथमिकता दें तो हम देखते हैं कि वहां उन लोगों को प्राथमिकता मिलती नहीं। जो भूमिहीन हैं वे जमीन नहीं पाते और जिन के पास जमीनें पहले से हैं, या जिन के पास सीमा से अधिक जमीन है उनको ही नये एलाटमेंट हो जाते हैं। यह ठीक है कि एलाटमेंट रद्द करने का अधिकार जिलाधीश को है, लेकिन जिलाधीश या नीचे के अधिकारियों को इस संबंध में कोई अधिकार नहीं है कि वे एलाटमेंट कर सकें। इस के लिये आवश्यक संशोधन नियमों में होना चाहिये और जिलाधीश को अधिकार होना चाहिये कि यदि गांवसभा ने उपयुक्त व्यक्ति को एलाटमेंट नहीं किया है तो वह उसे रद्द कर के उपयुक्त व्यक्तियों को भूमि दिला सके। जिससे गांव के उन लोगों को जो कि भूमि पर खेती करना चाहते हैं, जिनके पास जमीन नहीं है और खेतों में मजदूरी करते हैं, वह आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको मौका मिलना जरूरी है और इससे उनको मौका मिलेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम अपनी योजनाओं में सफल होना चाहते हैं, देश और प्रदेश में कुछ सुधार करना चाहते हैं और लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, तो ऐसा करना ही होगा। यह विधेयक जो रखा गया है, इसके द्वारा अलाभकर जोत वालों को अर्थात् ८ एकड़ से कम वालों को इसमें छूट दी गई है ताकि वे अपने परिवार का भरण-पोषण ठीक से कर सकें। इसी के कारण उनको छूट दी गई है। प्रदेश के लगभग १ करोड़ १८ लाख किसानों में से १ करोड़ ११ लाख किसानों को इसके द्वारा छूट मिल जाती है। अब सिर्फ ७ लाख किसानों को इस विधेयक से कर देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप ही सोचें कि छोटे काश्तकारों को जिनकी अलाभकर जोतें हैं, उनको और अधिक उन्नति करने का मौका मिल जाता है। इस तरह से हमारे विरोधीदल के भाइयों की मंशा पूरी हो जाती है। इसलिये मेरी अपील है कि वह अपनी राय बदलें। जो वह कहते हैं कि इसको जनमत संग्रह के लिये और प्रवर समिति में इसको भेजने के लिये रखा जाय, उसको वे वापस लें तो अधिक अच्छा होगा। उनको यह प्रयत्न करना चाहिये कि यह विधेयक जल्दी से पारित हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)——आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ को जनमत संग्रह के लिये ६ मास तक परिचालित किया जाय। मैं इस संबंध में अपने भाव व्यक्त करना चाहता हूं——

चर नीके नहीं चरनी के बिना,
बर नीके नहीं बरनी के बिना,
घर नीके नहीं घरनी के बिना,
कर नीके नहीं करनी के बिना।

माननीय मुख्य मंत्री जी जरा इसको गौर कर लें कि "घर नीके नहीं घरनी के बिना"।

श्रीमन्, यह युग बाढ़ का युग है। आज चारों तरफ हम बाढ़ ही बाढ़ देख रहे हैं। सबसे पहले पानी की बाढ़ आई। चारों तरफ पानी ही पानी फैल गया। गांव के गांव डूब गये। भीषण दृश्य सामने आने लगे। पानी से पतली चीज संसार में और कोई नहीं होती है। इस सदन में बड़ी मोटी-मोटी बाढ़ें आ रही हैं। मिनिस्टरों की बाढ़, योजनाओं की बाढ़ और सबसे बड़ी टैक्सों की बाढ़। इस तरह की बाढ़ें आज इस सदन में आ रही हैं। एक बाढ़ आई तो उसने इस देश की यह दशा कर दी। यह तो कहिये कि भगवत कृपा थी कि यह सदन

[श्री लोकपालसिंह]

इतनी बाढ़ों के होते हुये भी बच गया। यदि ईश्वर की कृपा न होती तो जाने क्या होता। इसी संबंध में एक चीज और कह देना चाहता हूं--

ग्रह ग्रहीत पुनि वातवश, तेहि पर बीछी मार,
ताहि पिआएहु वारुणी, कहेऊ कवन उपचार ।।

श्रीमन्, जरा सोचिये कि एक दिन आग लगी तो सदन में भी थी और अंतरिक्ष तक उसकी ज्वालायें पहुंची। वह अब भी हृदयों में धधक रही हैं। मैं तो यही कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी को उस ज्वाला को बुझाने की जरूरत है ताकि यह सदन मटियामेट न हो जाय। जिस पानी की बाढ़ ने यह दशा कर दी, तो यह बाढ़ जो कि नई आ रही है वह न जाने इस सदन की क्या दशा करेगी। मैं हर समय इसी बात को सोचता हूं। पहले युग में बलिदान हुआ करता था। बड़े-बड़े लोग, राजा महाराजा, जानवरों की बलियां दिया करते थे। आज भी इस सरकार द्वारा तरह-तरह की बलि दी जा रही हैं। इन योजनाओं के नाम पर न जाने कितनी चीजों की बलि दी जा रही है, सिद्धान्त की बलि, सत्यता की बलि, करों की बलि, हर तरह की बलि। आज का इतिहासकार उनको गालियां देता है, आगे आने वाला इतिहासकार किसी भी प्रकार आपको भुला नहीं सकता।

यहां से जब आलोचना की जाती है, कुछ कहा जाता है, माननीय मुख्य मंत्री जी कह देते हैं कि यह तो राजाओं की पार्टी है। यह राजा कैसे राजा हैं--

"अधिकतर यहां नृप सिपाही हुये थे, अवशिष्ट सब साधुताई लिये थे।
अवागढ़ में अब भी हैं दृष्टान्त मोटा, साधू बड़ा नृप, सिपाही है छोटा ।।

हम राजस्थान के राजाओं ने जो बलिदान दिया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। अंग्रेजों ने हमें बड़े-बड़े प्रलोभन दिये, यहां तक कहा कि हम तुमको तुम्हारी स्टेट का मालिक बनाये देते हैं, लेकिन हमने उसको स्वीकार नहीं किया, देश के हित के लिये हमने वह सब समर्पण कर दिया। आपने जो वायदा किया था, आप उसको भूल गये। ७ तारीख को जब एक डेपुटेशन आपसे मिला इस बिल के संबंध में, उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जनसंघ में राजा लोग हैं, अगर वे अपनी सब प्रापर्टी जनहित के लिये लिख दें तो मैं विधेयक वापस ले सकता हूं। हमने कहा कि साथ ही साथ जो आपकी पार्टी में ऐसे लोग हैं वे भी यदि ऐसा करें तो हम तैयार हैं। मगर उसको ठुकरा दिया गया।

आदरणीय महोदय, एक बार कृष्ण जी ने ४ गोपियों की मटकियां फोड़ डालीं। उनमें से ३ उनको गालियां देने लगीं, एक हंसने लगी। कृष्ण जी ने उससे पूछा कि तुम गालियां क्यों नहीं देती? उस गोपी ने कहा कि मैं तो रानी हूं। कृष्ण जी ने पूछा कि तू कैसे रानी है? उसने कहा---

"नृप संगहो राज औ पाट गयो, रिपुगेह में खेंच के लाई गयी हौं,
तेहि मारिके मालन हाथि पड़ी, फिर बेची गयी गणिका कर हौं।
तहां रात में भ्रात के साथ भयौ, जल कूदी तरी संग काठ के धौं।
अब राजकुमार हौं ग्वालन हौं, लघु छाछि को क्षोभ कहा करिहौं।"

आप हम राजाओं पर लाँछन लगा रहे हैं? "खुदा पंच अंगुश्त एक सा न कर्द, न हर जन जनस्तो न हर मर्द मर्द।" सब राजा एक से नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष--जरा विषय पर भी आ जाइये।

श्री लोकपाल सिंह--उसी पर आ रहा हूं। हमारे वृद्ध राजस्व मंत्री जी कभी-कभी भड़क से जाते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आप तो वृद्ध हैं 'नीव निवौरी हूं पके होत सरस मृदु-मूल।' आपको ऐसा नहीं शोभा देता। आपने एक दिन कहा कि लगान बढ़ेगा, बढ़ेगा,

बढ़ेगा। इस कार्य में मैंने मालमंत्री महोदय को बहुत आगे देखा और श्री मुख्य मंत्री को पीछे पाया तो मुझे बड़ी शंका उत्पन्न हुई और महा भारत की एक घटना याद आई। मेरी भांति एक दिन दुर्योधन भी भयभीत हुआ था—जब उस ने शिखंडी को आगे और अर्जुन को पीछे देखा था। उस समय दुर्योधन ने घबराकर कहा कि :—

दौड़ो कर्ण दौड़ो करो रक्षा आज भीष्म की,
मेरे उर आन भयो संशय एक भारी है।

आज है विचित्र खेल कोई नटनागर को,
अर्जुन पिछारी है शिखन्डी अगारी है ॥

मैं तो यहाँ की जनता को चार भागों में बाँटता हूं। अस्त, व्यस्त, त्रस्त और मस्त। अस्त कौन ? राजा लोग। ये अस्त हो गये। मैंने राजा अवागढ़ को गायें चराते देखा। मुझे उस समय याद आया—"सहस्त्र अट्ठासी स्वर्ण थाल में जिमैया विप्र युधिष्ठिर आज पर-द्वार अन्न पायो है, कीचक हिडम्ब कौं बधैया वीर भीमसैन पाचक ह्वै विराट को रसोई पकावे है। विश्व को जितैया वीर अर्जुन वेश बनिता के विराटपुर जाय बाल—बालिका नचावे है। माद्री के दोनों सुत नकुल और सहदेव, एक अश्व खुजावें एक गऊएं चरावे हैं।"

दूसरा समाज है व्यस्त। कौन ? हम लोग। हम लोग सोचते हैं कि किस प्रकार सफेद कपड़े पहने, लड़के लड़कियों को पढ़ावें, उनके सुन्दर विवाह हों। त्रस्त कौन ? जिनके भाग्य में सुख ही नहीं है। चौथा कौन है ? मस्त। इसके लिये यदि मैं उनकी तरफ इशारा कर दूं तो निलम्बित कर दिया जाऊंगा। अस्त खत्म हो गया। व्यस्त को यह सरकार समाप्त कर देगी तो अस्त और त्रस्त एक होकर मस्त को खा जावेंगे। इसलिये आपको उससे बचना है और इसके लिये आवश्यक है कि आप इस विधेयक को वापिस लें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मस्त के समाप्त होते ही एक स्वस्थ तबका का निर्माण होगा जो आप के लिये महा दुखदायी होगा उससे बचिये।

मानव के जब दानवीय तत्व उससे दूर हो जाते हैं तो उसमें महान् शक्ति आ जाती है। मानव विघ्न के पहाड़ के लिये बज्र है—मानव दुःख के वृक्ष को उखाड़ने को झंझा है। मानव निराशा के समुद्र को पीने के लिये बड़वानल है मानव ने उठा लिया पहाड़, मानव ने निगल लिया सूर्य, मानव ने पी लिया समुद्र, मानव ने मजबूर कर दिया भगवान् को पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए"।

मैंने जब राजस्व मंत्री जी की गरजना सुनी तो मैं घबरा गया। मैंने सोचा कि अब निश्चय ही विधेयक पास होकर रहेगा और काश्तकार के गले पर छूरी चलेगी। लेकिन मुझे स्वामी रामतीर्थ का वाक्य याद आया और उसने मुझे इंजेक्शन का काम किया। उन्होंने कहा है कि नष्ट हो जाय वह देश जहाँ के लोग अपने मान-मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते, नष्ट हो जाय वह देश जहाँ की स्त्रियाँ अपने सतीत्व के लिये, उसकी रक्षा करने के लिये, जल नहीं सकतीं। उनमें मरने का साहस न हो, और जल जाय वह राज्य जहाँ की स्त्रियाँ और पु षों में अपने अधिकारों की रक्षा करने का साहस नहीं है। इसलिये हम इस विधेयक को पारित नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। यह हमारा दृढ़ निश्चय है। उसने मजबूर कर दिया श्री कृष्ण को अस्त्र पकड़ने के लिये। "आज जो न हरिसों शस्त्र गहाऊं, तो लज्जा गंगा जननी को संतनु सुत न कहाऊं"। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर दिल्ली का सिंहासन न डुलवा ू तो हम लोगों को आप जनसंघी न कहिये। हम हलवाई की कुतिया नहीं हैं जो कि दौना चाटने के लिये आती हैं, ठोकर खाकर कें कें करके भागती हैं और फिर आती हैं। हम हलवाहे के बैल नहीं हैं कि चाहे जो हमारे साथ व्यवहार हो, चाहे जिधर हमें हाँक लिया जाय। फिर भूसा खाने पर जुट जाय, हम कबूतर नहीं हैं कि एक कबूतर की गरदन तोड़ दी और शेष देखते रहे। जैसी सरकार सोच रही है, आदरणीय, वह बात होने वाली नहीं है। आपकी संगीन हमारी छाती को छू नहीं सकेगी। हथकड़ी हमें बाँध न सकेगी, जेल हमको रोक न सकेंगी। हम अपनी शक्ति को आपके ऊपर नहीं लगाना चाहते थे। हमारी शक्ति को हम लगाना चाहते थे चीन

[श्री लोकपालसिंह]

के ऊपर। अपनी शक्ति को हम इस्तेमाल करना चाहते थे पाकिस्तान के ऊपर। यदि हमारी सरकार के बारूदखाने में, तोपखाने में, गोलियों की कमी हो तो हम विरोधी दल के लोग अपना सिर देने के लिये तैयार हैं। शिरों के गोलों से हम चीन की दीवार को तोड़ डालेंगे। अगर तेरे तोपखाने में बारूद की कमी होगी तो हम परमपूज्य मुकर्जी की चिता की धूल बटोर देंगे। वह बारूद का काम देगी। लेकिन, आदरणीय, आपने तो हमें झंझट में डाल दिया है। यदि हम इस विधेयक को पास होने देते हैं तो भावी सन्तान हमको क्या कहेगी ?

हमारी सरकार योजनाओं की बड़ी दुहाई देती है कि योजनाओं के लिये पैसा चाहिये। दो योजनाओं का फल हमारे सामने है और तीसरी योजना मुंह फाड़े खड़ी है। इस सरकार को सोचना पड़ेगा। एक बात मुझे याद आ गई। एक गरीब घर की लड़की ब्याही गई बड़े घर में। वहाँ उसकी सास ने कहा कि तेरे लिये साड़ी ला दूं बनारस की, दिल्ली से जेवर मंगाये हैं। परन्तु उस बहू ने माँगी रोटी। वह तो रोटी की भूखी थी। गरीब घर की लड़की थी। तो पहले आप हमको रोटी दीजिये, मकान दीजिये, वस्त्र दीजिये, शिक्षा दीजिये, तब लम्बी सड़कों की बात कीजिये।

मान्यवर, मैं अंगद के रूप में आपको सुझाव देना चाहता हूं। मम जनकहि तोहि रही मिताई। लेकिन मैं इसका उल्टा कहता हूं। तव जन कहे मोहि रही मिताई, तेहि हित कारण आयो भाई। मेरा नाम लोकपाल है। मुझे भी जीत लें आप। गरीबों का गला घोटना ठीक नहीं है। अभी अवसर है कि सरकार जागे, भगवान उसे सद्बुद्धि दे। आप मेरे कहने को मान लें और इस विधेयक को वापिस लेने की कृपा करें।

उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती, शिव विरंचि पूजेहु बहु भांती ।।
वर पायेहु कीन्हेहु बहु काजा, जीतेहु लोकपाल सुर राजा ।।
नृप अभिमान मोहवश किम्बा, हरि आनेहु सीता जगदम्बा ।।
अब शुभ कहा करौ तुम मोरा, सब अपराध क्षमहु प्रभु तोरा ।।

जो कुछ हुआ सो हुआ, अभी भी सरकार इस विधेयक को वापिस ले सकती है तो उग्रसेन तुम्हारे अपराधों को माफ कर देगा। राजा जौनपुर मुझे माफ करें। भाई गेंदा सिंह मुझे माफ करें। राजा साहेब मनकापुर मुझे माफ करें, डाक्टर अहमद साहेब मुझे माफ करें। ये सब माफ कर देंगे। आपकी हिम्मत बनी रहेगी। रावण नहीं रहा। टैक्स लगाने के बाद लंका में हनुमान कूदा। जजिया लगाने वाला नहीं रहा, औरंगजेब नहीं रहा। तो या तो यह विधेयक नहीं या हम नहीं। आदरणीय, एक बन्दर जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। वह बोला कि काला-काला एक नहीं छोड़ूंगा। उसके हाथ में एक काला भौंरा पड़ गया। उसने उसे भी मुंह में रखा। जैसे ही उसने यह किया कि भौंरे ने उसे काट लिया और उसका मुंह सूज गया। इसी प्रकार ठीक यह विधेयक है। यह विधेयक भी इस सरकार के लिये भौंरे का काम करेगा। जैसे बन्दर के मुंह से सब जामुन निकल पड़े, वैसे ही इस सरकार के मुंह से भी निकल पड़ेंगे।

जब करों द्वारा विधायक जनकरों को बाँध लेता,
और फिर अपने-पराये की गगन चढ़ बाँग देता।
कर्म का प्रिय पारितोषिक क्षुब्ध मानव जब न पाता,
शान्तिमय जनता जलधि में तब उसी क्षण ज्वार आता ।।
बोल उठती है धरा झट व्योम झंझाझोर होता,
क्रान्ति होती देश में चट राज विप्लव घोर होता।
अट्टहास अटारिका टूटी कुटी पर जबकि करती,
सिसकियों की रीढ़ पर मृदुरागिनी जब तान भरती।

मूल्य से जब न्याय चुकता चोर तस्कर मान पाते,
पुरुषार्थी प्रणवीर पंडित पामरों के पद दबाते ।
जब नृशंस नरेश की कटु क्रूरता का शोर होता,
क्रांति होती देश में चढ़ राज विप्लव घोर होता ।।

यह सरकार गदर का आह्वान कर रही है ।

सोते हुये समाज को इस बिल ने बिलबिला दिया ।
शान्ति को हिला दिया, क्रान्ति को जिला दिया ।।

इस बिल ने समाज को बिलबिला दिया है । मैं एक मित्र के नाते आपसे कहता हूं कि आप इस विधेयक को वापस ले लें नहीं तो न कोई पानी देवा रहेगा और न नाम लेवा ही रहेगा । और जब आप जनता के सामने जायेंगे तो जनता आपसे कहेगी—

जिनके कुलिशकर आज तक करवृद्धि शर थे मारते ।
वे ही भयंकर भेड़िये अब राम नाम पुकारते ।।

जब जनता के सामने आप जायेंगे तो वह यही कहेगी कि वे वही भयंकर भेड़िये अब राम नाम पुकारने के लिये आये हैं । सगर, आदि बड़े-बड़े राजे महाराजे हो गये और वे पृथ्वी को अपने साथ ही ले जाना चाहते थे लेकिन नहीं ले जा सके । लेकिन ऐसा मालूम होता है यह पृथ्वी आपके साथ अवश्य जायगी । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है—

मीर जो साहिबे औलाद होगा, उसका दिल, दिल होगा न कि फौलाद होगा ।

हमें यह सोचना है कि जिसके औलाद होगी उसको ही इस दिल का दुख मालूम पड़ सकता है ।

'जाकें पाँव न फटी बिवाई, वो का जाने पीर पराई' ।

श्री झारखंडे राय—श्रीमन्, आप क्या बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य अपने विषय पर ही बोलें ।

श्री लोकपालसिंह—अब मौके पर आ गया । रावण की सब लोग बुराई किया करते हैं, लेकिन रावण के साथ-साथ मारीच की भी बुराई करते हैं । कहते हैं कि मारीच अगर सीता का हरण न करता तो ऐसी घटना न होती । इसी प्रकार से दुर्योधन के साथ-साथ दुःशासन की बुराई करते हैं कि उसने द्रोपदी का चीर हरण न किया होता तो दुर्योधन ऐसी दुर्मति न धरता । इस प्रकार संयोगिता के लिये पृथ्वीराज से अधिक माहिल को लोग बुरा कहते हैं । इसलिये, हे आज के युग के मारीचों दुःशासनो, माहिलो, हम हाथ जोड़ कर आपसे विनती करते हैं कि आप इस गलत रास्ते को छोड़ दीजिये और अपने साथी को ठीक सलाह दीजिये ।

हे आज के युग के द्रोणाचार्य, तू आज क्यों सोता है, हम सब तेरी आशा लगाये हुये हैं, तेरा दोनों दलों से समान सम्मान होता है, यहाँ यह चीर-हरण हो रहा है क्या यह सब तू इसी प्रकार देखता रहेगा, क्या राज्य के धन से तेरी आत्मा ऐसी कलुषित हो गयी है ।

हे आज के युग के भीष्म, तू दोनों दलों का बाबा है और महान शक्ति शाली है, क्या तू भी द्रौपदी चीर-हरण देखता रहेगा । हे हस्तिनापुर के समीप रहने वाले आज के वीरवर अर्जुन, यदि तू अब भी नहीं सोचेगा तो मुझे ही महाभारत का युद्ध करना पड़ेगा ।

अब केवल अन्त में मैं इतना ही कहूंगा —

माँगहु भीख त्याग निज धर्मू, आरत कहा न करे कुकर्मू ।

हे विद्या की अधिष्ठात्री देवी, मैं तेरा अपने हृदय में आह्वाहन करता हूं, लेकिन क्या तेरी वह क्षमता दूर हो गयी है, हे देवी, आज कृपा कर तू दूसरी ओर बैठे हुए मेरे साथियों

[श्री लोकपालसिंह]

को बुद्धि दे। मैं बड़े आदर से तेरा आह्वाहन करता हूं। अगर तैने कृपा की तो भेद रह ही कहाँ जायगा—

जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है।
तभी तक दुई है कि जब तक कि यह बू है।

अब आप सोच लीजिये—विधेयक पर अधिक विवाद न कीजिये—

मंथन से विष निकल रहा है, शंकर बन में पान करूंगा।
महाप्रलय-घन उमड़ रहा है, अब निश्चय आह्वाहन करूंगा।

मुझे आशा है कि उक्त विधेयक को जनमत-संग्रह के लिये भी मुख्य मंत्री जी भेजेंगे, और इस को अपने आप ही वापस ले लेंगे।

*श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री लोकपाल सिंह के भाषण के उपरान्त सचमुच वह बहुत हिम्मत वाला व्यक्ति होना चाहिये जो यहां पर भाषण देने का साहस करे। लेकिन श्रीमन्, मैं खड़ा हुआ हूं और प्रार्थना करता हूं श्री लोकपालसिंह जी से कि वे मुझे प्रेरणा दें। पिछले तीन दिनों से इस आदरणीय सदन में जो भाषण हो रहे हैं, मैंने उन्हें बहुत ध्यान से सुना। विशेष कर माननीय नेता विरोधी दल और प्रजा समाजवादी दल के नेता माननीय गेंदासिंह के भाषण मैंने बड़े ध्यान से सुने। दुर्भाग्य की बात है कि दोनों माननीय सदस्य आज इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। श्रीमन्, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय नेता विरोधी दल और श्री गेंदासिंह जी ने, जो आज इस प्रदेश की स्थिति है उसका चित्र ठीक आंका। मुझे यह भी प्रसन्नता है कि उन्होंने यहां की निर्धनता के सम्बन्ध में और विशेष कर विरोधी दल के नेता महोदय ने यहां की निर्धनता, यहां की अशिक्षा, यहां की भुखमरी, दरिद्रता और यहां इस प्रदेश में और तरह की समाज में जो कमियां हैं, उनका चित्रण भी ठीक किया। उनका विश्लेषण बिल्कुल ठीक था। उनकी विवेचना बिल्कुल ठीक थी और इसलिये श्रीमन्, मैं यह आशा करता था कि जब निदान उन्होंने ठीक कर लिया, जब नब्ज मरीज का हाथ में रख लिया तो उसका उपचार भी ठीक होगा। किन्तु श्रीमन्, मुझे अत्यन्त दुःख है कि विश्लेषण ठीक रहा, विवेचना ठीक रही, निदान ठीक रहा, लेकिन उपचार उन्होंने बिल्कुल उल्टा बतलाया।

श्रीमन्, विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा कि यह टैक्स समाप्त कर दो, योजना समाप्त कर दो और इसके बाद उन्होंने अत्यन्त क्रोध और खीझ के साथ कहा—मैंने अगर उनको ग़लत न समझा—उन्होंने सरकार को आह्वाहन किया कि तुम अपने को स्वयं को समाप्त कर दो। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि विरोधीदल के नेता एक सूझ-बूझ के राजनीतिज्ञ हैं और एक अच्छे बुद्धिमान चिकित्सक भी हैं, राजनीतिक चिकित्सक भी हैं और इसलिये मैं आशा करता था कि बुद्धिमान चिकित्सक होने के नाते वे बहुत धैर्य, शान्ति व तन्मयता से, एक धैर्यवान चिकित्सक के तरीके से मरीज के जीवन के प्रति दृढ़ विश्वास और निष्ठा रखते हुए एक ऐसा उपचार बतलायेंगे जिससे मुर्दे में जीवन आ जायगा, जिन्दगी आ जायगी। लेकिन मुझे अत्यन्त निराशा हुई विरोधी दल के नेता के भाषण को सुनने के बाद। श्रीमन्, यह सच है कि इस प्रदेश में दरिद्रता है। हम यह कहां कहते हैं कि इस प्रदेश की दरिद्रता समाप्त हो गयी है? यह सच है कि यहां बेरोजगारी है, यह सच है कि यहां उद्योग नहीं है, यह सच है कि यहां प्रति एकड़ ईल्ड बहुत कम है, यह सच है कि हमारे पास शिक्षा देने के लिये पर्याप्त साधन नहीं हैं, शुरू से आखिर तक दरिद्रता, भुखमरी का नंगा नाच हो रहा है। यह हम अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए तो कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि यहां की दरिद्रता को दूर करने के लिये हमारा लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना है। कांग्रेस ने यह समझा है कि दरिद्रता का अंत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इस देश में समाजवादी समाज की स्थापना न हो जाय। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं उन से कि किस तरह से इस देश में हम इस डेमोक्रेटिक सेट-अप में प्रजातांत्रिक तरीके से समाजवादी समाज की स्थापना कर सकते हैं। जहां पर प्रजातांत्रिक पद्धति नहीं है, जहां पर तानाशाही है, जहां पर एक मनुष्य के इशारे पर, उस की इच्छा पर शोषण चलता है वहां पर भी एक व्यवस्था को कायम करने के लिए योजनाओं का सहारा लेना पड़ा है।

रूस में योजना प्रारम्भ की गई, चीन में भी योजना आरम्भ की गई और मैं कहना चाहता हूं यहां पर हमारे डाक्टर जेड०ए० अहमद विराजमान हैं, मैं समझता हूं कि कम्युनिज्म या साम्यवाद के समझने वाले उनकी टक्कर के इस देश में थोड़े ही लोग होंगे। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह विवेचना करें कि जब रूस ने साम्यवाद को कायम करने के लिये और तानाशाही को खत्म करने के लिये अपने यहां कदम उठाया और शोषण को समाप्त करने के लिये, साम्राज्यवाद के विनाश के लिये तो कितनी ही योजनाओं के बाद भी रूस में समाज और समाजवाद के लाने में व्यवधान आते रहे, बाधायें उपस्थित होती रहीं और रूस शान्ति के साथ, इरादे के साथ, तत्परता के साथ और कस्द व डिटरमिनेशन के साथ उन योजनाओं को पूरा करने के लिये कदम उठाता रहा। रूस में भी ऐसी पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये अनेक कठिनाइयां और व्यवधान उपस्थित हुये थे क्योंकि वह एक तानाशाही देश था, उसका विश्वास सत्य और अहिंसा के अकीदे पर नहीं था। वहां के अकीदे, सिद्धान्त और फिलासफी, आफ लाइफ दूसरी थी। इसलिये उनका निबटारा भी दूसरी तरह से हुआ। बेरिया आज कहां है और दूसरे लोग कहां हैं? तो वहां भी व्यवधान पैदा होते रहे।

एक सदस्य—१५ साल में क्या प्रगति की है?

श्री कृष्णचन्द्र—प्रगति हम ने भी की है और हम भी आगे बढ़े हैं। जो उसको देखना न चाहें उनको दिखाया नहीं जा सकता। एक कहावत है कि जो नहीं देख सकते उन को दिखाया जा सकता है लेकिन जो देख सकते हैं और आंख बन्द कर लें उन को दुनिया में कोई नहीं दिखा सकता। तो मैं कह रहा था कि रूस में भी व्यवधान आये और वहां वह आज तक आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं। परेशानियां आ रही हैं, लेकिन वहां पर सहयोग की भावना के साथ, देशभक्ति की भावना से, समाज को सुखी बनाने की भावना से प्रेरित होकर वहां के निवासी कदम पर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। चीन का भी उदाहरण हम जानते हैं, वहां पर भी आजतक व्यवधान उपस्थित हो रहे हैं, वहां की कृषि की नीति पर काफी असन्तोष व्याप्त है और लोग अपने घर खेती खलिहान छोड़कर जा रहे हैं। इसलिये आवश्यक है कि जिस वक्त कोई योजना आरम्भ की जाय तो व्यवधान उपस्थित होंगे और उस के कंट्रेडिक्शन्स होंगे, आपसी विरोध और कठिनाइयां होंगी और उनका मुकाबला कर के हमें आगे बढ़ना है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने भी इस योजना के द्वारा इस सूबे में और देश में समाजवादी समाज की स्थापना का निश्चय किया है, हमारे इस निश्चय पर हमारे विरोधी दल के भाई व्यंग कर सकते हैं, उस का उपहास कर सकते हैं, हमारे स्वप्न, हमारे निश्चय और हमारे संकल्प व लक्ष्य पर सन्देह प्रदर्शित कर सकते हैं। विरोधी दल के माननीय नेता को भी सन्देह हो सकता है। शक पैदा हो सकता है, लेकिन आज यह पहला अवसर नहीं है जब कि हमारे इरादे पर, लक्ष्य के प्रति सन्देह उपस्थित किया। विरोधी दल के नेता, उनकी श्रेणी वही श्रेणी है जिस समय ब्रिटिश साम्राज्य से कांग्रेस के लोग जूझ रहे थे तो उन्होंने उपहास किया, व्यंग किया बुद्धि पर सन्देह प्रकट किया महात्मा गांधी तक की, लेकिन हम एक मत और वचन होकर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर अपने रास्ते पर चलते रहे और हमने देखा कि संदेह करने वालों की तादाद देश में थी, हमारे रास्ते में अनेक बाधायें पेश की गईं और लोगों ने महात्मा गांधी के प्रति जो एक हड्डियों का पुतला था जिस के पास कोई शस्त्र न थे, फौज न थी, उनके लिये कहा जाता था यह जा रहे हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करने, इस तरह के व्यंग लोगों ने किये। पर हमने अपनी आंख से देखा कि इन्हीं लोगों ने, जो गांधी जी के नेतृत्व में काम कर चुके हैं, वह करिश्मा

[श्री कृष्णचन्द्र]—

दिखाया उन्हीं थोड़े से आदमियों ने बगैर शस्त्र के ब्रिटिश साम्राज्यवाद को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया और वही लोग जिनको सौभाग्य है महात्मा गांधी के सैनिक होने का इस देश से निर्धनता को भी समाप्त कर देंगे इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है।

हमने दो योजनाएं इस प्रदेश में चलायीं। मेरे बहुत से मित्रों का यह खयाल है कि वे असफल हुईं। योजनाओं का मुख्य लक्ष्य है किसानों का स्तर ऊंचा उठे, गांव ऊंचे उठें, किसान के लिये सिंचाई की सुविधाएं हों अधिक अन्न पैदा हो सके, नगरों का निर्माण हो, मजदूरों की हालत ठीक हो इस उद्देश्य से दो पंचवर्षीय योजनायें हमने चलायीं प्रदेश में। इस बात के बावजूद भी हमारे बहुत से साथियों का खयाल है कि यह योजनाय पूर्णतः असफल हुई है, मेरा उनसे तीव्र मतभेद है। मेरा विचार है हम यद्यपि अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, उसके अनुरूप प्रगति नहीं की और उनके बहुत से कारण हैं, मैं उन कारणों की विवेचना करूंगा, सम्भव है हमने गलतियां की हों, हमारे पैर डगमगाये हों, लेकिन उधर के बैठने वाले भी उस आरोप से बच नहीं सकते। हो सकता है हमने लक्ष्यों की पूर्ति में तेजी से कदम न बढ़ाया हो लेकिन मैं यह हर्गिज नहीं मान सकता कि स्वर्गीय पंडित पंत के नेतृत्व में जो महान योजना प्रारम्भ की गई, जिस नेता ने पूर देश का भार सम्भाला था, उसके नेतृत्व में चलने वाली योजना विफल हो गई हो। अथवा डाक्टर सम्पूर्णानन्द के नेतृत्व में जो योजना चली हो जिसमें कांग्रेस के लोगों का सहयोग, उनका भी सहयोग रहा जो आज विपक्ष में बैठे हैं, तमाम नागरिकों का सहयोग रहा, इतने लोगों के सहयोगों से जो योजना प्रारम्भ की गई हो, मैं नहीं मान सकता वह शत् प्रति शत असफल हो गई है। आंकड़े आप देख सकते हैं, उनसे यह साबित नहीं हो सकेगा कि ये योजनायें असफल हो गयीं। आप भी जानते हैं कि हमने योजनायें प्रारम्भ कीं, उनको चलाया और एक सिद्धान्त स्थापित किया और उन को चलाने के लिये हमारे कदम आगे बढ़े और हमने उन योजनाओं को बहुत हद तक पूरा किया। इसलिये हम अपनी योजनाओं को ज्यादा शक्ति के साथ, ज्यादा साधनों के साथ और हिम्मत के साथ चलायेंगे। ४४७ करोड़ की हमारी तीसरी योजना है। माननीय गेंदा सिंह ने कहा पंत जी केन्द्रीय सरकार से रुपया नहीं ला पाये, डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी केन्द्रीय सरकार से रुपया नहीं ला पाये। मैं समझता हूं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। परिस्थिति यह है कि हम नहीं ला पाये, केन्द्र हमको नहीं देता तो क्या हम इन योजनाओं को फाड़ कर फेंक दें, समाप्त कर दें? या हम ज्यादा साधनों, शक्ति के साथ एक-एक पैसा इकट्ठा कर के हम इन योजनाओं को सफल बनाने की चेष्टा करें। कांग्रेस वही कर रही है दूसरा काम नहीं कर रही है। वह इस प्रदेश के समस्त साधनों को एकत्र कर रही है और उनके द्वारा इन योजनाओं को सफल बनाना चाहती है।

विरोधी दल के नेता ने कुछ विदेशों के उदाहरण दिये और अमेरिका की बात कही, स्वीडन, नार्वे, चीन और रूस की बात कही। चीन और रूस की बात मैं कर चुका हूं। वह हैं नहीं वर्ना मैं उनसे पूछता कि कितने उनमें से ऐसे देश हैं जिनके उन्होंने उदाहरण दिये जहां पर कि सदियों से साम्राज्यवादी विदेशी शासन दूसरे देश को रौंदते रहे हों? स्वेडन है, नार्वे है, अमेरिका है? नहीं है कौन-सा ऐसा देश है जिसका सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और नैतिक स्तर समाप्त हो गया हो, विदेशी शासन के परिणामस्वरूप और कौन-सा देश है इन देशों में जिनका उन्होंने उदाहरण दिया है जिसके दो टुकड़े हो गये हों आजादी मिलते ही और कौन-सा ऐसा देश है जहां पर करोड़ों आदमियों का आदान-प्रदान हुआ हो। वह देश हिन्दुस्तान है, इसलिये हिन्दुस्तान की समस्यायें अलग हैं, हिन्दुस्तान की स्थिति अलग है और जो स्वेडन, नार्वे, अमेरिका अथवा यूरोप के अन्य देशों में संभव हुआ वह इस देश व प्रदेश में नहीं हो सकता। यहां परिस्थितियां दूसरी हैं।

(व्यवधान)

मैं यह कह रहा था कि हमने दो पंचवर्षीय योजनाएं चलायीं और मेरे मत के अनुसार उनमें कामयाबी हुई। यह नहीं, जैसा कि हमारे विरोधी भाई कहते हैं, कि उनमें नाकामयाबी

हुई। सिंचाई में हमने करीब ६० करोड़ रुपये खर्च किये। आरोप यह लगाया गया कि सिंचाई के परिणामस्वरूप अधिक जमीन नहीं टूटी। आरोप ठीक हो सकता है लेकिन सिंचाई के परिणामस्वरूप एक दम जमीन नहीं तोड़ी जा सकती है। अगर आपके पास कोई अलाउद्दीन का चिराग है कि एक दम नहरें निकल जायं, एक दम जमीन टूट जाय, एकदम टेक्नीशियन्स पैदा हो जायं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई चिराग है नहीं। इसी प्रकार कृषि उत्पादन की बात है। मैं सहज बुद्धि की बात जानता हूं। गांवों में उत्पादन कम हुआ और शहरों में उत्पादन बढ़ा। मैं चाहता हूं कि यह आरोप लगाया जाय कि यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के असफल हो जाने का परिणाम है। और भी कारणों को ढूंढ़ने की कोशिश करें। क्या यह सम्भव नहीं है कि गांवों की आबादी शहरों में चली गयी और कल तक जो किसान अपनी मन पावर को कृषि उत्पादन करने में लगाता था आज उसने उस को शहर भेज दिया, अपने लड़कों को पढ़ाने लगा। इसलिये क्या यह कारण कृषि उत्पादन में कमी होने का नहीं हो सकता?

(व्यवधान)

हमारे माननीय विरोधी दल के नेता ने एक बात कही। सम्भवतः उससे कुछ भाइयों का मनोरंजन भी हुआ हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार शेखचिल्ली की तरह कल्पनाएं करती है और उसके बाद वह एक योजना बनाती है और जिस तरह से शेखचिल्ली की योजनायें विफल हुईं उसी तरह से इस सरकार की योजनायें विफल हो जाती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि कौन-सी संस्था और कौन-सा दल शेखचिल्ली की सी कल्पना करता है। हम और यह सारा सदन जानते है कि हमने जो कल्पनायें की हैं उनको कार्यान्वित किया है, उनको एक सजीव रूप दिया है। हमने यह फैसला किया था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारतवर्ष से हटेगा, तो वह हटा। हमने कल्पना यह भी की थी कि राजे और रजवाड़े यहां से हटेंगे, तो वे हटे और श्रीमन्, हमने यह भी फैसला किया कि हमारे प्रदेश से जमींदारी का खात्मा होगा और जमींदारी का खात्मा हुआ। शेखचिल्ली की कल्पना हमने नहीं की, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह सदन विचार करे कि शेखचिल्ली की सी कल्पना उन लोगों ने की जिन्होंने एक समय कहा था कि जमींदारी अगर समाप्त की गई तो हम डाइरेक्ट ऐक्शन कर देंगे। जिस समय आज यहां से गये तो मेरे यहां बावनी और टोडी फतेहपुर रियासतें हैं, उन्होंने फैसला किया कि अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे अन्दर सार्वभौम सत्ता निहित हो गई है और जिसने चुनौती दी कि उसका विरोध करेंगे और उसने अपनी फौज किले पर लगा दी थी, उन दोनों, तीनों रियासतों ने जिस समय हमारी फौज नहीं बल्कि पुलिस गई तो उस समय उनकी संगीनें गायब हो गईं, फौज गायब हो गई और पुलिस गायब हो गई।

श्रीमन्, यह १९४७ की बात है। जब पाकिस्तान ने काश्मीर पर हमला किया तो बहुत से रजवाड़े थे जिन्होंने यह तय किया था कि वे पाकिस्तान की सहायता से रजवाड़ों की स्थापना करेंगे, जागीरदारी स्थापित करेंगे और अपने निहित स्वार्थों की स्थापना करेंगे तथा अपना शासन कायम करेंगे। लेकिन वह कल्पना समाप्त हो गई, चकनाचूर हो गई और धूल धूसरित हो गयी। हम शेखचिल्ली की सी कल्पना नहीं करते हैं लेकिन वे करते हैं जो यहां नहीं हैं मेरे दुर्भाग्य से। इसलिये श्रीमन्, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं सदन से कहना चाहता हूं कि वह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से, एक व्यावहारिक बुद्धि से इसका समर्थन करे। यदि यहां का वातावरण तनाव का न होता, इस सदन में और बाहर, तो मेरा विश्वास है श्रीमन्, कि शान्ति के साथ इस विधेयक में अधिक परिवर्तन और तब्दीली की जा सकती थी जो कि तनावपूर्ण और आतंकपूर्ण वातावरण के कारण असंभव हो गई।

श्रीमन, माननीय दुबे जी ने कहा कि इस टैक्स के लग जाने से जोतें छोटी हो जायंगी। उस की वजह से कृषि उत्पादन नहीं होगा और यदि कृषि उत्पादन नहीं होगा तो देश और प्रदेश में आर्थिक अराजकता होगी और आर्थिक अराजकता होने पर यहां तानाशाही कायम हो जायगी। एक कल्पना और सम्भावना के आधार पर इस टैक्स के लग जाने से सम्पूर्ण प्रजातंत्र

[श्री कृष्णचन्द्र]

का सर्वनाश हो जायगा और देश की स्वतंत्रता चली जायगी और तानाशाही आ जायगी। मैं समझता हूं कि कल्पना के आधार पर राजनीति में निर्णय अक्सर नहीं लिये जाते हैं और जो निर्णय लेते हैं, वे श्रीमन, महाराज हैं, उनको बुद्धिमान् नहीं कह सकता हूं। मैं यह कह सकता हूं कि इस टक्स क लगन के बाद भी और यह टक्स लगेगा, इस में कोई संदेह नहीं है कि यह विधेयक पास होगा और ५ वर्ष तक यह टैक्स लगेगा और उसके बावजूद भी हमार यहां आराजकता नहीं होगी, प्रजातंत्र का नाश नहीं होगा और तानाशाही नहीं आ सकती है और न आयेगी, इसका मैं आप को आश्वासन दे सकता हूं। राजाशाही, जमींदारीशाही नहीं आ सकती है और कोई भी शाही नहीं आ सकती है। शुद्ध प्रजातंत्र रहेगा। हां, यह हो सकता है कि आज हम यहां बैठे हैं, कल दूसरा दल जो प्रजातंत्र में आस्था रखेगा, योजनाओं में अपनी आस्था रखेगा और हमारे लक्ष्यों में आस्था रखेगा वह सम्भव है कि यहां पर आकर बैठ जायं, लेकिन श्रीमन, यह सत्य है कि वह भले ही योजनाओं में विश्वास नहीं करते, जो प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते वह कितना ही सत्याग्रह चला लें, लेकिन यह शेखचिल्ली की कल्पना है। वह वहां से उठ कर यहां नहीं आ सकत। नामुमकिन बात ह। श्रीमन्, जहां तक आर्थिक विषमता की बात है म कहता हूं कि आर्थिक विषमता जब पैदा होगी तब पैदा होगी। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज राजनीतिक अराजकता कौन पैदा कर रहा है? कौन-सा दल है जो नियम, उप नियम, कानून, संविधान, इनकी खुली अवज्ञा करा रहा है? मैं कहता हूं कि उसके बावजूद भी आज हम जीवित हैं और जीवित रहेंगे और सफलता के साथ मुकाबला करेंगे। इस राजनीतिक अराजकता को पैदा करने के षड्यंत्रों का यदि हम सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकते हैं तो कल अगर कोई भी आर्थिक विषमता पैदा करे तो उसका भी हम मुकाबला करेंगे।

अब मैं इस विधेयक की व्यावहारिक दृष्टिकोण से विवेचना करने का प्रयत्न करूंगा। इस विधेयक में ८ एकड़ की छूट मिली है, जो घोषणा हुई है उसके अनुसार हालांकि हमारे भाई कहते हैं कि नहीं हुई है लेकिन मैं समझता हूं कि यह घोषणा हुई ह। मैं इसके लिये बधाई देता हूं माननीय राजस्व मंत्री महोदय को कि यह उन्होंने विधेयक को बहुत उदार बनाने की कोशिश की, लेकिन एक बुन्देलखंड की बात जरूर कह देना चाहता हूं। सब कहीं की बात कही अब अपने यहां की भी बात कह देना चाहता हूं। मैं यह समझता हूं कि बुंदेलखंड के लिए कम से कम २० एकड़ का एग्जेम्शन होना आवश्यक है। आठ एकड़ से वहां पर कुछ नहीं हो सकता। श्रीमन्, म माननीय नेगी जी की बात भी आपके सामने रखना चाहता हूं। पहाड़ के क्षेत्र को भी १८, २० एकड़ की छूट दी जाय।

श्रीमन्, जब मैं बुन्देलखंड की बात करता हूं, तो उसके कारण हैं और वह यह हैं कि बुन्देलखंड के अन्दर होल्डिंग्ज बहुत बड़ी-बड़ी हैं लेकिन उपजाऊ नहीं हैं, ऊबड़-खाबड़ हैं और उन पर तीन-तीन, चार-चार वर्ष के बाद खेती होती है। लगान लिया जाता है। इसलिये अगर उन पर लगान बढ़ाया गया तो यह न्याय नहीं होगा। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि बुन्देलखंड के लिए १६–२० एकड़ के बीच में एग्जेम्शन दिया जाय। और श्रीमन्, मुझे खुशी है मेरठ और मुजफ्फरनगर के जो मेरे भाई हैं वह भी चाहते हैं कि मैं उनके लिये कहूं। लेकिन मैं जानता हूं श्रीमन्, बड़े सामर्थ्यपूर्ण वकील हैं उस इलाके के लोग, बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े बुद्धिमान हैं और बड़े प्रभावशाली हैं, मंत्रिपरिषद् म हैं, इसलिये यह मेरी धृष्ठता होगी श्रीमन्, कि मैं उस क्षेत्र के बारे में कोई बात कह सकूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई उनके साथ भी इस तरह का बर्ताव इस विधेयक में हो सके, कोई गुंजायश रखी जा सके तो अवश्य रखी जाय। श्रीमन्, बुन्देलखंड के सिलसिले में एक बात और कहना चाहता हूं। कुछ रियासतें अंग्रेजों के जाने के बाद बुन्देलखंड के जिलों में मिल गईं, कुछ ओरई में मिली हैं, कुछ हमीरपुर में मिली हैं और कुछ बांदा में मिली है।

श्री बलवानसिंह—माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वह बुन्देलखंड की बात २० एकड़ की कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी निगाह माननीय बनारसीदास जी की तरफ जाती है तो एकदम वह ठंडे पड़ जाते हैं और आठ एकड़ तक आ जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—बलवानसिंह जी, आप विराज जाइए। यह तो फिजूल की बात है।

श्री कृष्णचन्द—श्रीमन्, बुन्देलखंड की एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी नजर तो कानपुर पर भी है। मुझको कानपुर होकर के ही आना पड़ता है इसलिये बहुत ख्याल है मुझको कानपुर का। (व्यवधान) बरेली और आगरे का ख्याल तो हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर को ज्यादा होगा और वह माननीय नेकराम शर्मा का इन्तजाम जरूर करेंगे। श्रीमन्, बुन्देलखंड का एक प्रश्न और है और वह यह है कि कुछ रियासतें जैसा मैंने कहा, बुन्देलखंड के जिलों में मर्ज हुई। कुछ झांसी में मर्ज हुई, कुछ हमीरपुर में मर्ज हुई, कुछ बांदा में मर्ज हुई—चरखारी, समथर और बावनी, यहां पर लगान अब भी दुगना है, सर्किल रेट अब भी दुगना है, हमारे बाकी, प्रदेश के जिलों से श्रीमन्, एक रियासत का मैं बताना चाहता हूं कि दुगना कैसे हो गया? एक रियासत के राजा थे, मेरा दुर्भाग्य है कि जौनपुर के राजा साहब इस समय यहां नहीं हैं, मैं उनको सुनाना चाहता था, मेरे जिले के पास जो रियासत मिली है, उसके राजा साहब थे, उनकी लड़की की शादी में पन्द्रह-बीस लाख रुपये की जरूरत हुई। वह पैसा कहां से आये? राजा साहब ने हुक्म दिया कि दुगुना लगान कर दिया जाय और सब वसूल किया जाय। लगान दुगुना लग गया और वसूल भी हो गया। शादी हो गई। इस तरह से यह दुगुना लगान लग गया। श्रीमन्, मैं कहना यह चाहता था कि आलरेडी दुगुना लगान वहां पर है समथर है, बावनी है, चरखारी है, डेढ़गुना और दुगुना वहां पर पहले से ही है, तो उन पर लगान न बढ़ाया जाय। जिस तरह से मैंने सुना है रामपुर की छूट दी जा रही है, उसी तरह से मैं कहता हूं कि उसूल एक होना चाहिये, जितनी भी मर्ज रियासतें हैं, चाहे वह रामपुर की हो, या बुन्देलखंड की हो, और श्रीमान् पंडित नेकराम शर्मा जी के जिले में भी कोई रियासत अगर मर्ज हो गई हो तो बहुत ठीक है और पंडित नेकराम जी आगरे और बरेली के बहुत हामी हैं वहां भी कोई मर्ज हुई हो तो उनके लिये भी एक उसूल मान लेना चाहिये कि जहां पर रियासतें मर्ज हुई और उनके लगान और सर्किल रेट में फर्क है उस क्षेत्र में यह जो कर बढ़ाया जा रहा है, यह कार्यान्वित नहीं होना चाहिये। यह मेरा सुझाव है और मुझे विश्वास है कि माननीय राजस्व मंत्री मेरे इस सुझाव को स्वीकार करेंगे। श्रीमन्, मैं इन शब्दों के साथ और इस विश्वास के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं कि यह हमारे सारे के सारे सदस्य चाहे इधर बैठ रहे हैं चाहे उधर बैठ रहे हैं इस प्रदेश को ऊंचा उठाने के लिये, इस समाज को नया रूप देने के लिये, इसको समृद्धिशाली बनाने के लिये, इसको और अधिक उच्च और उच्चतर बनाने के लिये कोई भी प्रयास ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि कोई साधन ऐसा हमारी पहुंच के बाहर रह जाय जिसको इकट्ठा न करने में हमारा प्रदेश ऊंचा न उठ सके।

*श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने विचार इस बिल के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा ख्याल है कि कांग्रेस हुकूमत के १५ साल में कोई बिल ऐसा नहीं था, अभी तक नहीं आया है जिसके बारे में इतनी परेशानी, इतना हैजान और इतना असन्तोष पैदा हुआ हो। माननीय मुख्य मंत्री जी ने फरमाया था कि हम बिल को किसी न किसी तरीके से पास कराके ले जायेंगे। अगर कोई विरोध करेगा तो उसका हम डटकर मुकाबला करेंगे। वह किसी मूड में, किसी गुस्से में वह इस बात को कह गये, लेकिन आज यह हकीकत है कि कांग्रेस की सरकार इस बिल को लाने के बाद एक दल-दल में फंस गई है। ३, ४ हफ्ते से परेशान हैं कि क्या करें। इस बिल को न निगला जाता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जेड० ए० अहमद]

है और न उगला जाता है कि किस तरह से उसको संशोधित करें। वह ऐसा कंट्रोवर्शियल बिल बन गया है कि हमारे लिये बायसे सरदर्द, आपके लिये बायसे सरदर्द और जनता के लिये सरदर्द ..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—बीच में नहीं टोकना चाहिये। शांति से सुनना चाहिये।

श्री जेड० ए० अहमद—ऐसे बिल को लाने के पहले काफी गौर खोज कर लेना चाहिये और मंत्रिमन्डल को, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि समझदार लोगों का है, काफी सोच विचार करके ऐसा बिल उसको लाना चाहिये वरना होता क्या है। ऐसा बिल अगर आ जाता है तो वह फंदा आपके गले में बन जाता है और मंत्रिमण्डल की इज्जत भी गिर जाती है। अभी यहां पर मुख्य मंत्री जी नहीं हैं और हमारे ठाकुर हुकुम सिंह जी भी नहीं हैं। मैं पूछता हूं कि किन अक्ल के दुश्मनों ने आपको सलाह दी थी कि जिसके पास सवा एकड़ हो उसके ऊपर टैक्स लग जाय? वह बड़े अक्ल के दुश्मन थे जिन्होंने आपको यह सलाह दी थी। आप उस अक्ल के दुश्मन की सलाह को घोटकर पी गये। आप उसके विरोध करने वालों से कहने लगे कि हम उनको कुचल डालेंगे। आपको उस कदम को पीछे हटाना पड़ा। मैं चाहता हूं कि इन परिस्थितियों से मंत्रिमन्डल सबक सीखे। ऐसे बिल को लाने के पहले काफी आगे पीछे, इधर उधर और बायें दाहिने देख लेना चाहिये कि क्या होगा। अब उपाध्यक्ष महोदय, हालत क्या है? बिल आ गया। कांग्रेस पार्टी डिवाइड, विरोधी पक्ष में इतनी मुखालफत, जनता में इतनी मुखालफत। अब ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि हमारे मंत्रिमन्डल को बहुत सन्जीदगी के साथ आलोचना सुननी चाहिये, चाहे वह आलोचनायें इधर से हों या उधर से हो, क्योंकि आज आलोचनायें दोनों तरफ से हैं और कभी-कभी उस पक्ष की आलोचनायें ज्यादा तेज हैं और बनिस्बत इधर की आलोचनाओं के, उधर की आलोचनाओं का तीर बदन में ज्यादा घुसता है। अब आज मैंने इस एजेन्डे को देखा तो मालूम यह हुआ कि गिरते पड़ते कुछ न कुछ फैसला हो गया और ८ एकड़ तक छोड़ दिया गया। कल रात तक यह परेशानी मुझको भी थी कि मैं क्या कहूं। पिटा पिटाया बिल, जो दफन हो चुका है, उस के बारे में आप कहते हैं बोलो। मैं क्या बोलूं। पुराना बिल, आप संशोधन लाये नहीं, अभी जाब्ते से कोई संशोधन नहीं आया, मैंने नहीं देखा कि वह कौन-सा संशोधन है, बाकी उसका ऐलान भी नहीं किया गया, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि वह माउथपीस हैं सरकार के इसलिये मैं मान लेता हूं कि ८ एकड़ का सरकार का संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय राजस्व मंत्री जी ने यहां कहा है।

श्री जेड० ए० अहमद—वह तो पहले कहा था, उसके बाद बहुत-सी घटनायें हुईं। आप भी उन पेचीदगियों को समझ लें तो अच्छा है। वह औसत ८ एकड़ था और उसका मतलब है कि ४ भी हो सकता है और १२ भी हो सकता है। बहरहाल, उन्होंने जो कहा, वह कहा, मैं उस झगड़े में नहीं पड़ता।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को अक्ल आने लगी है। मैं नहीं कहता कि बिलकुल बेअक्ल सरकार है, कभी-कभी अक्ल खो देती हैं। अब उसे कुछ अक्ल आ गयी है। मैं मानता हूं कि हम भी बेअक्ली की बातें करते हैं, मैं तो आपके पांव की धूल के बराबर हूं, मैं शहसवार नहीं हूं, लेकिन सरकार को अक्ल आने लगी है इसलिये कि सरकार ने देखा और सरकार के समर्थकों ने कहा। हम कहते हैं, हम चिल्लाते हैं तो कहा जाता है कि यह तो एजीटेटर हैं, सरकार के दुश्मन हैं। खैर, सरकार के समर्थकों ने कहा और उन समर्थकों की बात कुछ कम नहीं थी यह मैं जानता हूं। आप डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, बहुमत में हैं, सरकार आप की है और इसलिये सब भेद आपको मालूम हो जाते हैं। तो सरकार के समर्थकों की आवाज ने दबाव डाला, हमारी आवाज ने दबाव डाला, जनता की आवाज ने दबाव डाला, जिन्दगी ने दबाव डाला, अक्ल और शऊर ने आप पर दबाल डाला और उस दबाव से आप अपनी पुरानी पोजीशन से हटे

और ८ एकड़ तक पहुंचे। मैं इस गति का स्वागत करता हूं। ८ एकड़, ८ गुना अकल बढ़ गयी आपकी। मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं यह भी कहता हूं कि इसका श्रेय सिर्फ हम को ही नहीं है, अगर मेरे बहुत से भाई शहसवार यह कह दें कि हमको ही सारा इसका श्रेय है तो मैं उसे नहीं मानता। मैं कहता हूं कि इसका श्रेय आप को भी है। उधर बैठे हुये जो भाई हैं उनको भी क्रेडिट इसका जाता है। उन्होंने इसके लिये लड़ाई लड़ी है डट कर, और मुझे खुशी है कि हिन्दुस्तान का भविष्य, हिन्दुस्तान के मुस्तकबिल का जो चित्र मेरे सामने आया वह यह कि हिन्दुस्तान की किस्मत तय करने वाले, उसके ठेकेदार न हम और न आप। अगर हम समझ बैठें जो ५-५, ६-६ दलों में बंटे हुये हैं कि हम उसके ठेकेदार हैं या वह समझ बैठें कि हम एक दल हैं जिसकी सरकार है, हम ठेकेदार हैं, यह गलत है, यह बात गलत है। मैं नहीं मानता उसे और उसी तरह से मैं आप से भी दरख्वास्त करता हूं कि ठेकेदारी की जेहनियत अब इस देश में चलने वाली नहीं है। मिल जुल कर रास्ता निकालना पड़ेगा और सही विचार के लोग, सही बातों पर खड़े हो कर, चाहे वे कांग्रेस के दल के हों अथवा बाहर के, जब मिल जायेंगे तो खड़े हो कर देश की किस्मत बनायेंगे और वे ही देश का भविष्य बनायेंगे। आज छोटी-सी भूल से आप यह बड़ा सबक सीख सकते हैं और भविष्य के लिये रास्ता निकाल सकते हैं कि ईमानदार लोग, भले ही वह किसी दल के ही हों, सही खयालात की बिना पर, आपस में एका बना कर चल सकते हैं और गलत खयालात की बिना पर, पार्टीबन्दी की बिना पर, पोजीशन और रूलिंग पार्टी की बिना पर हमारा एका नहीं होगा, नहीं हो सकता। सिर्फ सही खयालात की बिना पर ही हमारा एका होगा और वह हिन्दुस्तान की किस्मत को तय करेगा। आपकी सरकार ने काफी किया है और मैं उसका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं अपनी पार्टी की नीति को भी साफ रख देना चाहता हूं। आपको मालूम हो कि कम्युनिस्ट पार्टी प्लानिंग में विश्वास रखती है और रूस में सबसे पहले प्लानिंग शुरू हुई और एक कैपिटलिस्ट देश में प्लानिंग का कन्सेप्शन एक कम्युनिस्ट देश से ही आया। आप प्लानिंग को गलत समझें हैं या सही, यह मैं नहीं कहता हूं। प्लानिंग अपने ऐतिहासिक हालत में थी या जो भी उसके नतीजे हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता हूं और न उस बहस में पड़ता हूं। बहरहाल, हम प्लानिंग को मानते हैं और साथ ही साथ यह भी मानते हैं कि अगर योजनाबद्ध विकास करना है तो टैक्स लगाना पड़ेगा, लेकिन जब उस टैक्स को वहां पर लगाया जायगा जहां कि गरीब और उजड़े हुये लोग हैं और मुल्क के पिछड़े हुये तबके पर लगाया जायगा, तो २-३ बातें हैं कि जिनका ऐसा करने से पहले खयाल करना ही पड़ेगा। उनको आप ओवरलुक नहीं कर सकते।

पहली बात यह है कि टैक्स लगाते समय यह देख लिया जाय कि क्या यह टैक्स बिलकुल जरूरी, आवश्यक, नेसेसरी और इन्डिस्पेन्सेबुल है। खास तौर पर जब गरीब जनता पर टैक्स लगाया जाय तो इस सवाल के ऊपर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिये। वह गरीब जनता जो २००, ३०० साल की साम्राज्यवाद के जूतों के नीचे कुचली गई है और अगर आज उसको थोड़ा-सा सुख मिल रहा है, उस प्लानिंग के जरिये तो इस विकास की वजह से उस सुख को उसे क्यों न दिया जाय, क्यों उससे वह छीना जाय? यदि आपको टैक्स लगाना ही है तो टैक्स ऐसे वर्ग पर लगाइये जो कि टैक्स देने की क्षमता रखते हैं। यह एक सिद्धान्त की बात है और मैं समझता हूं कि इससे आप भी इन्कार नहीं कर सकते हैं। अगर इस सिद्धांत को सामने रखते हुये कोई आप में से मुझ से सवाल पूछे कि क्या आप यह कहेंगे कि आज देहात में किसी पर टैक्स न लगाया जाय? तो मैं यह कहूंगा कि नहीं। मैं कहता हूं कि पिछले १०-१२ सालों में देहात में भी अमीर और अमीर हुआ है और गरीब और ज्यादा गरीब हुआ है और जो अमीर तबका है, जिसने गन्ने की खेती और आलू की खेती करके और बहुत-सी कामर्शियल क्राप्स पैदा करके बहुत-सा धन जमा किया है और सीलिंग को एवाएड किया है उन पर यह आप टैक्स जरूर लगायें। जिन्होंने जमीन को अपने भाई-भतीजों में बांट दे और जो आज २०-२०, ३०-३०, ४०-४० एकड़ और हजार पांच सौ एकड़ के मालिक बने बैठे हुये हैं, उन पर क्यों नहीं यह टैक्स लगाया जाय? मैं नहीं जानता हूं कि सारे विरोधी पक्ष के अन्दर मेरे सभी भाई मुझ से सहमत होंगे। मैं समझता हूं कि नहीं होंगे। लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं कि वह विरोधी पक्ष के लोग जो गरीब वर्ग और गरीब जनता की

[श्री जेड० ए० अहमद]

दुहाई देते हैं और समाजवाद की बात करते हैं और जो गरीब दल की नुमाइन्दगी करते हैं, वह भी इसी मत के होंगे। आप देखें कि देहात का वह तबका जो कि लुटेरा था और आज भी नये कानूनों से अपनी जायदाद और अपनी जमीनें बचाकर, पूरी योजना से गलत फायदा उठाता है और रुपया खींचता है, उन्होंने जबर्दस्ती अपने प्रभाव से या पैसे के जरिये से यह सब किया है, तो उनके ऊपर, मेरी यह निश्चित् राय है कि, टैक्स अवश्य लगाया जाय और उनको इस विधेयक से किसी तरह की छूट भी न दी जाय। आपके ऐसा करने में हमको कोई भी एतराज नहीं होगा।

यह मैं नहीं जानता हूं कि कौन से मेरे भाई मुझसे इत्तिफाक नहीं करते, लेकिन जो गरीबों के हिमायती हैं, वह जरूर करेंगे। मैं नहीं जानता हूं कि जनसंघ के नेता गरीब हैं या अमीर हैं, लेकिन अगर वह गरीब हैं तो उनको जरूर ये कहना चाहिये कि जो बड़े-बड़े लोग हैं, जिनके पास बहुत रुपया है उन पर टैक्स लगाया जाय और जरूर लगाया जाय। अगर यह बात उनकी जबान से नहीं निकलती है तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं निकलती है। मैं यह बात फिर कहूंगा कि देहात में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास मोटरें हैं और महल हैं। उनको छोड़ देना गलत होगा। लेकिन साथ ही साथ गरीब पर लगाना तो और भी गलत होगा। मैं तो यही कहूंगा कि जो अमीर हैं उस पर यह टैक्स लगाया जाय और उसके पैसे से स्कूल और अस्पताल खोले जायें तो मुझे और किसी को क्या एतराज हो सकता है? यह एक कसौटी है कि जिस पर हमें इन चीजों को उतारना है, और इसी कसौटी पर मैं हर एक को परखता हूं।

अब उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं यह कहता हूं कि तो साथ ही साथ मुझे यह जरूर कहना पड़ेगा कि गरीबों के ऊपर टैक्स लगाने से पहले आपको १० दफा सोचना पड़ेगा कि आज हमारे यहां किस प्रकार के लोग हैं। आज हिन्दुस्तान में अधिकतर लोग गरीब हैं। हमें देखना होगा कि हमारे रहन-सहन का स्टैन्डर्ड क्या है? किसी दूसरे देश में जाइये तो कितना फर्क मिलता है। अगर किसी को दो वक्त खाने को रोटी मिल जाती है, तो मैं इसको काफी नहीं मानता हूं। मैं यह चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर जिसे हम खाता-पीता कहते हैं वह अच्छी तरह से खाता-पीता हो। हिन्दुस्तान की हालत में हमें सोचना पड़ेगा कि कौन से लोग गरीब हैं और कौन से लोग मध्यम वर्ग के हैं। गरीब थोड़ा बढ़ता है तो वह मध्यम वर्ग में आ जाता है, पर वह ऐसी हालत में नहीं होता कि आप उस पर कोई बोझा डाल सकें। उपाध्यक्ष महोदय, ताज्जुब तब होता है जब इधर उधर की बात कही जाती है। सफेद कपड़ा पहनना, टार्च लेकर चलना, या साइकिल पर चलना, मैं इसे यह नहीं मानता कि उनकी हालत में बहुत सुधार हुआ है। सफेद कपड़ा पहनना तो एक सभ्यता की निशानी है। एक मंत्री महोदय ने कहा कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो देहात में देखता था कि लोग फटी हुई धोती पहनते थे, लड़के फटा हुआ बस्ता लेकर चलते थे, लेकिन अब मैं देखता हूं कि वे धोती भी साबुत पहनकर निलकते हैं, बस्ता भी लेकर निकलते हैं। अब बस्ता और धोती दोनों अच्छी हैं वगैरह। यह क्या बात है? इससे यह न समझिये कि वे अमीर हो गये। ये अब इन्सान बने हैं। इन्सानी स्तर पर पहुंच रहे हैं। इसलिये उस स्तर पर उनको रखिये। उजड़े हुये उपनिवेशवाद की जो कसौटी बन जाती है गरीबी और खुशहाली की, उसको छोड़कर, आपको एक स्वतंत्र समाज की अलग कसौटी बनानी होगी और उसको मद्देनजर रखते हुये यह आपको तय करना पड़ेगा कि किस प्रकार टैक्स लगाया जाय और किस पर लगाया जाय।

मैंने ठाकुर हुकुम सिंह जी का भाषण सुना और उसे सुन कर मुझे दुखः हुआ।...

(इस समय ३ बजकर ४९ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

वे अब आ भी गये हैं। मुझे उसे सुन कर अफसोस हुआ। मैं चाहता था कि इस सवाल पर बजाय इसके कि इधर से या उधर से शोर मचे, क्लैश आफ आइडियाज और पालिसीज हो, उसे छोड़ कर कोई समझ पैदा हो। अभी तक उधर से कोई चीज ऐसी नहीं आई है जिसे देखकर मैं यह कह सकूं कि आपने अपना कोम बना लिया है। यह लेजिस्लेचर, प्रदेश का एक सुप्रीम कोर्ट है।

उसके सामने आपको अपने केस को बनाना होगा। यह नहीं कि रुपया दे दो, रुपया दे दो। क्यों दे दो, यह बात अच्छी तरह से आपको समझानी होगी।

**श्री हुकुमसिंह विसेन**—कोई सुने भी तो।

**श्री जेड०ए० अहमद**—सुनने के लिये मेरे जैसे बेवकूफ हमेशा तैयार हैं, लेकिन मुझे भी तो सुनाइये। लेकिन यह क्या कि रुपया दे दो? क्या कोई मारवाड़ी की दूकान है? आप यह तो बताइये कि आप रुपया क्यों चाहते हैं? तब आपका लेखा-जोखा देखा जाय कि रुपये की आपको जरूरत है भी या नहीं। जब आप एक एकड़ वाले गरीब किसान पर इस कर को लगा देंगे तो उसकी क्या हालत होगी। एक एकड़ में इसलिये कह रहा हूं कि अभी आपके कानून में एक एकड़ ही है। आगे आप बढ़ा रहे हैं इसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन उसको मैं बाद को कहूंगा।

इस समय मैं यह कह रहा हूं कि इस पर खूब खुल कर बहस होनी चाहिये। जरा नीतियों को सामने तो आने दो। जनता देखे तो कि कौन क्या कहता है। जनता जरा शिक्षित तो हो। अगले पाँच वर्षों के लिये आपकी नीति तो उसके सामने आ जानी चाहिये, नहीं तो यही ब्राह्मणवाद, चमारवाद, मुसलमानवाद पर ही चुनाव होता रहेगा। इसलिये नीतियों का संघर्ष सामने आना चाहिये। सिद्धांत सामने आने चाहिये, सिद्धांतों की कशमकश होनी चाहिये। हालाँकि सरकार ने ८ गुना करके अक्लमंदी की है, वह एक एकड़ से आठ एकड़ तक पहुंच गयी है, इसको आपकी प्रगति कहा जा सकता है, लेकिन इससे आप किसी बुनियादी समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचे हैं। यह तो केवल आपने पोलीटिकल प्रेसर की वजह से किया है। वह प्रेशर कुछ इधर से आया कुछ उधर से आया, कुछ भविष्य के एलेक्शन का सवाल आपके सामने आया। मैं एलेक्शनबाजी करता हूं। आप भी करते हैं। इसलिये आप यह न भूल जाइये कि इस समय आप पैसा-पैसा करके पैसा तो ले लेंगे लेकिन वोट के समय वोट कहाँ से आयेंगे? वोटर भी वोट के समय कह देगा कि पैसे के समय पैसा आपने ले लिया, अब वोट क्यों मांगते हो? मैं नहीं चाहता कि इस पैसे के चक्कर में आप समाज के इतने बड़े हिस्से का दरवाजा खोल दें कि उसको जो चाहे लूट ले। इससे किसानों के क्षेत्र में लूट बढ़ जायगी। तब आप क्या मुंह दिखायेंगे? लगान आपने बढ़ा दिया, इसका आप क्या जवाब देंगे? इसी वजह से कांग्रेस दल के अन्दर यह हैजान और परेशानी है। खैर, मैं आन्तरिक परिस्थितियों में नहीं जाना चाहता। हाँ, तो आपने एक कदम आगे बढ़ाया है लेकिन बुनियादी समस्या, जिसने आपको मजबूर किया लैन्ड टैक्स बिल लाने के लिये, वह समस्या बदली नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि उस समस्या की प्रेमिसेज क्या हैं?

मैं बता दूं। उसकी पहली पिलर यह है कि किसानों की हालत बहुत सुधर गयी है और किसान जनता अधिक टैक्स देने के काबिल हो गयी है। किसान-जनता की हालत पिछले १० सालों में सुधरी है और अब किसान की टैक्सेबिल कैपेसिटी बढ़ गयी है। उसका दूसरा पिलर यह है कि किसान पर जो अब तक टैक्स लगाया गया है वह उस टैक्स से बहुत कम है जो शहर की जनता पर लगाया गया है। यानी शहर की जनता पर ज्यादा कर लगा हुआ है बनिस्बत किसानों के। ये दो प्रेमिसेज हैं जिनकी इमारत पर यह इमारत लैन्ड टैक्स बिल की खड़ी हुई है। मैं बड़े अदब से कहूंगा कि आपके आँकड़े के आधार पर मैं इस चीज को प्रूव करूंगा इस सदन के सामने। और जब मैं खत्म करूं तो हर एक भाई जो कांग्रेस की तरफ भी है, ईमानदारी से अपना दिल टटोल कर जवाब दें। मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, वे अपने आपको ही जवाब दें कि इन दोनों प्रिमिसेज के अन्दर किसान जनता की हालत में इतना सुधार हुआ है शहरी जनता के मुकाबिले कि वह इतना अधिक टैक्स दे सके? असेम्बली में जब हम आये हैं तो यहाँ प्रिंसिपुल और पालिसी की लड़ाई है। मैं आपके मंत्रियों से, सेक्रेटरीज से, एक-एक आँकड़े का जवाब चाहूंगा।

[श्री जेड० ए० अहमद]

किसानों की हालत को अगर पैदावार की दृष्टि से देखा जाय तो १९४८–४९ में यू०पी० के किसानों की टोटल पैदावार अगर इंडेक्स के हिसाब से १०० मानी जाय तो १९५५–५६ में ११४ हो गयी, यानी १४ परसेंट बढ़ोत्तरी हुई। ५६–५७ में १२१, ५७–५८ में ११२, ५८–५९ में १२५ और ५९–६० में १२६ हुई। यानी अगर ५ वर्ष का औसत निकालें तो हम यह कह सकते हैं और सही बात है कि यू०पी० के किसानों की टोटल पैदावार में २० फीसदी इजाफा हुआ है, परसेंट के हिसाब से, अच्छी बात है। लेकिन किसानों को क्या मिलता है ? सवाल यह नहीं है कि किसानों की पैदावार में इजाफा हुआ। सवाल यह है कि पैदावार का मूल्य कितना किसानों को मिलता है। असल बात तो यही है। किसान की जेब में ठनठनाता हुआ रुपया कितना जाता है, यह आपके आंकड़े बतलायेंगे।

अगर १९४८–४९ में किसान की पैदावार का मूल्य १०० था तो १९५५–५६ में ८० था, ५६–५७ में ९८ था, ५७–५८ में ९३ था, ५८–५९ में ११३ था और ५९–६० में १०८ था। यानी बावजूद इसके कि औसत पैदावार २० प्रतिशत बढ़ी है, अगर सन् ५५ से ६० तक का ५ साल का औसत निकाला जाय तो वह औसत मूल्य ९८ आता है। पैदावार में बढ़ोत्तरी तो २० प्रतिशत हुई लेकिन मूल्य माइनस दो हो गया यानी १०० से ९८ हो गया। अगर पैदावार के सवाल को मूल्य के सवाल के साथ जोड़ा जाय तभी किसान की खुशहाली का पैमाना बन सकता है, वरना नहीं। उधर बड़े-बड़े माहिर हैं, चौधरी चरण सिंह जी भी बैठे हुये हैं जो इस सब्जेक्ट के बड़े माहिर हैं, और भी कांग्रेस के नेता लोग बैठे हुये हैं, वे इसका जवाब दे दें। अब आप देखें कि किसानों की आय मूल्य से जुड़ी हुई है। मैं रुपयों में बताता हूं और ये फिगर्स सरकारी बुलेटिन के हैं। मैं ४८–४९ की प्राइसेज की बात नहीं करता, मैं करेंट प्राइसेज को ले रहा हूं। अगर हम मौजूदा कीमतों को लेकर लगायें तो ५०–५१ में यू० पी० के किसानों की फीकस औसत आय २०२ रुपया थी, उसके बाद ५५–५६ में १५३ हुई, १९५६–५७ में १७४ हुई, १९५७–५८ में वह १६४ हुई, १९५८–५९ में वह १९१ हुई और १९५९–६० में फिर १८३ रह गई। तो मुझे बताया जाय कि अगर ५०–५१ में २०२ रुपया फीकस आय थी एक साल की और आज वह १८३ है तो फिर किसान की टैक्सेबिल कैपेसिटी कैसे बढ़ गई ?

अब इस को भी अगर आप छोड़ दें और कह दें कि यह भी बेकार बात है तो मैं आपको बता दूं कि शहर और देहात का जो इतना जिक्र किया जाता है तो आप शहर और देहात की फीकस औसत आय पर भी एक नजर डाल लें। करेंट प्राइसेज में शहर की औसत आय एक साल की फीकस १९५०-५१ में ६०६ थी और वहां देहात में २०२ थी, अब शहर की १९५९–६० में ६७१ हो गई। यह न सिर्फ यह कि किसान की देहात की आय से करीब-करीब चौगुनी है या साढ़े तीन गुनी है बल्कि सन् १९५० के मुकाबले में ६० में किसान की आय गिरी है जब कि शहर वालों की आय, औसत आय साल भर की ६०६ से बढ़कर ६७१ हो गई। तो मुझे बताया जाय के टैक्सेबिल कैपेसिटी कहां बढ़ी है ? इसका जवाब मिलना चाहिये, मैं इंतजार करूंगा। आप के बहुत काबिल स्टेटीशियन हैं, वह बतायें कि स्टेटिक्स बनाने में क्या गलती हो गई इसका जवाब मुझे मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और पेश कर दूं कि किसानों की आय, किसानों की खुशहाली इस पर निर्भर है कि उस को गल्ले की कीमत क्या मिलती है ? पिछले दस सालों में प्राइसेज जो किसानों को मिलती हैं उनकी क्या हालत हुई है इसके लिये आप होलसेल एग्रीकल्चरेल प्राइसेज के इन्डेक्स को देखें। हमारे प्रदेश में मुख्यतः किसान रबी और खरीफ की २ फसलों पर निर्भर है, गन्ने को मैं छोड़ देता हूं, यानी वह गेहूं और धान पर निर्भर करता है। ज्वार, बाजरा छोड़ दिया जाय तो रबी में गेहूं और खरीफ में धान किसान की मुख्य फसलें यहां हैं, लेकिन आप देखें कि गेहूं और धान की कीमतें किस तरह से पिछले दस साल में गिरी हैं। अगर ४८ बराबर १०० के है तो गेहूं की कीमत का इन्डेक्स ६० में ८३ रहा और ४८ के मुकाबले में वह १७ प्रतिशत गिर गया और चावल का इंडेक्स नम्बर, १९६०

में ८८.५, यानी १२ प्रतिशत गिरा १९४८ के मुकाबले में। अब १९६१ का देखें। अगर सन् १९४८ बराबर है १०० के तो गेहूं का इंडेक्स नम्बर १९६१ में ६७.१ आता है, यानी ३३ परसेंट गिरा और चावल का इंडेक्स है ८४.६। अब आप बता दें पैदावार बढ़ी, दाम घटे और घटते गये। अब बतायें कहां से टैक्सेबिल कैपेसिटी पैदा हो गई किसान की, कहां से खुशहाली पैदा हो गई?

अगर प्रेशर आफ पापूलेशन लें तो वह बढ़ गया, उससे आबादी रकबा बढ़ा है उसके साथ-साथ प्रेशर आफ पापुलेशन बढ़ता गया, डिवीजन आफ होल्डिंग्स ज्यादा होता गया, अनएकोनोमिक होल्डिंग्स बढ़ती गईं और उसके साथ-साथ किसान को जो मूल्य मिला है उसकी पैदावार का, हालांकि पैदावार बढ़ी है, लेकिन मूल्य गिरा है और गेहूं का इंडेक्स नम्बर १९६१ में ६७.१ हो गया और चावल ८४.६ हो गया। अब आप कहेंगे गेहूं और चावल का बता दिया तो जनरल इंडेक्स नम्बर आफ सीरियल्स इनक्लूडिंग पल्सेज का भी बता दूं। तो आपको मालूम होगा कि १९४८ के मुकाबले में किसान आज कहां है। अगर १९४८ में इंडेक्स नम्बर आफ सीरियल्स इन्क्लूडिंग पल्सेज १०० था तो १९६१ में ८९.६ हो गया जिसके अन्दर सब चीज आ गई। फीडर इंडेक्स नम्बर कहां है? १९६१ में ७३ था जब कि १९४८ में १०० था।

कामर्शियल क्राप में जरूर किसान को फायदा हुआ है। लेकिन कितना परसेंटेज आज कामर्शियल क्राप का है जिसको लेकर आप कहेंगे टोटेलिटी में सारे प्रदेश के किसान जो कि फूड क्राप ज्यादा पैदा करते हैं, आप सिर्फ कामर्शियल क्राप को लेंगे जो कि १९६१ में ११९ था, यानी १९ फीसदी बढ़ा है जिसके अन्दर आलू, गन्ना, तिलहन, तम्बाकू, आदि सब हैं, लेकिन उसको भी अपनी जगह अगर टोटेलिटी में देखेंगे तो किसान रबी और खरीफ का जो पैदा करने वाला है उसकी क्राप की वैल्यू सीरियसली गिरी है पिछले १०,१२ सालों में।

अब दूसरी तरफ कहेंगे अपनी चीज बेचता है और खरीदता है। इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्रियल प्राइसेज हैं और जो ऐग्रीकल्चर प्राइसेज हैं उनकी पैरिटी क्या है? उसको भी देखना है। बेचता सस्ती है और खरीदता महंगी है, पैसा उसकी जेब से जाता है। इंडस्ट्रियल प्राइसेज का इंडेक्स देखिये। अगर १९४८ बराबर १०० था तो चीनी हो गई ११७, १९६० में, वेजिटेबिल आयल हो गया ११४, काटन क्लाथ हो गया ११९, माचिस हो गई १६०, सीमेंट हो गया १३८, कागज हो गया १४८, पीतल के बरतन हो गये ११३, जूता वगैरह चमड़े की चीजें हो गईं १३७, और जनरल इंडेक्स नम्बर १२३ है। मैंने वही चीजें ली हैं जो किसान इस्तेमाल करता है। तो जहां गेहूं के दाम गिरे हैं, चावल के दाम गिरे हैं, वहां उसकी माचिस, चीनी, धोती जोड़ा, सीमेंट, लोटा, जूते के दाम बढ़े हैं और १२३ फीसदी बढ़ गये हैं। तो कहां है खुशहाली? कहां है टेक्सेबिल कैपेसिटी? यह तो इंडस्ट्रियल गुड्स की बात है। अब किसान के गल्ले की जो कीमत है और औद्योगिक वस्तुओं की जो कीमत है, उसका जो रिश्ता है उसको लेंगे तो बड़ी गम्भीरता से गौर करना होगा। अब अगर इंडेक्स फीगर १९४८ बराबर है १०० के तो किसान को जो कीमत मिलती है औद्योगिक कीमतों के रिलेशन में उसके संबंध में मेरे पास ये आंकड़े हैं कि किसान को जो कीमत मिली है ५८ में वह थी ९९,५९ में ९४, ६० में ८४ और ६१ में ७९। तो इंडस्ट्रियल प्राइसेज की पैरिटी में एग्रिकल्चरल प्राइसेज की पैरिटी को देखा जाय तो यह हालत हो गयी है कि ६१ में ७९ रह गई।

एक पहलू पर आखिर में मैं कह देना चाहता हूं। यह आर्गूमेंट दिया गया है कि किसान के ऊपर जो टैक्स टोटल है वह शहर की जनता से कम है। मैंने जो आंकड़े बजट को देख कर निकाले हैं और कीमतों को सामने रख कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि किसान शहर की जनता से ज्यादा टैक्स्ड है और इसका नतीजा यह है कि वह टैक्सेशन उसका काफी अनाज ले जाता है। अब किसान ज्यादा टैक्स्ड है तो मेरा यह मतलब नहीं है कि आप शहर की जनता पर टूट पड़ें और शहर की जनता पर टैक्स लगा दें। मैं ऐसी कोई दलील पेश नहीं करता कि डाक्टर साहब ने यह कहा था कि खिराजा शहर की जनता पर टूट पड़ो।

श्री हुकुमसिंह बिसेन—यह सब बहस की ही बात है या कोई तत्व की बात भी है?

श्री जेड० ए० अहमद—मैं तो सच्ची बात कह रहा हूं। स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, जिस पर लाखों रुपया सरकार खर्च कर रही है या तो वह गवर्नमेंट विरोधी है, उसको बन्द कर दीजिये और आपको जांच करना चाहिए कि ऐसे खतरनाक आंकड़े वह क्यों दे रहा है या फिर जो वह कहता है उसके हिसाब से चलिये।

अब देहाती जनता पर टैक्स के सम्बन्ध में लगान की ही बात कही जाती है। लेकिन केवल लगान तो है नहीं। देहाती जनता बहुत से टैक्स देती है जो आपके खातों में नहीं आते। कितने ही इन्डायरेक्ट टैक्सेज हैं जो किसान देता है। उनको केल्कुलेट किया जाय। मैंने केल्कुलट किया। मुमकिन है कि १,२ अथवा ३ परसेंट का फर्क हो। लेकिन मोटे-तौर पर जो मैंने केल्कुलेट किया है वह यह है कि १९६२–६३ का जो आपका बजट है उसमें जो डायरेक्ट टैक्सेज आप लगा रहे हैं इन्कम टैक्स को छोड़कर, उनसे लगभग ७ करोड़ रुपया आता है जिसमें सेल्स टैक्स, मोटर वेहिकिल्स टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, एक्साइज, एंटरटेनमेंट आदि ये सब टैक्सेज हैं। मैं इर्रीगेशन को नहीं लेता क्योंकि इर्रीगेशन एक सर्विस है। मैंने जानबूझ कर इर्रीगेशन का जो रुपया आता है या दूसरे डिपार्टमेंट्स का जो रुपया आता है उसको छोड़ दिया है चूंकि वह सर्विसेज हैं, आप सर्विसेज रेन्डर करते हैं इसलिये रुपया लेते हैं। बजट में जो पहली मद आती है जिसमें इन्कम टैक्स और दूसरे सेन्ट्रल टैक्सेज से जो आपको हिस्सा मिलता है वह टैक्सज काट दीजिये, आप सिर्फ वह टैक्स लीजिये जो सीधे तौर पर प्रादेशिक सरकार लगाती हैं, वह ६० करोड़ के करीब आता है। वह ६० करोड़ देता कौन है? उस ६० करोड़ में से २२ करोड़ तो लगान या मालगुजारी से आता है। आपके सल्स टैक्स से जो आता है उसमें से कितनी फीसदी किसान देता है यह आप ही बता दीजिये। मैं बड़ी उदारता के साथ लगाता हूं कि ४० फी सदी सेल्स टैक्स शहरों से आता है, लेकिन शहर के लोगों की संख्या क्या है? ९४ लाख और देहात के लोगों की है ६ करोड़ ४० लाख। मैं सेल्स टैक्स में ४०९ फीसदी छोड़ देता हूं शहरों पर, ६० फी सदी तो आप मानेंगे कि देहात के लोग देते हैं? तो ८ करोड़ यह हो गया। एक्साइज कितनी देहात देता है? मैं लगाता हूं कि लगभग ७०–७५ फीसदी देहात देता है। इतना बड़ा इलाका है और शराब और तम्बाकू पीने की आदत आज काफी फैल गई है। तो ६ करोड़ यह हो गया। स्टैम्प्स में मेरी धारणा यह है कि ८० फी सदी स्टैम्प ड्यूटी देहात पर है जिसका मतलब है कि ३ करोड़ यह हो गया। रजिस्ट्रेशन ५ करोड़ हो गया। दूसरे टैक्सों को, एन्टरटेनमेंट टैक्स वगैरह में छोड़ देता हूं ५० फी सदी रख लेता हूं। तो ४ करोड़ यह हो गया। इन सब का मतलब यह हुआ कि साढ़े ४३ करोड़ रुपया ६० करोड़ में से किसान देता है, देहात का रहने वाला देता है। इसका मतलब है कि लगभग ७२ फीसदी, बल्कि मैं समझूंगा कि ७४–७५ फीसदी प्रादेशिक टैक्स आप देहात की जनता से लेते हैं। यह हकीकत है या नहीं, इसका जवाब मिलना चाहिये। ७५ फी सदी आप देहात की जनता से ले रहे हैं और फिर कहते हैं कि देहात की जनता तो बहुत कम टैक्स देती है। आगे बढ़िये। दो-तीन कीलें मैं और ठोंकना चाहता हूं।

लोग यह कहते हैं कि जो टैक्स देहात और शहर की जनता पर लगता है उसको अगर आबादी पर बाँटिये—यह जरूर आप कहेंगे कि आपने ७५ फीसदी तो कह दिया, लेकिन देहात की जनता तो ७५ फीसदी है—आबादी पर आप बांटिये तो फीकस देहात में कम आयेगा और शहर की जनता पर ज्यादा आयेगा। बिलकुल मान लिया। और मैंने आपके लिये बना के तैयार कर लिया है आपके केस को मजबूत करने के लिये आबादी के हिसाब को सामने रखते हुये अगर टोटल टैक्सेज ६० करोड़ आते हैं, उसको हम बाँटें और देखें कि देहात के ऊपर फी आदमी प्रादेशिक टक्सेज ६ रुपये १२ आने सालाना आते हैं और शहर की आबादी पर फी आदमी प्रादेशिक टैक्सेज १७ रुपये ६ आने आते हैं। मान लिया हमने, बिल्कुल ठीक है, और मंत्री जी इससे बहुत खुश होंगे कि एक प्वाइंट तो मिल गया। लेकिन

में इसका जवाब आगे दूंगा। लगभग तिनगुना ज्यादा है। इसी आधार पर आप कहते हैं कि शहर की जनता पर देहात की जनता के बनिस्बत ज्यादा टैक्सेज हैं।

लेकिन हमें यह देखना चाहिये कि देहात की जनता की औसत आमदनी कितनी है और शहर की जनता की औसत आमदनी कितनी है। इसको लीजिये और दोनों को जोड़िये और देखिये कि नतीजा क्या निकलता है? देहात की जनता की आमदनी १९५९–६० में १८३ रुपये आती है और शहर की जनता की आमदनी १९५९–६० में ६७१ रुपये आती है। अब इसका जोड़ लगाइये। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग ४ गुना ज्यादा है या साढ़े तीन या ४ के बीच में आता है, शायद ३.६ आता है। इसका मतलब यह हुआ कि शहर की जनता की आमदनी देहात की जनता की आमदनी से चारगुना ज्यादा है। अगर देहात की जनता पर फी आदमी टैक्स ६ रुपये १२ आने हैं तो शहर की जनता को बराबर करने के लिये २५ रुपये होने चाहिये। उसकी पेइंग कैपेसिटी को तो हमें देखना होगा। शहर की जनता के ऊपर रुपये के टर्म्स में जरूर देहात की जनता से ज्यादा टैक्सेज हैं क्योंकि देहात की जनता के ऊपर ६ रुपये १२ आने और शहर की जनता पर १७ रुपये ६ आने टैक्स के हैं। लेकिन इसी के साथ साथ यह भी है कि देहात की जनता की औसत आमदनी १८३ रुपये है और शहर की जनता की आमदनी ६७१ रुपये है। इससे बिलकुल साफ निकलता है कि देहात की जनता के मुकाबिले में शहर की जनता के ऊपर प्रादेशिक टैक्सेज कम हैं। इसका जवाब हमें मिलना चाहिये।

अब मैं इस सदन के सामने, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि आप अपने पंचायत अफसरों से पूछ लीजिये कि पिछले ५ वर्षों में किसान के ऊपर पंचायत टैक्स दुगने हो गये हैं। यह शायद सरकार को मालूम नहीं है और शायद विरोधी दलों को भी मालूम नहीं है। मुझे भी पहले मालूम नहीं था। लेकिन हमारी सरकार को तो मालूम होना चाहिये क्योंकि आप हुकूमत चला रहे हैं कि पिछले ५ वर्षों में पंचायत टैक्सेज दुगने हो गये हैं। १९५६–५७ में ९३ लाख, १९५७–५८ में १ करोड़ २० लाख, १९५८–५९ में १ करोड़ ६० लाख, १९५९–६० में २ करोड़ ११ लाख, १९६०–६१ में २ करोड़ २ लाख, जिसमें आठ जिले शामिल नहीं हैं। ऐसी सूरत में पिछले पाँच वर्षों में हमारा पंचायत टैक्स दुगना हुआ है।

मुझे जिला परिषद् टैक्स के आँकड़े अभी तक नहीं मिले। अगर मेरे भाइयों को मालूम हो तो वह जानकारी देंगे। जिला परिषद् के टैक्स को भी जोड़ लिया जाय और देखा जाय कि उनका बोझा कितना है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आखिर में यह अर्ज करना चाहता हूं, बातचीत सब हो जाय, झगड़ा हो जाय, लेकिन आज इस बात पर बड़ी संजीदगी से गौर करना चाहिए कि देहात में टैक्स लगने की वजह से इकोनामिक और पालिटिकल्स रिएक्शंस क्या होंगे? जहाँ तक इकोनामिक रिएक्शंस का सवाल है, मेरे दूसरे भाइयों ने कहा कि वर्किंग कैपिटल कम हो जाता है, जोतों का डिवीजन हो जायगा। अगले साल अगर कानून कायदे वही रखते हैं, सिविल ला अगर वही रहता है, तो अगले साल हर एक आदमी ८ एकड़ से कम चला जायगा। हम में से सब कर लेंगे। आप भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। सब बच जायंगे। इसलिए एक तो फ्रैगमेंटेशन बढ़ेगा। नम्बर २, वर्किंग कैपिटल किसान का कम होगा। हमारे माननीय चरण सिंह ने कहा कि इंटेसिव खेती हो। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर जहाँ जमीन सीमित है हमें छोटी होल्डिंग्स में इंटेसिव खेती की योजनाओं को बढ़ाना चाहिए और उससे आपकी पैदावार बढ़ेगी और बढ़ सकती है। इंटेसिव खेती के लिए किसान के पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल कम होता है। अनइकोनामिक होल्डिंग्स और होती चली जायेंगी। और भी बहुत सी चीजें हैं। मेरे पास वक्त नहीं है।

पालिटिकल रिएक्शन ले लीजिये। मुझे अंदेशा यह है कि बात करते करते प्लानिंग की हम ऐसी परिस्थिति न पैदा करें जिससे आम किसान का प्लानिंग के अन्दर से विश्वास उठ जाय। रूस और चीन की बात कही गयी। वह परिस्थितियाँ अलग हैं। वह समाज अलग है।

[श्री जेड० ए० अहमद]

हम उनसे अपनी तुलना नहीं कर सकते। क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली उनकी परिस्थितियां अलग हैं। हमको हिन्दुस्तान की परिस्थितियों के अन्दर देखना है, न रूस न अमेरिका, न चाइना की। मैं कम्युनिस्ट हूं, लेकिन न रूस की तरफ देखता हूं, न चीन की तरफ देखता हूं। मैंने सबक सीखा है २०–२५ साल के अन्दर, दुनिया भर के कम्युनिस्टों ने सबक सीखा है कि अपनी कंडी-शंस के अन्दर समाजवाद कैसे बनेगा उसको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बंदर की तरह नकल नहीं करना है। रूस और चीन की परिस्थितियाँ अलग हैं, उनका इतिहास अलग है। इसलिए हमें हिन्दुस्तान की परिस्थितियों के अन्दर देखना है। हमारा किसान जो पोलटिकली पिछड़ा हुआ है, जिसको हमने पलिटिकली जाग्रत नहीं किया है, जिसके अन्दर पुरानी भावनाएं हैं अगर आज यह हालत हुई कि वह फील करे कि योजना तो बनी लेकिन उसकी जेब में ज्यादा पैसा नहीं आया, तो इसका बुरा असर पड़ेगा। किसान हमारी रीढ़ है, अगर किसान कमजोर हो जाता है तो पूरा शरीर कमजोर हो जायगा। इसलिए अगर उसकी जेब में ज्यादा पैसा नहीं जाता है, और वह टैक्स से कमजोर होता है, तो दूसरा तरीका सोचना चाहिए। आज रुपया रुपया निकल सकता है। आडिट रिपोर्ट देखिये। मेरा ख्याल है बहुत है बहुत से भाइयों ने इस पर कहा होगा। १९५५ से ६०–६१ के दरमियान कितनी सेविंग हुई है, पन्ना ११ आडिट रिपोर्ट का देख लीजिये। औसतन हर साल २५ रुपये करोड़ की सेविंग हुई है। कुल मिलाकर पन्ना ११पर आडिट रिपोर्ट के आप देखें—५ साल के अन्दर १२९ करोड़ रुपये के सेविंग में शकल है, खर्च नहीं कर पाये, उन चीजों को छोड़ कर दीजिये जो कि आखिर में मार्च के महीने में जल्दी-जल्दी खर्च होता है। अगर १२९ करोड़ रुपये की सेविंग होती है, इतना रुपया आप यूटिलाइज नहीं कर पाये और कंसालिडेटेड फंड में वह रुपया चला गया या लैप्स हो गया गवर्नमेंट आफ इंडिया को तो मैं पूछता हूं, मुझे पूछना पड़ेगा कि हर साल २५–२५ करोड़ रुपया अनयूटिलाइज्ड चला जाय, उसके बाद भी आप यह कहिए कि रुपया दो और रुपया उस गरीब से माँगा जा रहा है या चाहे वह गरीब न भी हो, मध्यम वर्ग का हो, लेकिन वह भी गरीब है, उससे रुपया माँगा जाता है। मैं तो कहूंगा कि साहब, आपकी नीति गलत है। मैं चाहता हूं कि पूरे कारोबार के अन्दर बड़ी सख्ती के साथ एकोनामी होनी चाहिए, खर्चा कम किया जाना चाहिए और उसकी गुंजायश है।

ट्यूबवेल्स को ले लीजिए। एक अजब तमाशा है। आप कहिए पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट। ५० हजार से लेकर ८० हजार रुपये तक खर्च किया गया है एक सरकारी ट्यूबवेल बनाने के लिए। क्या यह जरूरी था? क्या यह मुमकिन नहीं था कि २० और २५ हजार रुपये में एक ट्यूबवेल लग सकता और लगता है? क्या जरूरत थी कि बड़ी-बड़ी विदेशी कम्पनियों को ठेका दिया जाय? ४४ हजार, ५० हजार, ८० हजार, ८३ हजार तक एक-एक ट्यूबवेल पर खर्च किया गया है। एक दिन मैं हस्तिनापुर गया। पूरी कालोनी की कालोनी बन गई। आज मैं कहता हूं अध्यक्ष महोदय, मालूम नहीं कितने करोड़ रुपये उस पर खर्च हो गए, कोई २० या ३० करोड़ रुपया खर्च हो गया। आज वह बिल्डिंगें पड़ी हैं, २६ हजार एकड़ जमीन पड़ी है। अगर दस करोड़ भी खर्च हुआ है तो क्या उसका जस्टिफिकेशन है? मैं पूछता हूं। मैं पूछता हूं, आप पंचवर्षीय योजनाओं को ले लीजिए। ऐसे ऐसे विभाग हैं जिनको काट देने की जरूरत है। २५–२५ विभाग चिपके हुए किसान के साथ। कोई जरूरत नहीं है। आप किसान को दो चीजें दे दीजिए। सड़क दे दीजिये और पानी दे दीजिये। और कुछ मत करिए। मत लगाइए प्रदर्शनियाँ। हम सब ब्लाक्स में जाते हैं, दो चार टूटी फूटी चीजें रख दी जाती हैं, दस हजार खर्च रुपया हो गया, प्रदर्शनी हो गई। कोई जरूरत नहीं है इसकी। हिन्दुस्तान का किसान इतना समझदार है कि वह अपने पुराने अनुभवों से लेकर, घाघ से लेकर आज तक, सब कुछ समझता है। उसको सड़क दे दीजिए। सड़क का मतलब यह है कि वह अपनी क्राप थोड़ा का बहुत मार्केट कर लें। आज उसका एक्सप्लायटेशन मार्केटों के जरिये होता है। वह अपनी फसल मंडी तक आज नहीं ले जा सकता। मंडी के लोग आ

आकर खरीद लेते हैं और २५–३० परसेंट कम पर लेते हैं। तो उसको सड़क दे दें और पानी दे दें। बाकी सब छोड़ दें।

मैं ब्लाक्स में देखता हूं कि इतने विभाग बना दिये गये हैं, इतने अफसर बना दिये गये हैं कि जिनकी वहाँ कोई जरूरत नहीं है। उनकी तादाद में छटनी होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। आज टैक्सेशन हम किसलिए करते हैं ? टैक्सों के जरिये हम नौकरियाँ देते हैं, टैक्सेशन से हम एम्प्लायमेंट देते हैं, लेकिन टैक्सेशन एम्प्लायमेंट देने के लिए नहीं है। टैक्सेशन पैदावार बढ़ाने के लिए है। टैक्सेशन पैदावार के उन साधनों को बढ़ाने के लिए है जिनसे अधिक से अधिक पैदावार बढ़ सके। आज हमारा अधिकतर रुपया तनख्वाहों में चला जाता है, बिल्डिगों में चला जाता है। क्या इनके काटने की जरूरत नहीं है और यह दो तीन करोड़ रुपयों के लिए यह आप बदनामी मोल ले रहे है। मैंने पहले कहा, माननीय हुकुम सिंह जी, आप नहीं थे मैंने कहा कि अमीर जो हैं देहात के अन्दर, मैं इसके हक में हूं कि उनके ऊपर टैक्स लगाया जाय, लेकिन यह चीज देख कर करिए। अध्ययन करने के बाद मेरी आखें खुलीं कि दो तीन करोड़ रुपये के लिए एक राजनैतिक तूफान उठाया जा रहा है और एक आर्थिक ढंग का अन्याय किया जा रहा है। इसके लिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आप सोचें, देखें कि क्या हो रहा है और उसका परिणाम कैसा होगा। उसके बाद फिर यह सदन कुछ न कुछ फैसला करेगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे और ज्यादा कहना नहीं है। जो मैंने कहा है कि यह साफ तौर पर कहा है और उम्मीद करता हूं कि जितनी सफाई से मैंने बातें कहीं और जितने आँकड़े मैंने दिये उनका जबाव मुझे मिलना चाहिये तब मैं कन्विन्स्ड हूंगा वरना मैं कन्विस्ड नहीं हूंगा।

**गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)**—अध्यक्ष महोदय, यह जो भूमि जोत कर विधेयक प्रस्तुत हुआ है मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और इसके सम्बन्ध में जो दो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं—एक जनमत जानने के लिये और दूसरा प्रवर समिति में भेजने के लिये—उनका विरोध करता हूं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो भाषण इस सदन में हुये मैंने उनको बड़े ध्यान से सुना और खासतौर पर जो चार प्रमुख विरोधी पार्टी हैं, जनसंघ, समाजवादी पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और डा० जेड० ए० अहमद साहब, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है, इनको मैंने विशेष रूप से सुना। एक पार्टी बचती है स्वतंत्र पार्टी। मान्यवर, मेरा अपना ऐसा विचार है कि विरोधी पक्ष लेंको हम बहुत आसानी से दो विंग में बाँट सकते हैं। एक लेफ्ट विन्ग और दूसरा राइट विंग। लेफ्ट विंग में कम्युनिस्ट पार्टी है और दूसरी समाजवादी पार्टी है। माननीय उग्रसेन जी इस बात को नहीं मानेंगे कि साम्यवादी पार्टी भी क्रान्तिकारी है, क्योंकि वह अपने को सबसे ज्यादा क्रान्तिकारी मानते हैं। समाजवादी पार्टी कहती है कि हम उनसे भी अधिक क्रान्तिकारी है। तीसरी प्रजा समाजवादी पार्टी है जिसके नेता गेंदा सिंह जी सीधे सादे आदमी हैं। वह भी अपने को समाजवादी कहते हैं। अब रह गई दो पार्टीयां जनसंघ और हमारे राजा साहब की स्वतंत्र पार्टी यह राइट विंग की पार्टी हैं। एक पार्टी को सुनने की बात रह गई है। राइट विंग पार्टी को हिन्दी में प्रतिक्रिया वादी भी कहते हैं। मैं जेड० ए० अहमद साहब को इस बात के लिये बधाई देता हूं और मुबारक बाद पेश करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया और एक अच्छे वकील की हैसियत से भाषण दिया। मैं इस बात को नहीं जानता कि वह वकील हैं या नहीं, लेकिन मुझे खुशी है कि उन्होंने अच्छा भाषण दिया। उन्होंने कुछ नीतियों के विषय में स्पष्ट रूप से कहा और इस बात के लिये भी कहा कि हमारा और उनका संघर्ष यदि नीतयों पर हो तो ज्यादा अच्छी बात है। मुझे खुशी है कि जेड० ए० अहमद साहब ने ३, ४ बातों को माना। उन्होंने यह कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी की आस्था, उसका विश्वास नियोजन में है, प्लानिंग में है क्योंकि प्लानिंग का आइडिया सब से पहले दुनियाँ के अन्दर कम्युनिस्ट इकानामी के अन्दर सोवियट रूस में लाया गया। वहीं यह सब से पहले पैदा हुआ। सही बात है। साथ ही आपने यह भी कहा कि इस १० साल के नियोजन में देहात के अन्दर अमीर अमीर हुआ है और गरीब गरीब हुआ है। लिहाजा उनको इस बात में आपत्ति नहीं है कि यदि अमीर पर टैक्स लगा दिया जाय, इस बात में वह हमारे पक्ष में हैं। उसके बाद उन्होंने आँकड़े देकर इस बात

[श्री नवलकिशोर]

को दिखाने की कोशिश की कि देहात के अन्दर टैक्स काफी लगा हुआ है। उसकी आमदनी उस अनुपात में नहीं बढ़ी है जिस अनुपात में शहर में बढ़ी है। तो डा० जेड० ए० अहमद साहब मुझे माफ करेंगे मुझे उनकी इन बातों पर एक शेर याद आ गया है:—

ए चमनवालों चमन में यों गुजारा चाहिये।
बागवाँ भी खुश रहे राजी रहे सैय्याद भी।।

उनके भाषण का मतलब यही था कि उन्होंने नियोजन की भी ताईद की और उन्होंने टैक्सेशन की भी ताईद की। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा है कि ३, ४ करोड़ के लिये खामख्वाह परेशानी मोल ले रहे हैं। इसके पीछे इकोनामिक पोलिटिकल रिएकशंस होंगे। इसको वापस ले लीजिये। उन्होंने माना भी और विरोध की बात भी कह दी जो कि उनको विरोधी पक्ष में बैठने के नाते कहना चाहिये थी। मान्यवर, जहाँ मैंने उनको बधाई दी कि उन्होंने बेहतर स्पीच दी वहाँ मुझे उनकी स्पीच से मायूसी भी हुई। मायूसी इस माने में हुई कि डा० जेड० ए० अहमद साहब केवल कम्युनिस्ट पार्टी के उत्तर प्रदेश के ही नेता नहीं हैं, बल्कि हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के आप प्रमुख नेताओं में से एक हैं। उनका जीवन एक क्रान्तिकारी जीवन रहा है। मैं यह आशा करता था कि डाक्टर साहब के जो विचार हाउस के बाहर हैं उन्हीं विचारों को वे सदन के अन्दर भी पेश करेंगे, लेकिन वह भी जो विरोधीदलों का बीटेन ट्रैक (Beaten track) है कदम ब कदम उसी पर चले अपने दामन को जरा सा मोड़ते और बचाते हुए, इसकी मुझे उनसे आशा नहीं थी। बहरहाल, कुछ सवाल उन्होंने उठाये है और उस संबंध में मैं कुछ बातों का जिक्र करना चाहता हूं। (व्यवधान) उन्होंने ८ एकड़ के एक्जेम्पशन की बड़ी ताईद की है और उसका स्वागत किया है। आप सुनिये तो सही।

**श्री भगवानसहाय** (जिला शाहजहाँपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहाँ और कब ताईद की ?

**श्री अध्यक्ष**—आप बैठ जाइये। आपको मालूम हो जायगा। जब वह अपनी बात समाप्त कर लें तो आप कहियेगा कि यह बात उन्होंने नहीं कही।

**श्री नवलकिशोर**—राजस्व मंत्री जी ने जिस समय भाषण दिया था उस समय उन्होंने दो बातों की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि जो टैक्स हम लगाने जा रहे हैं उसकी अवधि प्रारम्भ में ५ वर्ष के लिये होगी और उसके बाद सरकार को पूरा अधिकार होगा कि उस समय की वस्तु स्थिति को देखते हुये यदि वह उचित समझे तो उसे और आगे बढ़ा सकती है। दूसरे यह भी उन्होंने कहा था कि ८ एकड़ तक की जो होल्डिंग होगी उस पर यह कर नहीं लगाया जायगा। उस पर डाक्टर साहब ने यह भी कहा था कि इस बिल में कहीं भी एकड़ का जिक्र नहीं आया है। उस पर राजस्व मंत्री जी ने यह कहा था कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि किन शब्दों में कौन संशोधन इस बिल के अन्दर पेश किये जायें ताकि जो उनका मंशा है उसका स्पष्टीकरण हो जाय। मैं समझता हूं कि इसके आगे कोई बहस की बात उठती नहीं है।

मान्यवर, मैं डाक्टर अहमद साहब की बहुत सी बातों के सम्बन्ध में दो चार बातें कहना चाहता हूं उन्होंने यह कहा कि यह जो विधेयक आया है, १५ साल की आजादी में शायद ही ऐसा कोई विधेयक पेश हुआ हो जिसके संबंध में लोगों के दिमागों में इतनी उथलपुथल हुई हो। यह बात सही है, क्योंकि जिस शकल में यह विधेयक आया था उस शकल में यह एक बहुत बड़ी तादाद में इस प्रदेश की जनता को छूने वाला विधेयक था और यह स्वाभाविक है कि विरोधी पार्टियाँ इस विधेयक का फायदा उठातीं और उन्होंने इसका फायदा उठाने की कोशिश की भी। इसकी मुझे शिकायत नहीं है। इसमें कोई उसूल की बात नहीं है, केवल यह एक पोलिटिकल चाल है। जिनकी नियोजन में आस्था न हो उनकी बात दूसरी है मगर, उन पार्टियों से जिनकी थोड़ी भी आस्था जनतंत्र में है, समाजवाद में है, और जो आज के नियोजन को समाजवाद

के ढांचे की बुनियाद समझती है मुझे यह आशा थी कि कम से कम इस विधेयक के संबंध में इस प्रकार का वातावरण प्रदेश में नहीं पैदा करेंगी जिस प्रकार का वातावरण पैदा किया गया है। डाक्टर साहब ने कहा मान्यवर, कि गवर्नमेंट को भी इस संबंध में सोचना पड़ा और माननीय गेंदा सिंह जी ने भी उस दिन यह कहा था कि जनमत के आगे सरकार को झुकना पड़ा।

मान्यवर, यह सरकार जनतांत्रिक सरकार है। इसमें कोई सवाल जिद या हठ का नहीं है। एक मोटी सी बात है कि थर्ड प्लान हमारे सामने है जो कि ४९७ करोड़ का है या उसको ५०२ करोड़ का कह लीजिये। सरकार का यह कमिटमेंट है कि १४७ करोड़ रुपया उसको अपने साधनों से जुटाना है। ३८ करोड़ हो गया है अब इस समय जो मौजूदा माँग है वह १०९ करोड़ की है। यह जुट पायेगा या नहीं जुट पायेगा, यह दूसरी बात है, लेकिन मैं प्रयास की बात कहता हूं। जब १०९ करोड़ की बात आयी तो इस बात को जानते हुए भी कि प्रदेश गरीब है, प्रदेश में ७४ फीसदी आदमी खेती पर निर्भर हैं, यह भी जानते हुए कि उनकी आमदनी में भले ही बढ़ोत्तरी हुई हो, लेकिन जितनी बढ़ोत्तरी की आशा हम करते थे उतनी नहीं हुई, लेकिन फिर भी सरकार ने यह समझा कि यदि हम सब मिल कर उन से अपील करें इस बात की कि इन कठिनाइयों के बावजूद भी थोड़ी सी कठिनाई और उठा कर वे इस नियोजन को सफल बनाने में हमें योग दें। तो शायद ऐसा सम्भव हो सकता है और धनराशि मिल सकती है। उसके बाद मैं यह कहूंगा कि चाहे इस पार्टी के सदस्य हों और चाहे उस पार्टी के सदस्य हों, वे सभी इस बात को महसूस करेंगे। चूंकि हर आदमी इस बात को महसूस करता है कि बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिसको कि आशा थी उतनी उसकी प्रगति नहीं हुई है। इसलिये उसके ऊपर आवश्यकता से अधिक बोझ न पड़े। इस तरह की जब बात सामने आई तो सरकार ने हमेशा की तरह उन भावनाओं और उन विचारों का आज भी आदर किया। इसी बात को दृष्टि में रखते हुये माननीय राजस्व मंत्री जी ने इस बात की घोषणा की कि ८ एकड़ तक के खाते की जमीन एग्जेम्ट होगी।

मैं एक बात और बताऊं कि डाक्टर जेड०ए० अहमद साहब शायद इस बात को जानते होंगे जोकि कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो भिन्न-भिन्न जिलों में माँग-पत्र पेश किये गये हैं, उनको शायद उन्होंने वेरीफाई किया होगा। उसके अन्दर यह माँग थी कि ३ एकड़ तक की होल्डिंग को एग्जेम्ट किया जाय, परन्तु आप देखिये अब तो ८ एकड़ तक की भूमि को एग्जेम्ट कर दिया गया है। इसीलिये डा०जेड०ए०अहमद ने शायद इसका बड़ी ईमाननादारी के साथ स्वागत किया। उन्होंने साफ कहा कि मैं इस ८ एकड़ का स्वागत करता हूं। डा० जेड० ए० अहमद ने कुछ आँकड़े भी दिये। ठीक है। वह सही हैं और यहाँ की ही एक किताब के हैं। उसमें उन्होंने माननीय गेंदा सिंह जी की एक बात दोहराई जो कि मा० गेंदा सिंह जी ने कोट की थी कि जे० सी० कुमार अप्पा जी ने कहा है कि १० एकड़ भूमि वाले लोग ६ परसेंट हैं इस उत्तर प्रदेश के अन्दर। साथ ही यह भी सही है कि जो ६ एकड़ से कम की होल्डिंग के लोग हैं वह ८५ परसेंट है। लिहाजा ८ एकड़ से कम वाले जो ९०-९१ परसेंट किसान इस प्रदेश के अन्दर हैं, वे इससे मुक्त हो जायेंगे उन पर इस कर का भार नहीं पड़ेगा। शायद डा० अहमद भी इस बात को महसूस कर ते होंगे कि जिस देहाती जनता का उन्होंने अपने भाषण में चित्रण किया है क्या उनके अतिरिक्त देहात में १० परसेंट भी ऐसे लोग नहीं होंगे जो थोड़ा सा इस टैक्स को दे सकें और इस कर को बर्दाश्त कर सकें।

एक बात और मैं इस सम्बन्ध में कह देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत से आँकड़े दिये तो मैं भी जो पिछले सालों में प्रगति हुई है उसका कुछ नक्शा प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। मुझे आशा है कि वह ध्यान से सुनेंगे। आप देखें कि १७९३ में लैन्ड रेवेन्यू ६९ परसेंट था हमारे कम्प्लीट बजट में। उसके बाद १८९२ में यह ३६.५ परसेंट हुई। यह आँकड़े आल इंडिया स्तर के दे रहा हूं। १९०१ में यह ३३.९ और १९३९ में १६.१ और १९५४ में ८.६ थी। मेरे पास किताब है ऐग्रेरियन रिवोलूशन उसमें कुछ आँकड़े दिये हैं। उसमें दिया हुआ है कि जब कि १९३७-३८ में उत्तर प्रदेश में जो परसेंटेज थी लैन्ड रेवेन्यू की वह बजट की ४६.९ थी। जो घटकर

[श्री नवलकिशोर]

१९५६–५७ में हमारे बजट में २२.५ हो गई थी और अब करीब २१ करोड़ कुछ लाख मिलती है। तो आप ही देखें कि कितना प्रतिशत गिर गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––आप सब लोग कृपया शांत रहें।

श्री नवलकिशोर––श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि १९६०–६१ में जो सारे देश में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से इनकम हुई वह नेशनल इनकम की ४५ परसेंट थी यानी ५,७०० करोड़ रुपये थी। मगर इसमें से प्रदेशों को जो धनराशि मिली वह केवल ११७ करोड़ की थी जिसमें लैन्ड रेवेन्यू के अलावा सिंचाई व कृषि कर से प्राप्त धनराशि भी शामिल है। यानी २.१ परसेंट स्टेट्स को मिला टोटल इन्कम में जो कृषि से हिन्दुस्तान की हुई, जब कि मान्यवर सन् १९५५–५६ में यह फिगर ३,४७० करोड़ की थी जिसमें ९५ करोड़ रुपया प्रदेशों को मिला था यानी २.७ परसेंट,इसके मानी यह हुये कि फर्स्ट प्लान में और सेकिंड प्लान के बीच करीब करीब ६४ परसेंट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में वृद्धि हुई और उससे नेशनल इन्कम बढ़ी, जब कि स्टेट्स की उससे आमदनी २.७ से घट कर २.१ परसेंट पर आ गयी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो एकोनामिक डिपार्टमेन्ट के हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट हैं उन्होंने अपनी एक किताब में स्पष्ट लिखा है कि जो टैक्सेशन का बोझा है उसका शहर और देहात का अनुपात ३:१ है। उनका ख्याल यह है कि ५ एकड़ तक की भूमि ऐसी है कि उसके ऊपर उचित होगा कि लगान को बढ़ाया जाय और उनकी सिफारिश यह है कि उसको दुगना तक किया जा सकता है गोकि यू०पी० की सरकार ऐसा नहीं कर रही है। (व्यवधान)

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यह जो लगान है, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, उसका यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि लगान क्राप के प्रोपोर्शन में हो। उसका कुछ न कुछ अनुपात जरूर होना चाहिये। जो किसान पैदा करता है फी एकड़ में, उसके अनुपात में ही लगान फिक्स हो। मान्यवर, एनशियन्ट इंडिया में भी यही तरीका था। जो कांग्रेस की एग्रेरियन कमेटी बैठी थी उसका भी यही विचार था कि यह अनुपात से होना चाहिये। उनका ख्याल यह था कि यह १/४ और १/५ के बीच होना चाहिये। सन् १९३६ से १९४४ के बीच जो सेटिलमेंट आपरेशन्स हुये उसमें १९०१ से १९०५ तक की कीमतों के आधार पर पैदावार का १/५ लगान फिक्स किया गया कुछ जिलों को छोड़ कर जहाँ यह सेटिलमेंट का काम नहीं हो पाया। उसके बाद यह हुआ कि सन् १९४५–५२ के बीच जो रेन्ट फिक्स हुये उनकी दर ज्यादा थी। यह सही है। जैसा कि डाक्टर साहब ने स्वयं भी कहा, उस समय की कीमतों से मोटे तौर पर आज की कीमतें चौगुनी हैं। इसके मानी यह हुये कि जो लगान उस सेटिलमेंट में फिक्स हुआ था १/५ वह आज की मौजूदा प्रोड्यूस का १/२० है और जहां लगान ज्यादा है वह भी दुगुने से ज्यादा कहीं नहीं है। तो १/१० और १/२० के बीच में है यह जिसके मानी साफ हैं कि ज्यादा नहीं है। मैं डाक्टर साहब से इत्तफाक करता हूं कि टैक्स लेने का प्रिंसिपल यह होना चाहिये कि हम टैक्स उस आदमी से लें जो टैक्स देने के काबिल हो। मगर मान्यवर, कौन देने के काबिल हैं, इसके अन्दर मतभेद हो सकता है और इसलिये हो सकता है कि अगर हम यह कहें कि जिसकी आमदनी कम से कम १०० रुपये हो, इस प्रिंसिपल को मानें, उससे टैक्स लिया जाय तो श्रीमन्, हमारे टैक्सेशन का जो लेविल है वह बहुत ऊपर जायेगा। पर यदि हम वस्तुस्थिति को देखें तो जिनकी २४/२५ रुपये या ५०/६० रुपये आमदनी है उनके मुकाबिले में जिनकी १०० रुपये है वह बहुत धनी है। तो यह चीज देखनी होगी कि हम क्या लिमिट रखें।

श्रीमन्, जिस समय सीलिंग की बात यहाँ आई थी तो उस समय डाक्टर साहब तो इस असेम्बली में थे नहीं, वे प्रोसीडिंग्स देखें, उनकी पार्टी की तरफ से जो सीलिंग अधिक से अधिक प्रोपोज की गयी थी वह क्या थी और उत्तर प्रदेश के अन्दर उसकी उन्होंने कौन सी सीमा निर्धारित कराने की कोशिश की थी।

मान लीजिये कि कम्युनिस्ट पार्टी के दिमाग में १२।। एकड़ या उससे कम भाग मैक्सिमम होल्डिंग की बात थी तो ८ एकड़ से ऊपर नये टैक्स की बात आपत्तिजनक नहीं होनी चाहिये। डाक्टर साहब ने माना कि नियोजन का आइडिया सोवियट रूस से लिया गया है। सोवियट रूस बमुकाबिले चीन के काफी इन्डस्ट्रियलाइज्ड कन्ट्री था। चीन ने रूस के बाद आजादी हासिल की और कम्युनिस्ट पैटर्न पर अपना नियोजन शुरू किया। मैंने कोशिश की जानने की कि आखिर इन कम्युनिस्ट देशों में क्या स्थिति रही है। डाक्टर साहेब ने कह दिया कि मैं रूस और चीन का नाम नहीं लेता। बड़ा भारी उनका यह सेविंग स्टेटमेंट था। इसलिये क्योंकि नियोजन में उनकी आस्था है। रूस में बावजूद इसके कि वहाँ का आयरन करटेन अब ढीला हो गया है हम वहाँ के बारे में अधिक नहीं जानते हैं फिर भी वहाँ के खून-खच्चर और जोर-जुल्म की कहानी मैं यहाँ नहीं कहना चाहता हूं। जहाँ डिक्टेटरशिप है, जहाँ फौज की ताकत के ऊपर नियोजन किया जाता है, वहाँ की स्थिति से हमारा मुकाबिला करना बहुत उचित नहीं हो सकता। क्योंकि सौभाग्य से हमने जनतांत्रिक ढांचे के अन्दर नियोजन को सफल बनाने का दृढ़ निश्चय किया है, और इसलिये उनके मुकाबिले में हमारे सामने कठिनाइयाँ ज्यादा हैं। यह इस किताब में लिखा है कि The peasants paid a progressivel and tax from 6% to 24% इस किताब का नाम है 'Agrarian Policy of the Chinese Communists Party by Chao Chum.'

**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—जरा हिन्दी कीजिये।

**श्री नवलकिशोर**—मैं हिन्दी कर दूंगा हालाँकि अब माननीय नरसिंह नारायण भी अंग्रेजी की किताब से कोट करने लगे हैं। इसका मतलब है कि किसान ६ परसेंट से ४२ परसेंट तक प्रोग्रेसिव स्केल पर लैन्ड टैक्स देते थे। और आगे यह भी लिखा है कि (One-fifth of the rice crop. is given to the Soviets) इसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि ३७ १/२ परसेंट लैन्ड रेवेन्यू होनी चाहिये।

**श्री जेड० ए० अहमद**—यह किताब छपी कहाँ की है ?

**श्री नवलकिशोर**—मैं आपके पास भेज दूंगा। चाइनीज की लिखी हुई है। डाक्टर साहेब ने कुछ स्माल होल्डिंग की बात कही। इसमें दिया है कि टैक्स आन स्माल फार्म्स किस प्रकार लगाया गया !

**एक सदस्य**—यह छपी कहाँ की है ?

**श्री नवलकिशोर**—इसमें हैं ८४ हेक्टर यह ३ एकड़ से कम यानी बराबर होता है २.४७ एकड़ के। इसके ऊपर जो टैक्स लगाया गया है वह है 5·24% of the income after paying rent. यानी रेन्ट देने के बाद और ५ आदमियों की फैमिली है तो ५.२४ परसेंट, वरना १४ परसेंट तक है। ज्यों ज्यों होल्डिंग्स बढ़ती गई वह बढ़ते बढ़ते ३७ १/२ परसेंट तक पहुंच गया है। तो जहाँ फौजी ताकत के साथ हुकूमत की जाती हो और नियोजन की बात हो, वहाँ २.४ एकड़ तक अतिरिक्त टैक्स लगाया है। उसे माफ नहीं किया है।

डाक्टर साहब ने जो बात पेश की उससे उनका मंशा यह था कि जो आदमी देहात में रहते हैं, उनके बारे में आपको यह साबित करना चाहिये कि उनका स्टेट्स इस काबिल है कि उनके ऊपर टैक्स लगे। मान्यवर, इस सम्बध में दो तीन बातें उन्होंने बतायीं। एक तो यह कहा कि शोर मचाने से काम नहीं चलेगा, केस को मेकआउट करना चाहिये। वह ठीक है कि हमें केस को मेकआउट करना चाहिये, लेकिन दिक्कत हमारी यह है कि केस को जब मेकआउट हम करते हैं तो जज भी वे ही बन जाते हैं। तीसरा कोई जज हो तो वह ठीक बात तय करे, लेकिन डाक्टर साहब खुद ही एक पार्टी हैं और खुद ही जज बन जाते हैं। जहाँ तक शोर मचाने की बात है, यह तो सभी को पता है कि शोर कौन मचाता है। जब यह विधेयक पेश हुआ तो शोर किसने मचाया था।

[श्री नवलकिशोर]

मान्यवर, उन्होंने कहा कि सरकार के टैक्स लगाने के दो बेसिस हैं। एक तो आप यह मानकर चलते हैं कि पेजेन्ट्री की हालत अच्छी है, वह टैक्स देने के काबिल है। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि आपका यह ख्याल है कि देहात के अन्दर शहरों के मुकाबिले में टैक्स कम है। इन दो बातों को लेकर उनकी सारी स्पीच हुई। डाक्टर साहब ने जो आँकड़े दिये वे अभी आये हैं इसलिये उनका जवाब तो बाद में मिलेगा लेकिन इस वक्त मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि उन्होंने स्वयं इस बात को माना है कि देहात का अमीर और अमीर हुआ और गरीब और गरीब हुआ है लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उनके और कम्यूनिस्ट पार्टी के हिसाब से कितना प्रतिशत देहात में ऐसा है जो अधिक अमीर हुआ है, जिसने उनके ही कथनानुसार पैसे को खींचा है, या लोगों को दबोच कर अपने को मालदार बनाया है। अगर यह चीज हमारे सामने आ जाती तो हमें यह मालूम हो जाता कि उनके हिसाब से कितनी प्रतिशत संख्या लोगों की ऐसी है जिन पर हमें टैक्स लगाना चाहिये और यह भी मालूम हो जाता कि हमारे और उनके बीच की खाई कितनी चौड़ी है।

डाक्टर साहब ने आमदनी का औसत बताया कि वह कितनी घटी है। उन्होंने शहर और देहात की पापूलेशन का एक और तीन का रेशियो बताया। साथ ही यह भी कि ६० करोड़ में से देहात ४० करोड़ से अधिक देता है लेकिन यहाँ केवल ६० करोड़ की ही बात नहीं है, बल्कि हमारा बजट १९१ करोड़ का है उन्होंने केन्द्रीय करों को बिलकुल छोड़ दिया है इस लिये उनके आँकड़े टैक्सेशन की असली पिक्चर सामने नहीं रखते। डाक्टर साहब इस बात को मुझसे ज्यादा जानते हैं कि टैक्सेशन के बारे में स्टेट्स को एबसोल्यूट राइट्स नहीं हैं। बहुत कम टैक्सेज ऐसे हैं जो स्टेट लगा सकती हैं। जिनकी तरफ डाक्टर साहब और माननीय गेंदा सिंह जी की निगाह अक्सर जाती है—शुगर फैक्ट्री कम्पनी तथा अन्य फैक्ट्री, लेकिन वे सब टैक्सेज सेंट्रल गवर्नमेन्ट के हैं। इस तरह से स्टेट्स के अपने लिमिटेशंस हैं। उन बातों की तरफ आपकी ध्यान देना है। यद्यपि डाक्टर साहब ने स्वयं कहा कि फैक्टरीज पर ८०–८५ प्रतिशत तक टैक्स है, यह दूसरी बात है कि वे किन्हीं तरकीबों से हमारे और गेंदा सिंह जी के प्रयत्नों के बावजूद भी इवेड करते हैं, लेकिन जहाँ तक टैक्सों का सवाल है उसमें कमी की बात नहीं है।

मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि टैक्स देहात में ज्यादा है या शहर में, लेकिन डाक्टर साहब ने देहात पर टैक्स न लगाने की बात कहते हुये यह कह दिया कि इसके ये माने नहीं हैं कि हम शहरों में टैक्स लगा दें। हम तो यह जानते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने इस बिल का विरोध किया है उसी प्रकार से अरबन टैक्सेज का भी विरोध किया था। दूसरी तरफ डाक्टर साहब कहते हैं कि प्लानिंग हो लेकिन उसके साथ यह भी प्लीड करते हैं कि वह प्लानिंग बिना टैक्सेज के ही हो जाय। बहरहाल, सिर्फ एक बात मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने सेंट्रल टैक्स की बात नहीं देखी और साथ साथ उन्होंने यह भी नहीं देखा कि हमारे बजट का कितना परसेंटेज देहातों पर खर्च होगा। क्योंकि हमारी रीढ़, बुनियाद जो है वह देहात ही है जहाँ ७४ परसेंट किसान खेती करते हैं। तो यह स्वाभाविक है कि इन्हीं ७४ परसेंट किसानों को अच्छा बनाने के लिये उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये हमें इस तरह के टैक्स लगाने पड़ रहे हैं।

डाक्टर साहब ने एक बात और कही कि पंचायतों के अन्दर पिछले पाँच सालों में टैक्स दुगुना हो गया है। डाक्टर साहब ने जो आँकड़े दिये वे टैक्स के असेसमेंट के नहीं हैं, बल्कि जो टैक्स की रिकवरी हुई है उसके हैं। डाक्टर साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि शुरू में लोगों ने पंचायत टैक्स नहीं दिया और वह टैक्स लोगों पर सालों तक इकट्ठा होता गया जो अब आहिस्ता आहिस्ता वसूल किया जा रहा है। यह डाक्टर साहब थोड़ा-सा भूल गये और यह बतलाया कि पंचायतों के टैक्स दुगुने हो गये हैं। यह बात सही नहीं है।

डाक्टर साहब ने आडिट रिपोर्ट की बात भी कही। वे पी०ए०सी० के चेयरमैन हैं। उन्होंने बतलाया कि १२९ करोड़ रुपये ५ सालों में स्पैन्ड नहीं हुये।

एक सदस्य—सेविंग्स से मतलब है ।

श्री नवलकिशोर—अगर १२९ करोड़ रुपये की सेविंग हो जाय तब तो मैं कांग्रेचुलेट करूंगा उन तमाम डिपार्टमेन्ट के आफिसरों को जिनके जरिये वह सेविंग हुई । लेकिन मैं इसको सेविंग नहीं मानता, इसे तो मैं अनस्पेंट मनी (न खर्च हुआ रुपया) मानता हूं । मेरे ख्याल से डाक्टर साहब ने कहीं २५ करोड़ की रकम देख ली है और पाँच जगह उसे जोड़ कर १२५ करोड़ बता दिया ।

श्री जेड०ए० अहमद—आप देख लें ।

श्री नवलकिशोर—मैं देख लूंगा । फिर अगर ऐसी चीज है तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर १२९ करोड़ अनस्पेंड मनी भी है तो जहाँ हमें १४७ करोड़ रुपये की प्लान के लिये जरूरत है, इससे तो केवल १८ करोड़ की ही कमी रह जाती है तब तो फिर बड़ी आसानी हो जायगी, लेकिन वास्तव में ऐसी बात है नहीं ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—डाक्टर सम्पूर्णानन्द के समय में आप जो भाषण देते थे, वह दीजिये ।

श्री नवलकिशोर—मुझे उस समय का अपना भाषण भी याद है और आपका भाषण भी याद है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि डाक्टर साहब पी०ए०सी० के चेयरमैन हैं, अगर उनके नेतृत्व में हमें गाइडेंस और पथ-प्रदर्शन मिल जाय और १२९ करोड़ रुपये का इस तरह रियलाइजेशन हो जाय तो मैं उनका बड़ा मशकूर हूंगा ।

इकोनामी की बात कही गयी, सही बात है । मैं तो उन लोगों में हूं जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि इस देश और प्रदेश के अन्दर टैक्सेशन के एक-एक पाई का सही इस्तेमाल होना चाहिये । इससे भी मैं इनकार नहीं करता कि बजट बनाते वक्त थोड़ी, बहुत गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्लान के लिये १०९ करोड़ रुपये हमें मिलना चाहिये । यह कोई कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है और न विरोधी पार्टी का । हमें और आपको सब को मिल कर इसमें अपने दिमाग को लगाना है कि स्टेट के अन्दर जितनी मैक्जिमम इकोनामी हो सकती है उसे करने की कोशिश करें । इसमें हम आपका भी सहयोग चाहते हैं । हमारे भाई माननीय गेंदासिंह जी ने भी २० करोड़ रुपये इकोनामी करने की बात कही थी । मैं भी कहता हूं कि इकोनामी करने की गुंजायश है और सब लोगों को उसके अन्दर सहयोग देना चाहिये, क्योंकि जब तक ७ करोड़ लोगों की १४ करोड़ आँखें उस लीकेज को नहीं रोकेंगी तब तक चन्द आफिसरों का उसे चेक करना गैरमुमकिन है । और ज्यों-ज्यों विकेंद्रीकरण होगा त्यों-त्यों बहुत कुछ खर्च की जिम्मेदारी ग्राम सभा के भाईयों की होगी । बहरहाल, मैं उन से सहमत हूं कि एकोनामी की गुंजायश है और वह होनी चाहिये ।

एक बात यह भी कही गई कि टेक्सेशन इसलिये होना चाहिये कि प्रोडक्शन बढ़े और अगर ज्यादा टैक्स लगेगा तो वर्किंग केपिटल कम हो जायगा । तो जब हम ९१ प्रतिशत किसान को छू ही नहीं रहे हैं और केवल ९ प्रतिशत को ही छू रहे हैं । तो उन के सिद्धान्त के ही अनुसार ९१ प्रतिशत लोगों का वर्किंग केपिटल बढ़ेगा और उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा । यह कर भी उन्हीं की सुविधाओं पर व्यय होगा । हम तो उस तरफ ही बढ़ रहे हैं, चाहे वह मानें या न मानें ।

माननीय गेंदासिंह जी ने जो भाषण दिया, मैंने ध्यान से सुना । वह बुजुर्ग हैं उन का मुझ पर बड़ा विश्वास है और स्नेह भी है और इसी कारण से उन्होंने मुझे अपने भाषण में कई बार याद भी किया, लेकिन मुझे उनसे मायूसी हुई । उन की मेरे दिमाग में वह ही तस्वीर है कि जब हम और वह आजादी के लिये लड़ते थे, लेकिन अब तो मैं ने समझा कि यह कौन से गेंदासिंह जी बोल रहे हैं, यह विरोधी पक्ष के गेंदासिंह जी हैं या समाजवादी गेंदासिंह जी है, कौन से गेंदासिंह जी बोल रहे हैं । उन्होंने कई एक बातें कहीं । गन्ना तो उन का एक पेट विषय है अगर

[श्री नवलकिशोर]

भाषण में गन्ना न आया तो फिर भाषण ही अधूरा रह गया,जैसे कि एक शायर थे चिरकीन जो कोई भी शेर कहते थे तो घुमा फिराकर अपनी एक खास पेट चीज का ही नाम उस में लाते थे। उन्होंने भी उसी तरह से कहा कि आप शुगर फेक्टरीज पर टैक्स बढ़ाये, उनका राष्ट्रीयकरण कीजिये और गन्ने की कीमत २ रुपया मन कीजिये। मैं समझता हूं कि यह हो जाये तो माननीय गेंदासिंह जी की सारी प्लान सिद्ध हो जायगी। उन्होंने बताया कि सारे प्लान में उत्तर प्रदेश का १/६ हिस्सा होता है और उन्होंने ७५ सौ करोड़ को ६ से डिवाइड कर दिया और साढ़े १२ करोड़ का फिगर निकाल लिया कि हमारा थर्ड प्लान इतना होना चाहिये था, लेकिन वह एक बात भूल गये कि हमारी जो प्लान्स हैं उस में सेन्टर और स्टेट दोनों के प्लान का पैसा है। माननीय गेंदासिंह जी का खयाल है कि आबादी के हिसाब से प्लान का पैसा सेन्टर से आना चाहिये। उन्हें शायद याद होगा कि जब तीसरी योजना का ड्राफ्ट यहाँ आया था तो बताया गया था कि यह एक पिछड़ी हुई स्टेट है और यहाँ की प्लान कम से कम ९०० करोड़ की होनी चाहिये और उस समय के मंत्रिमंडल ने उस को काटकर ७५० करोड़ का कर दिया था और उस समय यहाँ डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी हमारे मुख्य मंत्री थे, उन्होंने फाइट भी किया सेन्टर से कि यह इतनी बड़ी स्टेट है और हमे आबादी के लिहाज से अधिक पैसा मिलना चाहिये, लेकिन वह इस बात को न भूलें कि प्लानिंग कमीशन ने कह दिया था कि हमारा वितरण करने का मापदंड आबादी नहीं है। हम स्टेट के रिसोर्सेज को देख कर यानी जितना आप खुद इकट्ठा करते हैं उस के अनुपात में सेन्ट्रल ग्रान्ट देते हैं, क्योंकि जिन स्टेट्स ने एडवान्स किया है और जो आज आगे हैं, जिन्होंने अपने लोगों से मेहनत, श्रम करने को कहा है और जिन्होंने मेहनत मशक्कत से अपनी आय को बढ़ाया है हम उन के मुकाबले में उन को जो काहिल बैठे हैं ज्यादा देने को तैयार नहीं हैं लिहाजा प्लानिंग कमीशन ने यानी नेशनल प्लानिंग कमीशन ने इस आधार को कि आबादी के हिसाब से बाँटा जाय, नहीं माना। उन्होंने केवल साधनों की बात मानी। इसी लिये यह बात कही गई थी कि हमारे सामने एक ही चीज है कि या तो हम हमेशा के लिये पिछड़ जाँय या आगे बढ़ें भविष्य के लिये। इसीलिये मैं कहना चाहता हूं माननीय गेंदासिंह जी देखेंगे जो हमारा पहला प्लान बना था वह १९६० करोड़ का था जिसमें से १,४५७ करोड़ का स्टेट्स का था और १५३ करोड़ का उसमें से हमारा प्लान बना। उसके बाद दूसरा प्लान बना ४,६०० करोड़ का जिसमें २,०४३ करोड़ स्टेट्स के लिये था उसमें से २५३ करोड़ रुपया हमारी प्लान का था और आज जो ७,५०० करोड़ का प्लान है उसमें से ३,९०० करोड़ की स्टेट्स प्लान हैं और उसमें से ५०० करोड़ के करीब अपनी प्लान है। अब जरा आप वह आँकड़े देखें कि तीसरी योजना में किस प्रदेश की अपनी कितनी जिम्मेदारी है। आन्ध्र प्रदेश का जो शेयर है, जो हमसे छोटा है, ३४ परसेंट है, असम का साढ़े २७ परसेंट, बिहार का ३२.३ परसेंट, गुजरात का ५१.९ परसेंट स्टेट का हिस्सा है, जम्मू और कश्मीर का १७.३ परसेंट है, आसाम और जम्मू-कश्मीर हमारी बार्डर स्टेट्स हैं उनकी स्पेशल प्राबलम्स हैं, उसके बाद केरल का ३४.१ परसेंट है, मध्य प्रदेश का ३१ परसेंट, मद्रास का ३५ परसेंट, महाराष्ट्र का ५६.४ परसेंट, मैसूर का ४८ परसेंट, पंजाब का ४३ परसेंट, राजस्थान का ३४ परसेंट और उत्तर प्रदेश का २९.५ परसेंट। इस माने में अगर देखें तो मुझे आशा है कि अब माननीय गेंदासिंह जी अपनी राय को बदल देंगे कि यह सरकार बहुत डरपोक नहीं थी और प्लानिंग कमीशन के सामने अपने केस को ईमानदारी से पुटअप किया और इस माने में केन्द्रीय सरकार से ज्यादा शिकायत का मौका नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा प्लान हमारा है और जिस परसेन्टेज में उन्होंने ७० परसेंट से ज्यादा जो हमको पैसा दिया है वह समय को देखते हुये कम नहीं है।

माननीय गेंदासिंह जी ने एक बात और कही कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दीजिये और उन्होंने माननीय जय प्रकाश जी तथा माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की चर्चा की, दोनों हमारे देश के बड़े नेता हैं और किस कांटेक्स्ट में उन्होंने क्या बात कही, कहाँ से कोट किया मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं। मैं इस बात को मानने के

लिये तैयार नहीं हूं कि संविधान का अध्ययन माननीय गेंदासिंह जी ने मुझसे कम किया है। दो, तीन बातें बुनियादी तौर से हैं जिन्हें हम पसन्द करें या न करें। माननीय गेंदासिंह जी बतायें क्या राज्य सरकार को इस बात का अधिकार है कि वह शुगर इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दे? दूसरे इस सरकार ने नियोजन को मानने के बावजूद इस बात को माना है कि हम मिश्रित इकोनोमी रखेंगे और जैसा माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी का भी सोवियट रूस में शुरू में यही आइडिया था कि मिक्स्ड इकोनोमी चलायें, हालांकि स्थिति वहां दूसरी थी। अब जब डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने कहा कि कोट नहीं करना चाहता रूस और चीन को तो मैं भी उनपर बोझ नहीं डालना चाहता, लेकिन बताना चाहता हूं वहां भी उनको यही करना पड़ा था गोकि बाद में उसको उन्होंने बदला। दूसरी बात जब आपने माना है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर साथ-साथ चलेंगे तो इसको बार-बार दोहराना ठीक नहीं है। वह जानते हैं शुगर इंडस्ट्री की स्थिति प्रदेश के अन्दर बहुत अच्छी नहीं है, चाहे गन्ने की फी एकड़ पैदावार कम हो या शुगर ईल्ड उसकी कम हो, यहां के मिल मालिक बराबर इस कोशिश में हैं कि वह अपने कारखाने दक्षिण में उठाकर ले जायें प्रदेशीय सरकार उनको रोक रही है। अगर यह कारखाने यहां से चले जायें तब क्या यह किसान के और गन्ना उत्पादकों के हित में होगा? यह दूसरी बात है कि उस स्थिति में माननीय गेंदासिंह को शिकायत का मौका नहीं रहेगा।

तीसरी बात यह है कि अगर आप के पास पैसा भी हो तो क्या पुरानी मशीनों को खरीदना या उनका मुआविजा देना मुनासिब होगा? हमने यह उसूल एडमिट किया है कि हम किसी की प्रापर्टी को लेंगे तो उसके लिये कम्पेनसेशन देंगे। तो क्या यह मुनासिब होगा कि पैसा अगर है तो भी जो पुरानी मशीनें हैं उनमें हम खर्च करें? या यह अच्छा हो कि नई मशीनें लगायें?

चौथी बात यह है जो १०, ११ साल की बात है १९५२ से ५७ तक की बात है ट्रांसपोर्ट के नेशनलाइजेशन का सवाल उठा था। उस समय भी माननीय गेंदासिंह जी इसी पार्टी के मेम्बर थे और माननीय मदन मोहन उपाध्याय इस पार्टी के डिप्टी लीडर थे। माननीय गेंदासिंह जी उनके भाषण को पढ़ कर देखें कि उन्होंने ट्रान्सपोर्ट के राष्ट्रीयकरण के बारे में क्या विचार व्यक्त किये। उन्होंने इसका विरोध किया। तो उनके साथियों में कुछ लोगों के ये भी विचार थे। मुमकिन है वे कुछ आपसे एडवांस्ड हों या बेकवर्ड हों उनकी दृष्टि में ट्रान्सपोर्ट तक का नेशनलाइजेशन इस सूबे में मुनासिब नहीं था जब कि सम्भव तो था ही वह। हमारे इन साथियों का कहना है कि उनके पास एक ही दवा है और वह है शुगर इंडस्टी को नेशनलाइज कर लिया जाय यह भी वह जानते हैं जैसा मैंने अभी कहा कि शुगर इंडस्टी के अन्दर जो हमारा गन्ना है उसमें जो शुगर कंटेंट है वह साउथ के मुकाबले में कम है, और इन फैक्टरीज का हिसाब चाहे सही हो या गलत, वे इस बात की कोशिश करती हैं कि यू० पी० से शिफ्ट हो जाँय। गेंदा सिंह जी यह समझते हैं कि उनके शिफ्ट हो जाने से केन ग्रोअर्स का इंटरेस्ट ज्यादा सेफगार्ड होगा? मैं तो ऐसा नहीं कह सकता।

उन्होंने यह भी कहा कि गन्ने की कीमत दो रुपये प्रति मन होनी चाहिये। बहुत अच्छा है तीन रुपये हो जाय। लेकिन डाक्टर जेड० ए० अहमद इस बात से सहमत होंगे क्या वह उचित होगा कि एक क्राप की प्राइस अन्धाधुन्ध बढ़ती जाय और दूसरी क्राप्स से उसकी कोई पेरिटी न हो। उन्होंने इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस और एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस की प्राइसेज में पेरिटी की बात तो कही। तो यह चीज उचित नहीं होगी। फिर इतनी कम कीमत देने के बाद, इतनी हकतल्फी करने के बाद जैसा कि वह समझते हैं, हर साल गन्ने की एकरेज बढ़ती जाती है तो वह भी प्वाइंट उनका अपनी जगह स्टेंड नहीं करता।

एक बात उन्होंने ४६ से ५१ तक की नेशनल इनकम की कही है कि उसके आंकड़े दिये जायें। मेरे पास एप्राक्सिमेट आंकड़े हैं, १०, २० करोड़ का फर्क मुमकिन है हो। १९४५–४६ में नेशनल इनकम १४५० से १४६० करोड़के बीच में थी और १९५०–५१ में १६३२ करोड़ थी।

श्री गेंदासिंह—६०० करोड़ बढ़े ।

श्री नवलकिशोर—मैंने कहा कि १४६० से १६३२ करोड़ हो गयी । अब हिसाब आप लगायें, मैंने तो लगा लिया है । उसके बाद ५५–५६ में वह नेशनल इनकम १७९७ करोड़ हो गयी और १९६०–६१ में १९६८ करोड़ हो गयी । जहाँ तक पर केपिटा इनकम की बात कही गयी है कि वह घटी है तो उसके मेरे पास आँकड़े नहीं हैं । माननीय मंत्री जी अपने भाषण में बतला देंगे कि पर-कैपिटा इनकम बढ़ी है या घटी है लेकिन मैं इस बात को मानने के लिये अवश्य तैयार हूं कि जितनी बढ़नी चाहिये थी उतनी नहीं बढ़ी है पर बढ़ी अवश्य है ।

श्री गेंदासिंह—आप जरा एक बात स्पष्ट कर दें कि १९४६ से ५१ तक नेशनल इनकम कितनी रही है और १९५१ से ६१ के बीच में कितनी रही है ?

श्री नवलकिशोर—मेरे खयाल से १७२ करोड़ बढ़ी है । यहाँ आपको कैसे समझाऊं वह मेरी समझ में नहीं आता । जैसा अध्यक्ष महोदय कहा करते हैं यह सब कक्ष में ही हो सकता है । पर कैपिटी इनकम जो है हमारी वह भी १९५०–५१ में २५९ थी और १९६०–६१ में वह २६८.७ हो गयी । इस बात से मैं कोई संतुष्ट नहीं हूं कि वह ठीक बढ़ी मैं स्वयं भी असंतुष्ट हूं । लेकिन यह बात सही है कि इनकम जो है वह बढ़ी है और यह कहना कि बढ़ी नह है मैं समझता हूं कि यह बात मुनासिब नहीं है ।

माननीय गेंदासिंह ने ऐग्रीकलचरल प्रोड्यूस की बात कही थी । तो फूड ग्रेन्स के बारे में मैं अर्ज कर दूं कि सन् १९५५–५६ में ११८.६७ लाख टन पैदावार थी और सन् १९६०–६१ में १४२.५७ लाख टन पैदावार हुई जबकि हम और वह जानते हैं कि हर साल प्रदेश में बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ जाता है । इन तमाम आपत्तियों के बावजूद प्रदेश में अन्न का उत्पादन बढ़ा । किसी क्षेत्र को देखें बिजली को देखें, इरीगेशन को देखें, खाद की खपत को देखें, ट्यूबवेल को देखें सब के अन्दर प्रगति हुई है । मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब माननीय गेंदासिंह ने एकदम से खड़े होकर कह दिया कि पिछली दो योजनाओं में कुछ भी नहीं हुआ । यदि वे यह कहते कि दो योजनाओं में जितनी आशा हम करते थे उतनी सफलता नहीं हुई या वे यह कहते कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे अधिक सफलता प्राप्त हो सकती थी तो मुझे यह कहने को होता कि यह एक ऐसा प्वाइन्ट है जिसमें दो रायें हो सकती हैं । यदि वे यह कहें कि दो योजनायें बिलकुल निरर्थक हो गयी तो मैं क्या कहूं, वे बुजुर्ग हैं, सिवाय इसके कि वे इतने आवेश में आ गये कि सत्य का भी मान न रहा क्योंकि इस वक्त होड़ है बिरोधी दलों में । गेंदासिंह जी इसलिये परेशान हैं कि जनसंघ ने तो सत्याग्रह शुरू कर दिया और शायद उन्होंने इसलिये यह भी कहा था कि सत्याग्रह करना मुनासिब है, तो वह असर सब के दिमाग पर है और उस बहाव में वे बहते चले गये ।

सीलिंग के लिये माननीय गेंदासिंह जी ने ४० और ८० एकड़ की बात कही । तो यह तो मैक्सिमम की बात थी । यह बात मुझे कहनी नहीं चाहिये, माननीय गेंदासिंह जी स्वयं भी यह महसूस करते हैं कि अनएकोनामिक होल्डिंग ६ एकड़ से कम की होती है उससे ज्यादा की नहीं होती । तो अब तो हम ८ एकड़ तक पहुंच गये ।

माननीय गेंदासिंहजी ने यह भी कहा कि हम इस बात पर तैयार हैं कि अगर कुछ न कुछ देने की बात हो तो हम भी लोगों से कहें, लेकिन पहले आप कुछ न कुछ बचत कीजिये और उन्होंने यह फरमाया कि वालंटरी बचत की बात होनी चाहिये थी और वह वालंटरी बचत उन्होंने मंत्रिमंडल से शुरू करने की बात कही थी । माननीय गेंदासिंह की याददाश्त को मैं कुछ ताजा कराऊं । सन् १९६० में जब यह मंत्रिमंडल बना तो मंत्रियों की तनख्वाहें स्वयं कम की गयीं, कोई आपकी तरफ से प्रस्ताव पास नहीं हुआ था । तो मंत्रिमंडल ने तो शुरूआत कर दी । अगर माननीय गेंदासिंह ने सारी स्टेट से अपील की होती कि सब लोग ५ या १० परसेंट, चाहे वे सरकारी नौकर हों, अपनी आमदनी का कंट्रीब्यूट करें तो वह बात मेरी समझ में आ सकती थी मगर उन्होंने केवल मंत्रिमंडल की बात कही और यह भी नहीं बताया कि कितनी और वे हमसे उम्मीद करते हैं । अगर वे हमें सहयोग दें और इस विधेयक को पास कर दें तो वह भी हम सोचें ।

मगर उन्होंने केवल इस सबका एक बहाना लिया, एक आड़ ली है। यह भी कहा गया कि मंत्रियों की तादाद बहुत बढ़ी है। इस प्वाइंट पर मेरे लिये कुछ कहना मुनासिब बात नहीं होगी चूंकि मैं भी उसका एक सदस्य हूं, लेकिन मैंने तमाम प्रदेशों के आँकड़े इकट्ठे किये हैं, यू० पी० का सातवाँ नम्बर आता है जहाँ तक मंत्रिमंडल की स्ट्रेन्थ की बात है।

एक बात शायद नरसिंहनारायणजी ने कही थी कि सन् १९३६–३७ में ऐडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर क्या था.....

**श्री अध्यक्ष**—कितना टाइम और लीजियेगा ?

**श्री नवलकिशोर**—मान्यवर, अभी तो समय लगेगा।

**श्री अध्यक्ष**—अच्छी बात है।

**श्री नवलकिशोर**—मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि माननीय पाँडेय जी ने यह बात कही कि शासकीय एक्सपेंडीचर बढ़ा है और १९३६–३७ में कितना था और उसके बाद कितना है। एक बात सही है और आप देखेंगे कि धनराशि में यह बढ़ा है। पर यदि आप थोड़ी-सी सुहानुभूति के साथ दृष्टिपात करें और साथ-साथ में बजट को भी देखते जाँय तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर बजट के परसेंटेज के हिसाब से घटता चला गया है, बढ़ा नहीं है। इसको कोई भी देख ले और यदि हमारे भाई देखेंगे तो वे भी इस बात को स्वीकार करेंगे।

एक बात और माननीय गेंदासिंह जी ने कही कि एरियर्स जो बाकी हैं उनको वसूल किया जाय। मान्यवर, एरियर्स किसी के माफ नहीं किये गये हैं और यह भी सही है कि वे जल्दी से जल्दी वसूल करने चाहिये। मगर उनका खयाल यह है कि हमने उनको माफ कर दिया है। लिहाजा एरियर्स के वसूल करने से एडीशनल रिसोर्सेज प्राप्त हो जायेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेखा जोखा में वे मौजूद हैं। उनके वसूल करने से नये रिसोर्सेज पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लिहाजा गेंदासिंह जी इस बात को भी ध्यान में रखें।

**श्री अध्यक्ष**—अब समय समाप्त हुआ। अब हम उठते हैं और १५ तारीख को साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर सोमवार, १५ अक्तूबर, १९६२ के १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया)।

**देवकीनन्दन मित्थल,**
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
५ अक्तूबर, १९६२।

## नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५५ पर।)

| नाम ग्राम | अहेतुक सहायता | गृह-निर्माण के लिये अहेतुक सहायता | गृह-निर्माण के लिये दी गई साल की बल्लियां | तकावी | मालगुजारी में छूट |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| | रु० | रु० | रु० | रु० | रु० |
| १—भदेसरा | ८०० | — | — | ३,००० | ५२८.४९ |
| २—चौहान पुरवा | ४०० | १,५०० | ८० | २,०१० | ४३.८० |
| योग .. | १,२०० | १,५०० | ८० | ५,०१० | ५७२.२९ |

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

## नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६६ पर।)

### विधान सभा के प्रथम सत्र १९६२ के १२ वें शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री श्यामलाल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से संबंधित सूचना

जून, जुलाई व अगस्त, १९६२ में जिला बस्ती के चकबन्दी विभाग के विभिन्न चकबन्दी अधिकारियों एवं सहायक चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्यवाही का विवरण पत्र।

| अधिकारी का नाम और पद | शिकायतों की संख्या | की गई कार्यवाही का विवरण |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| १—श्री कमला प्रसाद सिंह, चकबन्दी अधिकारी। | ३ | एक शिकायत जांच करने पर निराधार पाई गई। एक शिकायत पर चकबन्दी अधिकारी को चेतावनी दी गई है। एक शिकायप जांच के अन्तर्गत है। |
| २—श्री अमृत लाल तिवारी, चकबन्दी अधिकारी। | १ | जांच करने पर निराधार पाई गई। |
| ३—श्री विजय शंकर, सहायक चकबंदी अधिकारी। | ४ | प्रत्यावर्तित (revert) कर दिया गया है। |
| ४—श्री प्रेम सरन श्रीवास्तव, सहायक चकबंदी अधिकारी। | ३ | दो शिकायतें निराधार पाई गईं। एक शिकायत जांच के अन्तर्गत है। |
| ५—श्री राम वृक्ष मिश्र, सहायक चकबंदी अधिकारी। | २ | जांच के अन्तर्गत हैं। |
| ६—श्री चन्द्र भूषण सिंह, सहायक चकबंदी अधिकारी। | २ | एक निराधार पाई गई। एक जांच के अन्तर्गत है। |
| ७—श्री अर्जुन सिंह, सहायक चकबंदी अधिकारी। | १ | जांच के अन्तर्गत है। |
| ८—श्री महादेव प्रसाद, सहायक चकबंदी अधिकारी। | १ | निराधार पाई गई। |
| ९—सहायक चकबंदी अधिकारियों के विरुद्ध सामान्य शिकायतें जिनमें नाम नहीं दिया गया था। | ३ | जांच के अन्तर्गत हैं। |
| १०—श्री राम सकल तिवारी, सहायक चकबंदी अधिकारी। | १ | निराधार पाई गई। |
| ११—श्री रुद्र प्रसाद चौधरी, सहायक चकबंदी अधिकारी। | १ | जांच के अन्तर्गत है। |
| योग .. | २२ | |

## नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६८ पर)

### तालिका

### तारांकित प्रश्न संख्या ५३ से संबंधित विवरण

| क्रम-संख्या | ग्राम का नाम | क्षतिग्रस्त क्षेत्र का रकबा एकड़ में | फसल की क्षति की मात्रा प्रति रुपया में |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| | | | नये पैसे |
| १—कठौड़ा | .. .. .. | ११३६ | ९० |
| २—रनहनो | .. .. .. | १३४ | १०० |
| ३—मझौली | .. .. .. | २१२ | १०० |
| ४—जमुई | .. .. .. | ६०७ | ७५ |
| ५—ढौरीड़ीह | .. .. .. | १०४ | १०० |
| ६—मुंहया | .. .. .. | १५३ | ८० |
| ७—मसहा | .. .. .. | ३७ | १०० |
| ८—दादुपुर | .. .. .. | ९४ | ७५ |
| ९—तिवारीपुर | .. .. .. | ४१ | ८० |
| १०—मलवार | .. .. .. | ११४ | ७० |
| ११—एकसार | .. .. .. | १५६ | ५५ |

विधान सभा सचिवालय पटना

## नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७५ पर)

### जूनियर हाई स्कूलों की सूची जिन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़, के कार्यालय में जूनियर हाई स्कूल की स्थाई मान्यता के लिये आवेदन-पत्र प्रेषित किया

| क्रम-संख्या | विद्यालय का नाम | प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने का दिनांक | प्रार्थना-पत्र पर की गई कार्यवाही का उल्लेख |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | श्री जे० एस० मिश्र, जूनियर हाई स्कूल, बड़ागांव । | ८-१२-६१ | १५ फरवरी, १९६२ को स्थायी मान्यता प्रदान कर दी गई । |
| २ | श्री मथुरा इंग्लो जूनियर हाई स्कूल, नाहरपुर । | २६-१२-६१ | १५ फरवरी, १९६२ को स्थायी मान्यता प्रदान कर दी गई । |
| ३ | जूनियर हाई स्कूल, कप्तानगंज .. | २७-७-६१ | १५ फरवरी, १९६२ को स्थायी मान्यता प्रदान कर दी गई । |
| ४ | जूनियर हाई स्कूल, बरमपुर .. | २३-१०-६१ | १५ फरवरी, १९६२ को स्थायी मान्यता प्रदान कर दी गई । |
| ५ | जूनियर हाई स्कूल, मुबारकपुर .. | २१-८-६१ | कुछ विद्यार्थियों का अनियमित रूप से प्रवेश कर लेने के कारण स्थायी मान्यता नहीं प्रदान की गई । इस आशय की सूचना विद्यालय के प्रबन्धक को ४ अक्तूबर, १९६१ को भेज दी गई थी । |
| ६ | मौलाना आजाद टेकनिकल जूनियर हाई स्कूल, अन्जान शहीद । | १८-७-६१ | कुछ कमियों के कारण विद्यालय को स्थायी मान्यता नहीं प्रदान की जा सकी । |
| ७ | जूनियर हाई स्कूल, सरवहा .. | २०-९-६१ | कतिपय त्रुटियों जैसे प्राभूत संबंधी प्रमाण पत्रों को न प्रस्तुत करना, आठ अध्यापकों में ६ का अप्रशिक्षित होना इत्यादि, के कारण विद्यालय को स्थाई मान्यता नहीं प्रदान की जा सकी । |

| क्रम-संख्या | विद्यालय का नाम | प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने का दिनांक | प्रार्थना-पत्र पर की गई कार्यवाही का उल्लेख |
|---|---|---|---|
| ८ | लोक मान्य जूनियर हाई स्कूल, नरियाव। | २०-६-६१ | प्रार्थना-पत्र उचित फार्म पर न रहने तथा उसमें मान्यता संबंधी पिछले प्रतिबन्धों की पूर्ति का कोई स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण स्थाई मान्यता नहीं प्रदान की जा सकी। |
| ९ | मन्त्र मौलवी शिक्षा धाम, कुंरगा .. | २१-६-६२ | प्रबन्धक को कमेटी के रजिस्ट्रेशन संबंधी तथा कुछ अन्य कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया है। उत्तर प्राप्त होने पर विचार किया जायगा। |
| १० | जूनियर हाई स्कूल, खानपुर .. | २६-१०-६२ | कुछ कमियों के कारण विद्यालय को स्थाई मान्यता नहीं प्रदान की गई। |

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

# नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७६ पर)

## सूची (क)

फतेहपुर जिले में कृषि तथा विज्ञान की शिक्षा देने के लिये उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की सूची तथा प्रत्येक में कितने विद्यार्थी भर्ती किये जा सकते हैं।

| संस्था का नाम | | | विद्यार्थी की सीट |
|---|---|---|---|
| **हाई स्कूल (कृषि)** | | | |
| १—ए० एस० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फतेहपुर | .. | | ४० |
| २—अशोक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सीखा | .. | .. | ४० |
| ३—चौ० शिव सहाय सिंह उच्चर माध्यमिक विद्यालय, जयरामपुर | .. | | ४० |
| **हाई स्कूल (विज्ञान)** | | | |
| १—मुस्लिम उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, फतेहपुर | .. | | ४० |
| २—एंग्लो संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फतेहपुर | .. | | ४० |
| ३—चौ० शिव सहाय सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जयरामपुर | .. | | ४० |
| ४—पुरुषोत्तम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खजुहा | .. | .. | ४० |
| ५—नेहरू इन्टर कालेज, बिन्दकी | .. | .. | ४० |
| ६—सुखदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खागा | .. | .. | ४० |
| ७—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फतेहपुर | | .. | ४० |
| **इन्टरमीडिएट विज्ञान** | | | |
| १—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फतेहपुर | .. | .. | ५० |
| २—सुखदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खागा | .. | .. | ५० |

जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति से यह संख्या बढ़ाई जा सकती है।

अनुवाद सेवा

## नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८३ पर)

### ग्रामों की सूची जिनसे बड़ौत-बुढ़ाना सड़क गुजरेगी

१—बड़ौत
२—बिजरौल
३—बामनौली
४—फुसार
५—आदमपुर
६—कावेर
७—दहा
८—बरहल
९—बिसदा
१०—बैरादा
११—मिदकला
१२—बुढ़ाना

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

## नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८३ पर)

### १९६१–६२ में तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत (योजना संख्या ६११०३) अंतरिम जिला परिषद्, कानपुर द्वारा खोले गये मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूलों के स्थानों की सूची

| क्रम-सं० | ग्राम का नाम जहां स्कूल खोले गये | क्रम-सं० | ग्राम का नाम जहां स्कूल खोले गये | क्रम-सं० | ग्राम का नाम जहां स्कूल खोले गये। |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| १ | शुक्लानपुर | २९ | समयूं | ५७ | बरिगांव |
| २ | जादेपुर घस्सा | ३० | धमनौं निवादा | ५८ | मोहम्मदपुर (घाटमपुर) |
| ३ | बसेन | ३१ | बहादुरपुर | ५९ | बिलसरयान |
| ४ | निवादा सेन | ३२ | लालाभगत | ६० | खनपना |
| ५ | मजफ्फरपुर | ३३ | मुटेहरापुर | ६१ | माटीमऊ |
| ६ | पलिया बास खेरा | ३४ | सिगसीपुर | ६२ | भावनसहोरा |
| ७ | बर्रा घर्रा | ३५ | हासेमऊ | ६३ | बिगोही |
| ८ | इन्दलपुर | ३६ | अहरौली शेख | ६४ | पुर |
| ९ | पलिय बुजुर्ग | ३७ | रूरगांव | ६५ | लहरीपुर |
| १० | अकबरपुर | ३८ | चपेरघटा | ६६ | गौजूमऊ |
| ११ | मियोलो | ३९ | सुल्तानपुर | ६७ | शेवली तेवसियाना |
| १२ | मिश्री खेरा | ४० | नन्हौरा | ६८ | दुन्दपुर बरार |
| १३ | निपौसी वजाफगढ़ | ४१ | बम्भई | ६९ | सन्तनपुर |
| १४ | नरायनपुर सलेमपुर | ४२ | गौहनी बंजर | ७० | निवादापारा |
| १५ | नवगवां | ४३ | गूबर | ७१ | अहरौलीघाट |
| १६ | पुरवा हरासिंह देव | ४४ | रमऊ | ७२ | पनियामऊ |
| १७ | हेतपुर | ४५ | गोमितपुर | ७३ | मदैया (खरतला) |
| १८ | भीखी जरगावो | ४६ | देवली | ७४ | पुरवाचैन (नगसिया) |
| १९ | ओछी | ४७ | बकरैहा | ७५ | गिरदौ |
| २० | मटियारा | ४८ | परौली | ७६ | नेरा कृपालपुर |
| २१ | मरगांव खुर्द | ४९ | अन्नूपुर | ७७ | पुरवा नल्लाहन (मरतौली) |
| २२ | थैनरमऊ | ५० | शीतलपुर | ७८ | बरगवां |
| २३ | भरावल | ५१ | मायका पुर | ७९ | महतौली |
| २४ | कपासी | ५२ | सरगांव | ८० | नन्दना |
| २५ | उदयपुर | ५३ | सेवदा ललई पुर | ८१ | नैनापुर |
| २६ | टेरा | ५४ | शाहपुर | ८२ | मेदियापुर |
| २७ | खुरासी | ५५ | कमालपुर | ८३ | बम्हौरी |
| २८ | अनन्तपुर | ५६ | मलरवानपुर | ८४ | मदुरी |

| क्रम-सं० | ग्राम का नाम जहां स्कूल खोले गये | क्रम-सं० | ग्राम का नाम जहां स्कूल खोले गये | क्रम-सं० | ग्राम का नाम जहां स्कूल खोले गये |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| ८५ | बीरपुर | ११३ | कुरेह | १४२ | औरंगाबाद (बुगलाही) |
| ८६ | असवागपुर | ११४ | फत्तेपुर | १४३ | अर्शादपुर |
| ८७ | सिरोह | ११५ | इटैली | १४४ | प्रतापपुर । |
| ८८ | संचितपुर | ११६ | सूरजपुर | | |
| ८९ | मोहरौली | ११७ | बेहटा | | |
| ९० | चतुरी खरा | ११८ | बुधनपुर | | |
| ९१ | छतेरवा | ११९ | पिपरी (मरखरा) | | |
| ९२ | महोलिया | १२० | चिटकपुर | | |
| ९३ | खजुरिया | १२१ | भरतपुर | | |
| ९४ | मझगांव | १२२ | बकौली | | |
| ९५ | दलालपुर (महराना) | १२३ | करसुई | | |
| ९६ | औरंगाबाद | १२४ | सेनियां | | |
| ९७ | नेहिली | १२५ | हिर्देपुर | | |
| ९८ | दत्तपुर | १२६ | जमराही | | |
| ९९ | पुरवा मुन्डा खटिका | १२७ | ऐमा | | |
| १०० | संदना | १२८ | दीपापुर | | |
| १०१ | ररौक | १२९ | नेवादा बंगर | | |
| १०२ | सैथउकटना | १३० | ककरही | | |
| १०३ | भौरा | १३१ | जखरा सम्हरपुर | | |
| १०४ | नेवादा गहलौट (कस्तूरी रतनपुर) | १३२ | रैकेपुर | | |
| | | १३३ | ठाकुर प्रसाद का पुरवा | | |
| १०५ | अजनपुर इन्दौली | १३४ | करौसा | | |
| १०६ | हलपुरा | १३५ | कुरत खेरा | | |
| १०७ | गेदनपुर चोरसा | १३६ | बलभद्रपुर | | |
| १०८ | महगवां | १३७ | भरा का पुरवा (सर्सा) | | |
| १०९ | अनेई | १३८ | बिलवहर | | |
| ११० | डाहा खुद्रपुर | १३९ | नसरतपुर | | |
| १११ | औसना | १४० | कुरारी | | |
| ११२ | नेवदाशाह | १४१ | बिल्टी | | |

विधान सभा

## १९६१–६२ में तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत (योजना सं० ६११०५) अन्तरिम जिला परिषद्, कानपुर द्वारा खोले गये कन्या जूनियर बेसिक स्कूलों के स्थानों की सूची

१—जामू
२—महोली
३—कंघ
३—सट्ट
५—सनारखंडा
६—खवाजापुर
७—फतेहपुर राव
८—मंगटा
९—पतैरा सउव
१०—हुचिका
११—रंजीतपुर
१२—हरिकिशनपुर
१३—परौख
१४—उसरी
१५—देवहा
१६—तरीपाठकपुर
१७—बरादौलतपुर
१८—कोहरा
१९—ठिकवांपुर
२०—नौरंगा

विधान सभा सचिवालय

पी० एस० यू० पी० ए० पी०— २०३ एल० ए०—१९६३—८४५।